खण्ड-424, अंक-2
शुक्रवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1920
(19 जून, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
अयोध्या मंदिर विवाद एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	1-2
प्रश्नोत्तर	3-92
अयोध्या मंदिर विवाद एवं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	92
नियम 301 की सूचनाएं	93
जनपद गढ़वाल के लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम धार्मिक स्थलों पर सरकारी भूमि प्रभावशाली लोगों को पट्टे पर आवंटित किये जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद मथुरा अन्तर्गत गांव गढ़वेरी में दिनांक 4 जून, 1998 को राजस्व वसूली के सम्बन्ध में हुए घटनाक्रम की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
ग्राम गोयरा मुगली ब्लाक बड़ोखर खुर्द जिला बांदा में विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद टिहरी गढ़वाल में कोदार दीन गांव मुखैन में मोटर मार्ग को एक निश्चित समय में पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कई मार्गों पर राज्य सेक्टर योजना में सड़कों पर लेपन करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनप्रतिनिधियों की स्थिति एवं अधिकारों के बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
विधान सभा क्षेत्र रुड़की स्थित अम्बेडकर गांव नांगल ब्लाक भगवानपुर से गांव राघड़वाले तक लिंक मार्ग का निर्माण एवं विद्यार्थी नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	96
शासन के मंत्रियों को परामर्श देने के लिये गठित की गई स्थाई समितियों की बैठक न होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	96-97
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया) ...	97
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1998. (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	97
उत्तर प्रदेश मानव अंग प्रतिरोपण अध्यादेश, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	97

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 में किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ... 98
उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 98
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 98
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 98
उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर (संशोधन) विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 98-99
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) निरसन विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) . 99
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 99
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 99-102
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 102-115
श्री प्रमोद कुमार को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 115-116
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित सभी सूचनाओं को निरस्त किये जाने का निर्णय 116
वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना 117
वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण 117-175
श्री समरपाल सिंह की प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु शासन की नीति बनाये जाने श्री भारत सिंह रावत की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्बाध विकास हेतु सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित शासनादेश को रद्द किये जाने, डा० लक्ष्मी कान्त दाजपेयी की प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराये जाने, श्री संजय गर्ग आदि की प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के गठन की तथा श्री दद्दू प्रसाद की प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर को चालू किये जाने सम्बन्धी संकल्पों का स्थगन 176
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 177
नत्थियां 178-185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार 19 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजिम मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
केशव मेहरा, श्री	आगरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फतेह बहादुर, श्री	महाराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राकेश धर त्रिपाठी,	इलाहाबाद
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिव शंकर, श्री	बांदा
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संतराम सिंह, श्री	जालौन
सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 19 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

अयोध्या मन्दिर विवाद एवं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मुख्य मंत्री की सजा हो चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस अपराध में सजा की है, उस अपराध को वह बराबर दुहराने जा रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सर्वोच्च न्यायालय ने जिस अपराध में सजा की है, ...

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं । जब संविधान ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली है । आपने जिस प्रश्न को उठाया है, वह नियम 56 और नियम 311 में आया है, उसकी सूचना आयी है । एक मन्दिर के विवाद के सम्बन्ध में सूचना है, उसको प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है और दूसरी शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना है, वह भी आ गयी है । इनको हम प्रश्नकाल के बाद लेंगे और तब सभी माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे ।

(व्यवस्था)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथनामा दिया गया है कि मन्दिर को कोई खतरा नहीं होगा, उसके बावजूद भी इस सरकार ने मस्जिद को गिराने का काम किया और वही मुख्य मंत्री फिर दुबारा, जब कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है, बयान दे रहे हैं कि पत्थर तरासने का काम नहीं रुकेगा और मन्दिर वहीं पर बनेगा । ऐसी हालत में हम सदन को चलने नहीं देंगे, पहले आप इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर बहस करायें और स्थिति को स्पष्ट करायें । इस बयान से जो जनता में भय और दहशत उत्पन्न हो गयी है, उस स्थिति को भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सदन को चलने दीजिये, प्रश्न कल के पश्चात् हम इसको सुन लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पूरा सदन उद्वेलित है । जो प्रश्न उठाया गया है, वह बड़े महत्व का है क्यों कि इसका समाधान इसी सदन के द्वारा हो सकता है । माननीय मुख्य मंत्री ने जो शपथ लिया था 1991 में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया है । इसको पूरा प्रदेश जानता है । आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग कह रहे हैं कि मन्दिर का निर्माण वहीं पर होगा और मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि मन्दिर का निर्माण वहीं पर होगा, तो इससे महत्वपूर्ण और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, इसलिए आप नियमों को निलम्बित करके इसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि एक प्रकार से व्यवाहारिक दृष्टिकोण से आज पहला दिवस है, जब हम काम करने जा रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सर्वोच्च न्यायालय में शपथ लेने के बाद और जो मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है· और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मन्दिर वहीं पर बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रश्न से महत्वपूर्ण और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

विपक्ष के सभी सदस्यों की राय है और माननीय मुख्य मंत्री जी का जैसा आचरण है, जैसा कि पूर्व में भी आचरण रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं प्रश्नकाल को ले रहा हूं (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

तब किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होने देंगे जैसा यह कहते हैं मन्दिर वहीं पर बनेगा तो जब उसका निर्माण हो जायेगा और हम क्वेश्चन आवर के लिए बैठे रहें यह नहीं हो सकता । सदन के सभी नियमों को निलम्बित कर नियम–311 में इसकी सुनवाई किये बगैर किसी भी स्थिति में सदन नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

नोट :–[xxx] यह अंश आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृत धन के आवंटन एवं निर्गतीकरण के निर्देश

**1.-श्री राजधारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृत धन के आवंटन एवं निर्गतीकरण के कार्य को वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में पूर्ण करने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य में विलम्ब होने की प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने की क्या कार्य योजना बनायी गयी है ? क्या पी०एल०ए० में इसी धनराशि को अगले बजट सत्र में उपयोग न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

जी नहीं । चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम चार माहों के लिये लेखानुदान द्वारा प्राधिकृत धनराशियों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

अगले बजट में पी०एल०ए० की धनराशि के उपयोग न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अभी से परिकल्पना पर कोई कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है ।

प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को समाप्त करने की मांग

**2.-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 की समाप्त करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)-

आवश्यक वस्तु अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है । अतः इसकी धारा 3/7 को समाप्त करने का अधिकार भारत सरकार को है । राज्य सरकार को इसे समाप्त करने का अधिकार नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

*1.-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

[उत्तर शुक्रवार के लिए स्थगित ।

नोट :-उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय सोनभद्र का वार्षिक बजट एवं मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) डा० आशा मोहन के विरुद्ध जांच

*1–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय, सोनभद्र का वार्षिक बजट क्या है ? वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 का मदवार व्यय विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में चिकित्सालय में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कर करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाई गई है ? क्या सरकार मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) डा० आशा मोहन के विरुद्ध की गई जांच की आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-12-97 जोकि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

1–ओबरा तापीय परियोजना चिकित्सालय का वार्षिक बजट अलग से नहीं बनाया जाता है । इसका प्राविधान परियोजना के बजट में सम्मिलित कर लिया जाता है । चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में ओबरा तापीय परियोजना के बजट में चिकित्सालय हेतु रुपये 180.00 लाख का प्राविधान किया गया है ।

परियोजना के लेखों में चिकित्सालय में विभिन्न मदों पर हुये व्यय का मदवार विवरण नहीं रखा जाता है । इन तीनों वर्षों में ओबरा परियोजना चिकित्सालय का बजट प्राविधान तथा दवाओं, एक्सरे प्लेट, पट्टी, ड्रेसिंग इत्यादि पर निम्नवत् व्यय हुआ :–

वर्ष	बजट में प्राविधान (रु० लाख में)	विभिन्न मदों पर व्यय (लाख रुपये में)
1994–95	90.00	102.36
1995–96	110.00	94.67
1996–97	167.00	89.61

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जांच प्रक्रिया जारी है ।

पत्र में इंगित आरोपों की जांच हेतु समिति गठित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास परिषद् द्वारा पूर्ण आवेदन एवं निर्धारित अग्रिम जमा के बाद भूखण्ड/भवन आवंटन करने की नीति

*2–श्री गोपाल कृष्ण तथा श्री संजय गर्ग–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा पूर्ण आवेदन एवं निर्धारित अग्रिम धनराशि जमा करने के कितने दिन के अन्दर भूखण्ड/निर्मित भवन देने की नीति है ? क्या यह सही है कि कई हजार लोगों द्वारा सभी औपचारिक स्तर पूरा करने के बाद भी एक दशक से

भूखण्ड/आवास नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र भवन या ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश परिषद् को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मई, 1995 में जारी की गई तद्विषयक नीति में व्यवस्था है कि भवनों भूखण्डों हेतु तभी पंजीकरण आमंत्रित किये जाये जब अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में आवंटन किये जा सकते हैं।

यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में परिषद् की योजनाओं के अन्तर्गत 8918 वैध पंजीकृत आवेदक हैं। इन्हें भूखण्ड/आवास आवंटित न किए जाने का मुख्य कारण वांछित सम्पत्ति उपलब्ध न होना अथवा उपलब्ध सम्पत्ति के आवंटन हेतु उनकी सहमति प्राप्त न होना है। आवंटन हेतु सम्पत्ति उपलब्ध होने पर पंजीकृत आवेदकों को उस सम्पत्ति के उनको आवंटन हेतु उनकी लिखित सहमति प्राप्त होने, पर लाट्री से पंजीकरण दौर (वर्ष) की वरीयता के आधार पर सम्पत्ति आवंटन किये जाने की परिषद् की निर्धारित सतत् प्रक्रिया है।

पंजीकरण आवेदक जमा धनराशि को आवंटन से पूर्व किसी भी समय औपचारिकतायें पूरी कर अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में परिषद् के नियम तथा शासन के आदेश पूर्व से विद्यमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

काशी नगरी के गोदवलिया दशाश्वमेध, गिरिजाघर चौराहा, नई सड़क गुरुबाग मैदागिन आदि स्थानों में पानी भरने की समस्या एवं उसे दूर किये जाने की मांग

*3–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि काशी नगरी की हृदय स्थली गोदवलिया दशाश्वमेघ, गिरिजाघर चौराहा, नई सड़क गुरूबाग मैदागिन आदि क्षेत्रों में बरसाती पानी रुकने से कई घण्टे तक आवागमन अवरुद्ध होने के साथ ही दुकानों में पानी प्रवेश कर जाने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ? क्या जल जमाव क्षेत्रों की समस्या के निदान हेतु जल निगम तथा नगर निगम द्वारा शासन को भेजे गये योजना में उक्त क्षेत्रों की समस्या को शामिल करने और उसे दूर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गौदोलिया, दशाश्वमेघ, गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, गुरुबाग, मैदागिन आदि क्षेत्रों में बरसाती पानी रुके रहने से यह समस्यागत वर्ष उत्पन्न हुई थी क्योंकि इस क्षेत्र के दुकानदारों तथा भवन स्वामियों ने नालियों को पाटकर जल निकासी को अवरुद्ध कर रखा था।

नगर निगम, वाराणसी में अक्टूबर, 1997 से अभियान चलाकर महानगर की नालियों पर हुये अतिक्रमण को हटवाया गया तथा नालों, नालियों को साफ कराया गया। ट्रंक सीवर लाइनों तथा अन्य 16 इंच से ऊपर की साईज की सीवर लाइनों की सफाई युद्धस्तर पर कराई जा रही है जिससे आगामी बरसात में जल भराव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

नगर निगम द्वारा इस कार्य हेतु नगर निगम द्वारा जल निकासी की कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण व्यवस्था ठीक कराने हेतु सरकार द्वारा उपाय किये जाने की मांग

*4–श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

क्या सरकार को ज्ञात हैं कि वर्तमान समय में राज्य भयंकर विद्युत संकट से गुजर रहा है जिसके फलस्वरूप आम जनता के साथ ही उद्योग धन्धे भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण व्यवस्था दुरस्त कराने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत मांग के अनुरूप उपलब्धता न होने के कारण प्रदेश में विद्युत की कमी रहती है, जिसे उत्पादन बढ़ाकर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(I) विद्युत उत्पादन बढ़ाने के प्रयास निम्नवत् हैं :–

(अ) विद्युत परिषद् के विद्युत गृहों पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों का सम्पादन ।

(ब) टाण्डा तापीय विद्युत गृह की चतुर्थ 110 मे० वा० इकाई को वाणिज्यिक परिचलान से अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता ।

(स) नवीं योजना में 4522.84 मेगावाट की प्रस्तावित अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का सृजन ।

(II) परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण परिषद् के अतिरिक्त संसाधनों से वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु वृहद कार्य कराया जाना संभव नहीं है । फिर भी परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष निरन्तरता के आधार पर 33 के० वी० 11 के० वी० एवं एल० टी० के कार्य कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल, उत्तरांचल तथा बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए स्थापित निधि की भांति शेषांचल के लिए निधि स्थापित किये जाने की मांग

*5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार पूर्वांचल, उत्तरांचल तथा बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिये स्थापित निधि की भांति प्रदेश के शेषांचल (पचिम/मध्य/उत्तर) के विकास तथा अनुरक्षण के लिये भी निधि स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित पर्वतीय जनपदों के विकास हेतु उत्तरांचल विकास विभाग के माध्यम से अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है । जहां तक पश्चिमी और मध्य भाग के लिए निधि की स्थापना की बात है, क्षेत्रीय विषमताओं की स्थिति में उक्त भाग पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की अपेक्षाकृत अधिक विकसित है । अतः प्रदेश के सीमित संसाधनों एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुए अन्य निधियों की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित आवासीय कालोनियों में कार्य कर रहे नलकूपों को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सुपुर्द किये जाने की मांग

*6–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या आवास विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कितने नलकूप लखनऊ नगर में आवासीय कालोनियों में कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उनकी देखरेख एवं उनमें कार्य करने वाले आपरेटरों के वेतन अधिष्ठान आदि का कार्य ठेकेदारी प्रथा से चलाने के कारण पेयजल सम्पूर्ति एवं रख-रखाव में व्यापक गड़बड़ी हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये सम्पूर्ण कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण को सुपुर्द करने का निर्णय सरकार लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय कालोनियों में 65 नलकूप कार्य कर रहे हैं ।

नलकूपों के रख-रखाव का कार्य ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से किया जा रहा है परन्तु पेयजल की सम्पूर्ति एवं रख-रखाव की गड़बड़ी के संबंध में वर्तमान में सूचना नहीं है । जलापूर्ति बाधित होने पर उसे ठीक कराने की व्यवस्था है ।

यह कार्य प्राधिकरण के नियंत्रण में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत कैन्टोनमेन्ट रोड पर शनिवार को अनधिकृत रूप से लगाई जाने वाली "शनिवार बाजार" को अन्यत्र हटाये जाने की मांग

*7–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत कैन्टोमेन्ट रोड पर सदर रेलवे क्रासिंग से लेकर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के मध्य सड़क के दोनों ओर प्रत्येक शनिवार को अनाधिकृत रूप से "शनिवार की बाजार" लगायी जाती है ? क्या इसकी अनुमति नगर निगम, लखनऊ द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो उसकी सीमायें क्या निर्धारित की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त बाजार के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है ? क्या उक्त बाजार को कैन्टोमेन्ट रोड से अन्यत्र हटाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के सामने की सड़क जिसे सरोजनी नायडू मार्ग (हैवलक रोड) कहा जाता है, पर पशु चिकित्सा केन्द्र तक सड़क के दोनों तरफ शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगती है । उपरोक्त वर्णित स्थल पर शनिवार की साप्ताहिक बाजार लगाये जाने की अनुमति नगर निगम, लखनऊ द्वारा दी गई है ।

सरोजनी नायडू मार्ग पर पशु चिकित्सा केन्द्र तक सड़क के दोनों ओर ।

यह सही है कि बाजार के कारण शनिवार को सरोजनी नायडू मार्ग पर भीड़ अवश्य हो जाती है किन्तु आवागमन बाधित नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अनुमति कैन्टोमेन्ट रोड पर नहीं दी गयी है ।

मुहल्ला आलोक नगर (अहिबरनपुर), सीतापुर रोड, लखनऊ में पाइप लाइन में पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

*8–श्री श्रीराम पॉल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला आलोक नगर (अहिबरनपुर), सीतापुर रोड, लखनऊ में पाइप लाइन में पानी पहुंचाने हेतु पतंग वाला पार्क जोनल पम्पिंग स्टेशन खदरा में स्थिति दोनों अवर जलाशयों को जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है ? क्या त्रिवेणी नगर III में निर्माधीन नलकूप का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त मुहल्ले में पाइप लाइन में अब तक पानी न पहुंचाये जाने क्या कारण है ? कब तक उक्त मुहल्ले में पाइप लाइन से पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पतंग वाला पार्क जोनल पम्पिंग स्टेशन से खदरा में स्थित दोनों अवर जलाशयों को भरने के लिये फीडर मेन का कार्य पूरा हो गया है । खदरा के जलाशयों से पेयजल की आपूर्ति खदरा तथा डालीगंज क्षेत्रों में की जाती है ।

त्रिवेणीनगर फेज–III में एकता पुरम में नलकूप का कार्य पूरा हो गया है ।

मौसमबाग नलकूप को वितरण प्रणाली से जोड़कर आलोक नगर में पानी पहुंचाकर राहत प्रदान कर दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार वितरण प्रणाली से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ।

मेसर्स के० सी० सीमेन्ट 500 के० वी० ए० फूलपुर, मुरादाबाद को अमरोहो हस्तान्तरित करने से नियम विरुद्ध अनुबन्ध से परिषद् को हुई हानि के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*9–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि मेसर्स के० सी० सीमेन्ट 500 के० वी० ए० फूलपुर, मुरादाबाद को जनपद अमरोहा माह अक्टूबर, 1997 में पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया था और लगभग दो माह बाद दिसम्बर, 1997 में सम्बन्धित पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से नियम विरुद्ध 200 के० वी० घटाकर नया अनुबन्ध करा दिया गया है, जिससे परिषद् को लाखों रुपयों की हानि हुई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेसर्स के० सी० सीमेन्ट को विद्युत वितरण मण्डल प्रथम मुरादाबाद द्वारा 500 के० वी० ए० का विद्युत भार स्वीकृत किया गया था, जिसे उपभोक्ता के आवेदन पर 500 के० वी० ए० के स्थान पर 200 के० वी० ए० किया गया । परन्तु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा द्वारा उपभोक्ता का बिल 500 के० वी० ए० के अनुरूप ही जारी किया गया और उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयों का भुगतान न करने पर उसका संयोजन माह दिसम्बर, 97 में विच्छेदित कर दिया गया जो अभी तक विच्छेदित चल रहा है ।

परिषद् को वित्तीय हानि न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा के फलस्वरूप विस्थापित हुए जनपद अम्बेडकर नगर के कृषकों को सरकारी सेवा प्रदान किये जाने की मांग

*10–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युन नगर, टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर के कृषक उक्त परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित हुये हैं ? यदि हां, तो क्या विस्थापित कृषकों को सेवा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू कानपुर सिटी योजना का प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*11–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित की गयी है ? यदि हां, तो कब और उसका उद्देश्य क्या है ? क्या कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित समस्त भवनों का विक्रय/आवंटन हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कितने भवन इस हेतु शेष है और क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण की न्यू कानपुर सिटी योजना अभी भू-अर्जन के स्तर पर है । विकास कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

योजना का उद्देश्य नगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को नियोजित तरीके से सभी आवश्यक अवस्थापनाओं सहित विकसित किया जाना है, जिससे नगर की भविष्य की आवश्यकताएं पूरा हो सकें ।

जी नहीं ।

समस्त भवनों का आवंटन नहीं हुआ है । कुल 5858 भवन बिक्री हेतु शेष हैं, इनमें से अधिकांश भवन ई० डब्ल्यू० एस० श्रेणी के हैं, जो गंगापुर मछरिया, सनिगवां, तोदकपुर, बर्रा विनगवां, रतनपुर आदि योजनाओं में निर्मित हैं । यह योजना गांव सभा की उपलब्ध भूमि पर विकसित की गयी है एवं शहर की मूल आबादी से काफी दूर है । वर्ष 1991 से 95 के मध्य विकास कार्य बन्द रहने के कारण इन अवशेष भवनों की बिक्री प्रभावित हुई ।

*12—श्री राजधारी–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

*13—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[पहले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देश के महान्पुरुषों (मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद अशफाक उल्ला, सरदार भगत सिंह और अब्दुल हमीद) के नाम पर योजनायें चलाये जाने की मांग

*14–श्री उबैदुर्रहमान--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद महापुरुषों के नाम पर विकास की तमाम योजनायें चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद सरदार भगत सिंह और राष्ट्रभक्त वीर अब्दुल हमीद के नाम पर योजनायें चलाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इन महापुरुषों के नाम पर योजनायें चलायी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं सिविल अपील सं० 764/1993 उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं अन्य बनाम हरीओम शर्मा प्रकरण के आधार पर विद्युत अप्रेन्टिसों को नौकरी दिये जाने की मांग

*15–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 जून, 95 एवं सिविल अपील सं० 764/1993 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं अन्य बनाम हरीओम शर्मा प्रकरण के आधार पर विद्युत अप्रेन्टिसों को (प्रशिक्षण प्राप्त) मैदानी एवं पर्वतीय संवर्ग में नौकरी दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

परिषद् में सामान्य नियुक्तियों (आरक्षित वर्गों को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध लगा है । जब नई नियुक्तियां की जायेंगी तो अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले इन अभ्यर्थियों के प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली में भिन्नता के सम्बन्ध में जानकारी

*16–श्री समर पाल सिंह तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली शहरों से भिन्न है ? क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्रों में प्रति यूनिट चीनी का वितरण शहरी क्षेत्र से कम किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी नहीं ।

जी हां । प्रदेश में लेवी चीनी वितरण दर निम्नवत् है :

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 किलो ग्राम प्रति यूनिट	1 किलो ग्राम प्रति यूनिट

माह (शहरी क्षेत्र) प्रतिमाह ।

330 ग्राम प्रति

यूनिट प्रतिमाह

(ग्रामीण क्षेत्र)

उपरोक्त वितरण दर की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से दशकों से लागू है । अतः इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में हिल कैडर (पर्वतीय उप संवर्ग) लागू किये जाने की मांग

*17–श्री लाखी राम जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम में हिल कैडर (पर्वतीय उपसंवर्ग) लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा बार-बार हिल कैडर सभी विभागों में सख्ती से लागू करने की घोषणायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या जल निगम में हिल कैडर लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसे कब तक पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

उ० प्र० जल निगम में पर्वतीय उप संवर्ग लागू किये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है । इसे शीघ्र लागू कर दिया जायेगा ।

जी हां ।

जी नहीं । कार्यवाही अंतिम चरण में है ।

शीघ्र लागू किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शीघ्र लागू किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट एवं परिषद् को हानि तथा उपभोक्ताओं का शोषण होने की शिकायत

1–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं० 8 के अनुसार एनए/एनआर/आईडीएफ/आर०डी०एफ० एवं कम्प्यूटर रिपोर्ट नं० 13 एवं 14 के अनुसार परिषद् द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या यह सत्य है कि इसके परिषद् के राजस्व की हानि के साथ-साथ उपभोक्ताओं का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 25-1-95 जो कि सचिव, उ० प्र० रा० वि० प० को संबोधित था, पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं०–8 के आधार पर उपभोक्ताओं के संयोजनों की मीटर रीडिंग प्राप्त करने तथा बन्द/खराब मीटरों को बदलवाने की प्रक्रिया है । रिपोर्ट नं०–13 प्रत्येक बिलिंग आवृत्ति का लेजर होता है जिसमें बिलों का पूर्ण विवरण दर्शाया जाता है । इसे वितरण खण्डों में डुप्लीकेट बिल बनाने हेतु भी प्रयोग किया जाता है ।

रिपोर्ट नं०–14 में उन उपभोक्ताओं का विवरण होता है जिनके बिल किसी कारणवश उस आवृत्ति में नहीं बन पाते हैं । इसके आधार पर आवश्यकतानुसार ऐसे उपभोक्ताओं के परीक्षणोपरान्त बिल बनाये जाने की प्रक्रिया है एवं अगली आवृत्ति में सही स्थिति कम्प्यूटर को फीड करने की प्रक्रिया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री जयप्रकाश निषाद, श्री श्यामलाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैण के ग्राम–बादुला में विद्युतीकरण के कार्य पर हुए व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

3–श्री अजय भट्ट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भिकियासैण के ग्राम–बादुला में विभागीय अभिलेखों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य कब पूरा हुआ ? उक्त कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था तथा वास्तविक व्यय कितना हुआ ? उक्त विद्युतीकरण कार्य के अभिमुख (अगेस्ट) स्वीकृत धनराशि में से कितना व्यय कार्य पर तथा कितना व्यय उक्त कार्य पर लगे अधिष्ठान हेतु किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1981 एवं 1991 की जनगणना पुस्तिका में जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिकियासैंण में बादुला नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम–कौवापर के वेद प्रकाश पाण्डेय के नलकूप पर विद्युत तार टूटने से हुई क्षति एवं उसकी क्षतिपूर्ति किये जाने की मांग

4–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम कौवापर के वेद प्रकाश पांडेय के निजी नलकूप पर विद्युत तार टूटने से 14-5-92 को आग लगने से लगभग 33,000 रु० के गेहूं और उपकरण जल कर राख हो गये थे ? क्या संयुक्त निदेशक, विद्युत के पत्र संख्या मु० ई० वाराणसी/35–515 अग्निकाण्ड/92–93 द्वारा सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ से प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परन्तु श्री वेद प्रकाश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 1-6-92 में रु० 25,000 की क्षति ही दर्शायी गयी है।

जी हां।

जी नहीं।

परिषद् आदेश संख्या–1890 ई ए रा वि प/औ स 18/92-8 विविध दिनांक 26-9-92 में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्युतीय अग्निकाण्ड के कारण फसलों/सम्पत्ति को हुयी क्षति के संबंध में अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संस्तुति एवं जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर की जाती है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी है परन्तु जिलाधिकारी की आख्या अब तक प्राप्त न हो पाने के कारण अनुग्रह धनराशि अब तक स्वीकृत नहीं की जा सकी है। वांछित आख्या प्राप्त होते ही नियमानुसार अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में व्यवसायिक केन्द्र के चारों ओर किये गये अवैध कब्जों को हटाने विषयक विधायकों के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

5–श्री महराज सिंह यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र के चारों ओर किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में कितने विधायकों के पत्र मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव आवास, उ० प्र० शासन/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/अधिशासी अभियन्ता, कार्यखण्ड–7 लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1996 में प्राप्त हुये है ? क्या अवैध कब्जे हटा दिये गये ? यदि नहीं, तो अवैध कब्जे अब तक न हटाने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां। श्री राम प्रसाद चौधरी तथा श्री बीरेन्द्र सिंह, विधान सभा सदस्यों के दो पत्र प्राप्त हुये हैं।

जी हां। कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी स्थित व्यवसायिक केन्द्र परिसर के चारों ओर बांस टट्टर आदि जो अस्थाई कब्जे किये गये थे, उन समस्त कब्जों को हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इक्वेटर संगठन द्वारा पिछले वर्षों में की गई जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की निर्धारित प्रक्रिया

6–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इक्वेटर संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी जांचे की गयी ? आर्थिक/प्रशासनिक अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी ? ऐसे कितने मामले अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० के स्तर पर लम्बित है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इक्वेटर संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुल 119 शिकायतों की जांच की गई।

आर्थिक/प्रशासनिक या अन्य गम्भीर अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य रूप से मामले अग्रिम जांच एवं विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम, "उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा शर्तें) नियमावली, 1975" के अधीन गठित जांच समिति को सन्दर्भित किये जाते हैं, जो उ० प्र० शासन में प्रचलित सी० सी० ए० रूल्स में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधि संगत कार्यवाही सुनिश्चित करती है। साधारण एवं कम गंभीर मामलों में परिषद् स्तर पर ही सी०सी०ए० रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष स्तर पर सामान्यतः कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं रहता।

शिकायतों के सम्बन्ध में इक्वेटर संगठन से प्राप्त सभी जांचाख्यायें अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव/सम्बन्धित सदस्य अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाइयों/संगठनों को उनके सम्यक् अनुशीलन/परीक्षण तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया जाता है।

शिकायत में किसी आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की प्रवृत्ति एवं गंभीरता को देखते हुए ऊपर इंगित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। तदोपरान्त सी० सी० ए० रूल्स में विद्यमान दण्ड प्राविधानों के अनुसार अध्यक्ष अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लघु/वृहद दण्ड के आदेश पारित किये जाते हैं।

उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित पावर हाउस की कालोनी, सब-स्टेशन पर एवं पुराने पावर हाउस कालोनी के आवासों पर अवैध कब्जा होने तथा उसे हटाने की मांग

7–श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित पावर हाउस की कालोनी, सब-स्टेशन पर एवं पुराने पावर हाउस कालोनी के किन-किन आवासों पर बाहरी व्यक्तियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन श्रमिक संगठनों/संघ द्वारा अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप में पक्की इमारतें खड़ी कर दी हैं ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

7–कालोनी/सब-स्टेशन के किसी भी आवास पर बाहरी व्यक्तियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

किसी श्रमिक संगठन/संघ द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है। अनधिकृत निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मु० आ० (गोरखपुर क्षेत्र) में पहले से हुई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के तहत अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण तथा पुनः अम्बेडकर ग्राम परियोजना के तहत विद्युतीकरण किये जाने से दोहरे भुगतान की कार्यवाही किये जाने की जांच

8–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मु० आ० (गोरखपुर क्षेत्र) में वर्ष 1995 से मई, 1997 के मध्य जिलेवार कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? इन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 1993 के पूर्व ही कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण पहले ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के तहत 31-3-92 तक कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इन्हीं बस्तियों का पुनः विद्युतीकरण अम्बेडकर ग्राम परियोजना के तहत किया जा रहा है ? क्या एक ही कार्य के दोहरे भुगतान की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

8–वर्ष 1995 में 1-4-95 से मई, 1997 के मध्य गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जनपदवार अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण एवं उस पर व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	विद्युतीकृत अम्बेडकर ग्रामों की संख्या.	व्यय धनराशि (लाख में)
गोरखपुर	164	256.86
महराजगंज	31	80.18
देवरिया	48	97.45
पडरौना	30	145.50
बस्ती	84	240.71
सिद्धार्थनगर	25	131.89
योग	382	952.59

उपरोक्त ग्रामों में से कुल 22 ग्रामों (गोरखपुर–3, महराजगंज–9, पडरौना–2 एवं बस्ती में 8) का विद्युतीकरण ग्रा० वि० योजना के तहत वर्ष 1993 के पूर्व किया गया था।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश रा० वि० प० के अन्तर्गत मु० अ० (गोरखपुर क्षेत्र) में वर्ष 1980 से 1990 के मध्य छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मचारियों को रखे जाने की मांग

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत मु० अ० (गोरखपुर क्षेत्र) में वर्ष 1980 से 1990 के मध्य कुल कितने मस्टर रोल कर्मी की छटनी की गई ? कितनों को वर्ष 1989-90 के मध्य पुनः सिविल संस्था में समायोजित किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 में सिविल संस्था द्वारा 300 से अधिक मस्टर रोल कर्मियों को समायोजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को पहले समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980 से 1990 के मध्य कोई छटनी नहीं की गयी।

वर्ष 1989-90 के मध्य मुख्य अभियन्ता (जानपद) वितरण संगठन में किसी छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मी को समायोजित नहीं किया गया।

वर्ष 1989-90 में मुख्य अभियन्ता (जानपद) वितरण संगठन में कुल 158 मस्टर रोल कर्मियों को रखा गया जिसमें केवल 86 कर्मचारी गोरखपुर में रखे गये।

जी हां।

छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मचारियों ने समायोजन के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया। जानपद संगठन में मस्टर रोल पर रखे जाते समय छटनी शुदा कर्मचारियों की सूची भी उपलब्ध नहीं थी।

कोई नहीं।

जी नहीं।

राज्य विद्युत परिषद् ने इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नही लिया है क्योंकि परिषद् के मस्टर रोल सहित सभी नियुक्तियों (सीधी भर्ती) पर प्रतिबन्ध लगा है।

सरकार द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोयडा को निजी रूप में विद्युतीकरण करने के आदेश की जगह उसे पुनः अपने हाथ में लेकर किसानों को विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

10–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा का 3 वर्ष पूर्व निजी रूप में विद्युतीकरण करने के आदेश सरकार ने दिया था ? जिसके कारण किसानों एवं जनता को भारी समस्या उत्पन्न की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः अपने हाथ में लेकर किसानों को 18 घण्टे बिजली आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

समस्या की कोई सूचना नहीं है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर क्षेत्र में विद्युतीकरण किये गये ग्रामों की स्थिति एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विषय में प्रेषित श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के पत्र की बिन्दुवार स्थिति की जानकारी

11–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) में जनपदवार ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत अलग-अलग कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? कुल चयनित ग्राम कौन-कौन से हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया द्वारा भारी भ्रष्टाचार संबंधी करोड़ों रुपये की हानि के मामले में भानु प्रताप सिह वर्मा, सांसद ने दिनांक 23–6–97 को मा० मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष उ०प्र०रा०वि०प० को कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

गोरखपुर क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत अलग-अलग जनपदवार दिनांक 31-3-97 तक एल०टी०मेन्स लाईन बिछाकर विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद	ग्रा० वि० योजना	अम्बेडकर योजना	योग
गोरखपुर	1156	309	1465
महाराजगंज	694	72	766
देवरिया	1667	99	
पडरौना		56	1822
बस्ती	1168	178	1346
सिद्धार्थनगर	755	05	840
योग	5440	799	6239

चयनित अम्बेडकर ग्रामों की सूची काफी विस्तृत है जो मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु मामला परिषद् की सर्तकता शाखा को सौंप दिया गया है।

जनपद गाजियाबाद में मस्टर प्लान क्षेत्र में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों का मूल्यांकन

12–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद में मस्टर प्लान क्षेत्र में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों का मूल्यांकन दिनांक 23-4-88 के बोर्ड बैठक में क्या निर्धारित किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राजनगर डिस्ट्रिक सेन्टर में निर्मित आवासीय भवनों के मूल्य गणना के समय, भूमि के मूल्य की गणना क्यों नहीं की गई ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने रेजिडेन्शियल रेट न लगाकर कामिर्शियल रेट् लगाया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेक्टर 9, राजनगर गाजियाबाद में व्यवसायिक भूमि को श्री नसीम जैदी, श्री बी० एस० वेदी, आई०ए०एस० एवं श्री हर भजन सिंह आई०पी०एस० को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस दर से ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23-4-88 के निर्णय के अनुसार 5,90,000.00 डीलक्स श्रेणी एच०आई०जी० डुप्लेक्स भवनों का रु० 4,95,000.00 सामान्य श्रेणी के डुप्लेक्स भवनों का अनुमानित मूल्य निर्धारित किया गया था।

आवासीय भवनों के मूल्य में रुपया 2500/- प्रति वर्ग मीटर भूमि का मूल्य भी लगाया गया है।

क्षेत्रीय भू उपयोग व्यवसायिक होने के कारण व्यवसायिक दर लगायी गई है।

जी हां। श्री नसीम जैदी, श्री बी० एस० बेदी, आई० ए० एस० एवं श्री हर भजन सिंह आई० पी० एस० को आवासीय उपयोग हेतु भूखण्ड आवंटित किया गया था। क्योंकि इस क्षेत्र में इतने बड़े व्यवासायिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी तथा वर्षों से स्थल रिक्त था, क्षेत्र में दुकानों की कम आवश्यकता को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लगभग 3323 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 350 वर्ग मीटर् के आवासीय भूखण्ड सृजित करने का निर्णय दिनांक 5-5-1990 को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिया गया तथा उन्हें सेक्टर रेट की दुगनी दरों पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया, परन्तु आवंटियों के प्रत्यावेदन पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 3-9-1990 में सेक्टर दर की दुगनी दरों पर मूल्य लिये जाने के स्थान पर सेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर जमा करने का निर्णय लिया गया।

चूंकि ले आउट के भू उपयोग परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को है। इसलिए बोर्ड की बैठक दिनांक 5-5-1990 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को व्यवसायिक से आवासीय में परिर्वतन किया गया, तथा बोर्ड के निर्णय दिनांक 3-9-1990 के आधार पर सेक्टर रेट पर 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर जमा कर दर निर्धारित की गयी।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या तथा एवार्ड के रूप में दी जाने वाली राशि के निरस्त करने के कारणों की जानकारी

13–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री विद्या सागर गुप्त–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तृतीय शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 43 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 150 करोड़ रुपये वित्तीय व्यय का मदवार विवरण क्या

है ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय सचिवालय के अधिकारियों ने आंकड़ों में हेराफेरी की है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

व्यय का मदवार विवरण नहीं बनाया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला कटका कलां विकास खण्ड भरावन जिला हरदोई में कार्यरत कोटेदार श्री विनोद कुमार द्वारा पाठशाला कटका कलां के विद्यार्थियों हेतु खाद्यान्न वितरण में किये गये घपलों की शिकायत

14–श्री राम पाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला कटका कलां विकास खण्ड भरावन जिला हरदोई में बालकों (विद्यार्थियों) को बांटे जाने वाले सरकारी खाद्यान्न संबंधित कोटेदार ने न बांटकर फरवरी, 97 से सरकार से प्राप्त खाद्यान्न को बाजार में बेंच दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण न करने की शिकायत शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को करने पर मई, 97 में कोटेदार ने बाजार से सस्ता गेहूं खरीद कर स्टाक पूरा कर लिया और फर्जी मेडिकल सर्टीफिकेट बनवाकर दोहरी अनियमितता की है ?- क्या सरकार उपरोक्त कोटेदार का कोटा निरस्त करके अनियमितता एवं राजकीय खाद्यान्न में हेराफेरी करने के लिये उसे दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

ग्राम पंचायत कटका कलां विकास खण्ड भरावन में कार्यरत कोटेदार श्री विनोद कुमार द्वारा प्राइमरी पाठशाला कटका कला में बालकों/विद्यार्थियों को बांटे जाने वाला सरकारी खाद्यान्न फरवरी, 1997 से अप्रैल, 1997 तक उठाया गया है। जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि कोटेदार द्वारा विद्यार्थियों में उक्त उठाये गये खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कोटेदार की दुकान का अनुबन्ध पत्र आदेश दिनांक 01 अगस्त, 1997 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात प्रश्नकर्ता मा० विधायक की संस्तुति पर दिनांक 6 अक्टूबर, 1997 को राशन विक्रेता की समस्त जमानत की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए आपूर्ति बहाल कर दी गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा राशन कोटेदारों को माह में राशन वितरण के दिवसों का निर्धारण एवं जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में कोटेदारों द्वारा राशन वितरण की जानकारी

15–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राशन कोटेदारों को राशन वितरण हेतु माह में कितने दिन राशन वितरण के आदेश जारी किये गये हैं ? जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में राशन कोटेदारों द्वारा माह में कितने दिन राशन वितरण किया जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में राशन दुकानदारों द्वारा माह में मात्र एक या दो दिन राशन वितरण करके राशन समाप्त कहकर राशन की चोर बाजारी कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार माह में प्रतिदिन राशन दुकान खोले जाने के आदेश देते हुए इस बात की पुष्टि वितरण रजिस्टर की तिथियों से समय-समय पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

माह की प्रथम तारीख से 23 तारीख तक चीनी वितरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण किये जाने का प्राविधान है । जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के दुकानदार शासनादेश के अनुसार (बन्दी दिवसों को छोड़कर) खाद्यान्न का वितरण करते हैं । दुकानदारों द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से दुकानें खोलने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है । यदि कोई दुकानदार दुकान खोलने के नियमों का उल्लंघन करता है तथा वितरण में अनियमितता करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हरदोई में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

16–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हरदोई के सुधार किये जाने के संबंध में पत्र संख्या एम-3/60–9/हरदोई/96, दिनांक 23-12-96 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुसूचित वस्तुयें यथा खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी का तेल सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 1997 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा वितरण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर उसे पारदर्शी बनाने हेतु शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 द्वारा थ्री-स्टेज-चेकिंग की व्यवस्था की गई है । शासन के निर्देशानुसार ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों को निर्धारित समय पर खुलवाने व आवश्यक वस्तुओं के नियमानुसार वितरण को सुनिश्चित किया जा रहा है एवं शासनादेशों के उल्लंघन के प्रति त्वरित जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही की जाती है ।

जनपद महराजगंज के सिसवां और कप्तानगंज की विद्युत पारेषण लाइन की लम्बाई एवं विद्युत खम्भे और तार का उपयोग तथा लाइन से सामान चोरी का प्रकरण

17–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के सिसवां और कप्तानगंज के बीच में पारेषण लाइन काफी दिनों से उपलब्ध थी ? यदि हां, तो उक्त लाइन में कितने विद्युत खम्भे और कितना किलोमीटर तार का उपयोग किया गया था ? उक्त लाइन की वास्तविक लम्बाई क्या थी ? क्या उपरोक्त लाइन से सामान चोरी किये जाने की घटना हुई है ? यदि हां, तो कुल कितने प्रकरण पुलिस में दर्ज कराये गये है और कितनी राजकीय सम्पत्ति बरामद हुई ? उक्त लाइन पुनः कब चालू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त लाइन में 313 नग खम्भे तथा लगभग 91 किलोमीटर तार का उपयोग किया गया था ।

लाइन की वास्तविक लम्बाई 29.80 किलोमीटर थी ।

जी हां ।

कुल 5 प्रकरण पुलिस में दर्ज कराये गये हैं ।

लगभग 300 मीटर कन्डक्टर चोरी के स्थल पर ही बरामद करके चोरी से बचाया जा सका।

इस लाइन को पुनः चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि 33/11 के०वी० उपकेन्द्र सिसवां की सामान्य विद्युत आपूर्ति 132 के०वी० उपकेन्द्र महराजगंज से सीधे महराजगंज सिसवां लाईन द्वारा की जाती रही है और कप्तानगंज-सिसवां 33 के०वी० लाइन लिंक लाईन के रूप में प्रयोग की जाती थी। अतः कप्तानगंज सिसवां लाइन की उपयोगिता न होने के कारण इसे उखाड़ना प्रस्तावित है।

प्रदेश में श्रमिक कालोनियों के आवासों को व्यवसायिक भवन बनाने वाले अध्यासियों से बढ़ाकर किराया लिये जाने की मांग

18–श्री विश्वनाथ तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ सहित प्रदेश के सभी महानगरों में स्थित (विशेषकर लखनऊ) श्रमिक कालोनियों के आवासों को व्यवसायिक भवन बनाने वाले अध्यासियों के आवासों के किराये को सामान्य आवास से बढ़ाकर अलग करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि शहर में आवासीय भवनों की किल्लत के बाद भी पाण्डेय तालाब लेबर कालोनी में कई ऐसे आवास हैं जो अध्यासियों द्वारा एक दशक से ज्यादा समय मात्र अधिकार स्वरूप बना करके छोड़ रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अध्यासियों के भवनों को अवमुक्त कराने की कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फतेहपुर के कस्बा धाता कस्बा में विद्युत उपकेन्द्र चालू किये जाने की मांग

19–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर, जनपद फतेहपुर के धाता कस्बा में विद्युत उपकेन्द्र बन गया है ? यदि हां, तो वह कब तक चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस उपकेन्द्र को पोषित करने वाली 33 के०वी० लाइन के लगभग एक कि०मी० के निर्माण का कार्य स्थानीय ग्रामीणों की आपत्ति के कारण अवरुद्ध है समस्या के समाधान के पश्चात कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा सदस्य, श्री संजय गर्ग का अध्यक्ष, जल निगम को सम्बोधित पत्र एवं सूचना प्रेषण की जानकारी

20–श्री रामेश्वर सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1998 के दूसरे/तीसरे सप्ताह में विधान सभा सदस्य श्री संजय गर्ग ने अध्यक्ष जल निगम को पत्र लिखकर बारह बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी ? यदि हां, तो क्या जल निगम द्वारा मा० सदस्य को सूचना उपलब्ध करा दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि

नहीं, तो क्यों ? इसके लिये जिम्मेदार प्रबन्ध निदेशक को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संजय गर्ग, मा० सदस्य, विधान सभा का अध्यक्ष, जल निगम को सम्बोधित बारह बिन्दुओं का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपितु श्री संजय गर्ग, मा० सदस्य, विधान सभा का अध्यक्ष, जल निगम को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-3-1998 जिसमें 4 बिन्दु हैं, प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

मा० सदस्य का पत्र दिनांक 23-3-1998 जिसमें 4 बिन्दु हैं प्राप्त हुआ है । जिसके प्रत्युत्तर के संबंध में जल निगम से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है । तदोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अवैध नियुक्तियों के लिये दोषी अधिशासी अभियन्ताओं को सूक्ष्म दण्ड देने वाले प्रबन्ध निदेशक को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती किये जाने की मांग

21–श्री रामेश्वर सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के पत्र संख्या 2996(1)–9–3–97–56 मिस०/97, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 की आख्या के बिन्दु–1 के अनुसार सोलह हजार अवैध नियुक्तियों के लिये दोषी उन्तालिस अधिशासी अभियन्ताओं को सूक्ष्म दण्ड देने वाले प्रबन्ध निदेशक की सेवानिवृत्ति उपरान्त मिलने वाली सुविधाओं को निरस्त करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार आरोपित अधिशासी अभियन्ताओं को पुनः उचित दण्ड दिये जाने पर भी विचार करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इतना सूक्ष्म दण्ड दिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर हुआ था या जल निगम मुख्यालय स्तर पर हुआ था ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

उक्त निर्णय जल निगम मुख्यालय स्तर पर हुआ था ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक बछरावां ग्राम जलालपुर के दो पुरवे (पासिनपुरवा एवं चमरहिया) में स्वीकृति के बाद विद्युतीकरण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

22–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम जलालपुर ब्लाक बछरावां जनपद रायबरेली के दो पुरवे (पासिनपुरवा एवं चमरहिया) में वर्ष 1988 में विद्युतीकरण हेतु एक ट्रांसफार्मर तथा 13 पोल स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो एक दशक का अन्तराल बीत जाने के उपरान्त अभी तक उन पुरवों में विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार विद्युतीकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये उक्त विद्युतीकरण कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही इन पुरवों का विद्युतीकरण सम्भव है ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में नगरपालिका सण्डीला, हरदोई की सड़कों के बनाने हेतु उपलब्ध धन एवं सड़कों की मरम्मत की मांग

23–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997–98 में नगरपालिका सण्डीला, हरदोई की सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों की डामर रोड बनाने हेतु कुल कितना धन शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया ? क्या नगरपालिका द्वारा जिन सड़कों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराया गया था उन्हीं सड़कों की मरम्मत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1997–98 में नगरपालिका परिषद् सण्डीला को उनकी सीमा के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के अनुरक्षण, सुधार, नवीनीकरण एवं किनारे की नालियों के निर्माण हेतु रुपये 6,00,000/– का साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था ।

शासन द्वारा किसी सड़क विशेष के लिये धन आवंटित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका टूण्डला में पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्य योजना

24–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका टूण्डला में व्याप्त पेय जल समस्या के निदान हेतु शासन स्तर पर कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग लखनऊ में जल संस्थान द्वारा अवैध कनेक्शन दिये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

25–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग में जल संस्थान के दो नलकूप खराब होने के बाद भी अवैध कनेक्शन दिये जाने के कारण सचिवालय कालोनी में रहने वाले आवंटियों को निरन्तर जल अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर अवैध कनेक्शन लेने या देने वालों को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ जल संस्थान का एक नलकूप तथा दूसरा नलकूप लखनऊ विकास प्राधिकरण का है।

जल संस्थान द्वारा कोई अवैध जल संयोजन नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता चतुर्थ इकाई द्वारा पेयजल सम्पूर्ति के संबंध में स्वीकृत धन से अधिक व्यय करने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

26–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम द्वारा लखनऊ नगरवासियों को शुद्ध पेयजल सम्पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 में जितनी धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई थी ? क्या अधिशासी अभियन्ता चतुर्थ इकाई द्वारा उससे अधिक धन बिना शासन के स्वीकृति के व्यय करके वित्तीय अनुशासनहीनता की है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित अधिशासी अभियन्ता को भ्रष्टाचार के लिये तत्काल निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जल निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 व 1997-98 में लखनऊ नगरवासियों को शुद्ध पेयजल सम्पूर्ति हेतु चतुर्थ शाखा, उ० प्र० जल निगम लखनऊ को सौंपे गये कार्यों हेतु क्रमशः 103.40 लाख एवं रु० 702.25 लाख की धनराशि दी गयी थी। इस धनराशि के विरुद्ध मार्च, 1998 तक क्रमशः 98.62 लाख तथा 449.85 लाख रु० व्यय कर लिया गया है शेष धनराशि का कार्य प्रगति पर है।

उक्त के अतिरिक्त चतुर्थ शाखा जल निगम, लखनऊ द्वारा द्वितीय जलकल बालागंज, लखनऊ के रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में क्रमशः 153.87 लाख तथा 160.82 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई है।

बालागंज जलकल के रख-रखाव पर जो धनराशि व्यय की गई है उसकी जांच कराई जायेगी।

सेक्टर–16 इन्दिरा नगर लखनऊ में आवास विकास द्वारा निर्माणाधीन मैरेज हाल की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री राम ललित चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर–16 इन्दिरानगर, लखनऊ में आवास विकास द्वारा निर्माणाधीन मैरेज हाल की जांच एवं शीघ्र कार्य पूरा कराने के संबंध में उन्हें मार्च, 1988 के चौथे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

इस संबंध में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने हेतु निदेशक, गुण नियंत्रण कोष्ठ, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् को दिनांक 11-6-98 को निर्देशित कर दिया गया है।

सेक्टर–16/1447 इन्दिरा नगर के पास टूटे हुए मेन होल के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर 16/1447 इन्दिरा नगर नजदीक सुख बिल्डिंग के पास एक लम्बे समय से टूटे हुएं मेन होल को ठीक कराने के लिए उन्हें प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मार्च, 1998 के तीसरे या चौथे सप्ताह में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

कार्य प्रगति पर है। शीघ्र मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शिवानी बिहार कालोनी, कल्याणपुर, लखनऊ में आवास संख्या–डी–50 से लेकर आर० के० सैनी के आवास तक के लेपन मार्ग को विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री सन्तराम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि शिवानी बिहार कालोनी, कल्याणपुर लखनऊ में श्री राजेश कुमार कटियार के आवास संख्या डी०-50 से लेकर श्री आर० के० सैनी के आवास तक लेपन मार्ग 200 मीटर स्वीकृत है ? क्या उक्त स्वीकृत मार्ग का विस्तार कर उसे श्री जीत सिंह देव के आवास से लेकर श्री महादेव प्रसाद त्रिपाठी के आवास तक लगभग 200 मीटर लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण करायेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में श्री राम सिंह पवार, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनु० विकास समिति, शिवानी बिहार-सीमान्तनगर, कल्याणपुर, लखनऊ का पत्र दिनांक 18-3-98 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

जी हां।

गत वर्ष लगभग 2 कि०मी० कच्चे मार्ग पर खड़ञ्जा बिछाया जा चुका है। धनाभाव के कारण लेपन का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी, विकास खण्ड खेसरहा, ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम मेहनुआ का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

30–श्री अक्षयवर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा चिउटहा, विकास खण्ड खेसरहा, तहसील बांसी, जिला सिद्धार्थनगर के ग्राम चिउटहा का विद्युतीकरण कर दिया गया है किन्तु इसी गांव सभा के मेहनुआ गांव का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार गांव वालों की मांग को देखते हुए जनहित

में मेहनुआ गांव का विद्युतीकरण अविलम्ब किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य परिषद् के आंतरिक संसाधनों से कराया जाना सम्भव नहीं है । ग्रामों का विद्युतीकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिला स्तर पर चयन किये जाने पर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है ।

शासन द्वारा निर्धारित किसी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में ग्राम मेहनुआ के विद्युतीकरण का प्रस्ताव नहीं है ।

लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला जय प्रकाश नगर, मधुबन नगर, आजाद नगर आदि में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियों के निर्माण की मांग

31–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला जय प्रकाश नगर, मधुबन नगर, आजाद नगर आदि में नगर पालिका द्वारा नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है जिस कारण उपरोक्त तीनों मोहल्लों में गन्दा पानी भरा रहता है ? क्या उपरोक्त तीनों मोहल्लों में गन्दे पानी की निकासी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई सक्रिय कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

सांसद निधि एवं सभासद को आवंटित प्रतिवर्ष की धनराशि से विभिन्न स्थानों पर सड़क, नाली व खड़ञ्जा का कार्य कराया गया है । इसके अतिरिक्त "डूडा" द्वारा भी नाली खड़ञ्जा कार्य कराया जा रहा है ।

इन क्षेत्रों का सामान्यतया "ग्राउण्ड लेबेल" नीचा है, जिससे जगह-जगह तालाब व गड्ढे हैं व उनका पानी पूरे वर्ष पम्पों द्वारा निकाला जाता है । गन्दे पानी की निकासी हेतु विभिन्न स्थानों पर 10 पम्प लगे हैं जिनसे जल निकासी भूमिगत नाले में की जाती है । इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र की वृहद् योजना तैयार की गयी है जिसके प्रथम चरण में लगभग एक करोड़ की धनराशि से नाला निर्माण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी, कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर आई० एवं सेक्टर एच० को जोड़ने वाले जर्जर पुल (सम्पर्क मार्ग) को बनवाने की मांग

32–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी, कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर आई० एवं सेक्टर एच० जाने हेतु वी०आई०पी० रोड से लगा हुआ जो पुल (सम्पर्क मार्ग) है वह अत्यधिक टूटा-फूटा पड़ा है ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग को जनहित में ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के सेक्टर एच० में बन्द पड़े ओवर हेड टैंकों को मरम्मत करके चालू किये जाने की मांग

33–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के सेक्टर एच० में विगत वर्षों में बने पांच ओवर हेड टैंक से पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो सप्लाई किन कारणों से नहीं की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त ओवर हेड टैंकों से पानी रिसता है जिस कारण उन्हें चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ओवर हेड टैंकों की मरम्मत आदि कराकर उनसे पानी की सप्लाई की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं। सेक्टर एच० में मात्र एक ही ओवर हेड टैंक है जिससे पानी की सप्लाई की जा रही है।

.एक ही ओवर हेड टैंक है जिससे वाटर सप्लाई की जा रही है।

एक ही ओवर हेड टैंक चालू है एवं उससे पानी नहीं रिसता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गयी सम्पत्ति की जानकारी

34–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1975-76 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है। वर्ष 1975-76 में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किश्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त में कुल आय 603.09 लाख रुपये थी तथा इसी वर्ष में 544 भवनों का निर्माण एवं 1604 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों की बढ़ोत्तरी की गयी।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में की गयी बढ़ोत्तरी एवं आय का विवरण

35–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1977-78 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1977-78 में 104.500 एकड़ भूमि अर्जित की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किश्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में 396 भवनों का निर्माण कर एवं 280 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों की बढ़ोत्तरी की गयी है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1976–77 एवं वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय व परिसम्पत्तियों से की गई बढ़ोत्तरी की जानकारी

36–श्री बाल चन्द्र मिंश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1979-80 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979-80 में 233.600 एकड़ भूमि अर्जित की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किश्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में 3252 भवनों का निर्माण कर परिसम्पत्तियों की बढ़ोत्तरी की गयी है।

37–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1976-77 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है। वर्ष 1976-77 में विकास प्राधिकरण द्वारा 143.802 एकड़ भूमि अर्जित की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किश्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में 356 भवनों का निर्माण एवं 1141 भूखण्डों का विकास कर अपनी परिसम्पत्तियों की बढ़ोत्तरी की गयी है।

38–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1978-79 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है। वर्ष 1978-79 में विकास प्राधिकरण द्वारा 1.073 एकड़ भूमि अर्जित की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किश्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में प्राधिकरण में 578.24 लाख रुपये की आय हुई थी, उक्त वर्ष में 1010 भवनों का निर्माण कर तथा 1223 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी है।

39–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 33 के०वी०ए० सब स्टेशन "समाना" जिला गाजियाबाद के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 33 के०वी०ए० सब स्टेशन "समाना" जि०–गाजियाबाद के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-6-97 जो अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर मुख्य अभियन्ता (वितरण मेरठ) द्वारा क्या आख्या प्रस्तुत की गई ? कब तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

तकनीकी दृष्टि से ग्राम समाना, ब्लाक धौलाना, जिला गाजियाबाद में नया 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद् सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत गरीबों, दलितों के आवास हेतु योजना

41–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् सिरसागंज जनपद फिरोजादाद के अन्तर्गत गरीबों, दलितों के आवास हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महा प्रबन्धक अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र द्वारा किये गये घोटाले की जांच

42-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र द्वारा किये गये अरबों रुपये के घोटाले विषयक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 13-5-94 जो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पत्र दिनांक 13-5-94 का नहीं अपितु दिनांक 21-4-94 का प्राप्त हुआ है ।

जांच करके आवश्यक कार्यवाही के निर्देश राज्य विद्युत परिषद् को दिनांक 11-10-94 को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43-श्री तेजभान सिंह–

। तीसरे शुक्रवार तक के लिये स्थगित ।

44-श्री लोकपति त्रिपाठी–

। 2सरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

लखनऊ जल संस्थान द्वारा की गई विभिन्न वर्गों की नियुक्तियां/प्रोन्नति में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45-श्री राम अचल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के पत्र सं० 1792/सचिव/ल०ज०सं० व 1794/सचिव/ल०ज०सं० क्रमशः दिनांक 8-1-97 तथा पत्र संख्या 151 ए/सचिव/ल०ज० सं०, दिनांक 21-2-97 के अन्तर्गत किस-किस वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्तियां/प्रोन्नति की गई है ? क्या उक्त नियुक्तियां/प्रोन्नति करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कर्मचारियों का आरक्षण के अन्तर्गत प्रोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने और कौन-कौन से कर्मचारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ जल संस्थान के पत्र संख्या 1972/सचिव/ल०ज०सं० दिनांक 8-1-97 के द्वारा दो सामान्य तथा एक पिछड़ी जाति के विभागीय कर्मचारियों की कैशियर पद पर नियुक्ति पत्र संख्या 1794/सचिव/ल०ज०सं०/दिनांक 8-1-97 के द्वारा 2 पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की कैशियर पद पर प्रोन्नति तथा पत्र संख्या 151ए/सचिव, दिनांक 21-2-1997 के द्वारा दो सामान्य जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कैशियर पद हेतु अनुसूचित जाति के विभागीय कर्मचारियों का साक्षात्कार दिनांक 25-5-98 को लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान लखनऊ को उ०प्र० शासन का रिक्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद के संदर्भ में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

46–श्री राम अचल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय महाप्रबन्धक लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या 151/ए/सचिव/ल०ज०सं०, दिनांक 21-2-97 द्वारा नियुक्तियां/प्रोन्नति करते समय आरक्षण का ध्यान रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या लखनऊ/3276/लो०शि०–3, दिनांक 16-7-97 तथा लखनऊ/818/लो०शि०–3, दिनांक 18-8-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या रिक्त पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति की समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या 2323/उपसचिव, दिनांक 31-3-98 द्वारा की गई कार्यवाही उक्त दोनों पत्रों में उल्लिखित रिक्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद के संदर्भ में ही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति का एक मात्र उपलब्ध पात्र अभ्यर्थी निलम्बित है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है अतः एक पद अनुसूचित जाति हेतु रिक्त रखा गया है ।

जी नहीं ।

उक्त पत्र दिनांक 31-3-98 द्वारा द्वितीय श्रेणी लिपिक से प्रथम श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नति की गई है ।

नगरपालिका बस्ती के अन्तर्गत जयपुरवा गड़गोड़िया रोड की नाली के निर्माण की मांग

47–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में नगरपालिका, बस्ती के अन्तर्गत मार्च, 1998 के तीसरे सप्ताह में जयपुरवा गड़गोड़िया रोड की नाली के निर्माण के संबंध में उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोतीझील सचिवालय कालोनी एवं विद्युत कालोनी के मध्य भूखण्डों पर अवैध कब्जा व निर्माण तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

48–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी एवं विद्युत कालोनी के मध्य कितने भूखण्डों पर अवैध कब्जा/निर्माण हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि भवन संख्या जे०–5 पाण्डेय तालाब लेबर कालोनी का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि विद्युत कालोनी के बगल एवं जायसवाल नर्सिंग होम के मध्य कोई पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है जिसे शासन द्वारा स्वीकार करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा दायर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः अवैध निर्माण के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । लगभग 18 भवनों में अवैध निर्माण/कब्जे किये गये हैं ।

जी हां । भवन संख्या–5 में अनाधिकृत निर्माण कर दुकानें चलाई जा रही है ।

जी हां । अवैध निर्माण के विरुद्ध 1997 में वाद दायर किया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके हैं । नोटिस जारी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फतेहपुर के किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक विजयीपुर के ग्राम एकडला अम्बेडकर चयनित ग्राम को डामर रोड खेमकरनपुर से जोड़ने की मांग

49–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर के किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एकडला ब्लाक विजयीपुर को अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है ? क्या यह सही ग्राम एकडला को डामर रोड से जोड़ने का कार्य ग्राम सरौली होते हुए खेमखरनपुर से किया जाना सुनिश्चित था ? यदि हां, तो क्या सरकार एकडला ग्राम को डामर रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जी हां ।

जनपद फतेहपुर के किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में ग्राम एकडला अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है । ग्राम सभा एकडला को सरौली होते हुए खेमकरनपुर से जोड़ने हेतु शासनादेश संख्या 1067(1) ई/23-लो० नि०–11 दिनांक 30 मार्च, 1998 द्वारा डामर रोड से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त है, जिसे मार्च, 1999 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

जनपद फतेहपुर के ब्लाक धाता के अम्बेडकर ग्राम कबरा में स्थापित हैंडपम्पों की जानकारी

50-श्री मुरलीधर-

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बेडकर ग्राम कबरा ब्लाक धाता, जनपद फतेहपुर में हैण्ड पम्प स्थापित हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां पर स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी-

जनपद फतेहपुर के ब्लाक धाता के अम्बेडकर ग्राम कबरा में कुल 9 नग हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? उक्त हैण्ड पम्प 9 स्थानों पर स्थापित किये गये हैं। जिसका विवरण निम्नवत है :-

1-श्री बद्री भुजवा के घर के पास

2-श्री मो० अयूब के पास

3-श्री मोहन लाल के पास

4-माईन (मस्जिद) के पास

5-श्री जग्गन के पास

6-श्री राम स्वरूप के पास

7-श्री फागुल के पास

8-मस्जिद के पास

9-पसियौरा (दुर्गा के पास)

51-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया-

(उत्तर शुक्रवार के लिये स्थगित)

वर्ष 1988 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर श्री शिव प्रसाद को भूखण्ड आवंटित किये जाने विषयक आवास मंत्री को सम्बोधित मा० धनराज यादव, विधायक के पत्र के संबंध में जानकारी

52-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेक खण्ड गोमती नगर लखनऊ में विस्थापितों के कोटे में आवंटित भूखण्ड संख्या-2/826 को वर्ष 1988 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर आवंटित किये जाने के संबंध में आवास मंत्री को सम्बोधित श्री धनराज यादव विधायक का पत्र दिनांक 12-6-97 उनको प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि आवास विकास राज्य मंत्री ने अपने पत्र संख्या 2536/सामान्य/1997, दिनांक 11-8-97 द्वारा श्री शिव प्रसाद को वर्ष 1988 की दर पर उक्त भूमि समस्त नियमों को शिथिल करते हुये आवंटित करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस आदेश का अब तक पालन न होने का क्या कारण है ? उक्त भूमि वर्ष 1988 की दर पर श्री शिव प्रसाद को कब तक आवंटित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राधिकरण की आवंटन नीति के अनुसार दिनांक 11-11-94 को आवंटी के पक्ष में नियमानुसार भूखण्ड का आवंटित प्रचलित दर पर किया जा सकता है ।

प्राधिकरण की आवंटन नीति के अनुसार भूखण्ड के मूल्य की गणना आवंटन के समय प्रचलित दर पर नियमानुसार की गयी है ।

आलमबाग लखनऊ में सरदारी खेड़ा के अन्दर कुरियाना की गली नं०–3 की हरिजन बस्ती में सीवर व्यवस्था को जोड़ने की मांग

53–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आलमबाग लखनऊ में सरदारी खेड़ा के अन्दर कुरियाना की गली नम्बर–3 (लच्छू वाली गली) की हरिजन बस्ती में सीवर लाइन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वहां पर गन्दगी से मुहल्ले में भयंकर बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरदारी खेड़ा से ओम नगर जाने वाली मेन सीवर लाइन में वहां की सीवर व्यवस्था को जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

आलमबाग क्षेत्र में कोई सीवर परियोजना नहीं है किन्तु इस कारण किसी भयंकर बीमारी के फैलने की सूचना शासन को नहीं है ।

वर्तमान में लखनऊ नगर के 1/3 भाग में सीवर लाइन है । शेष 2/3 भाग में सीवर लाइन नहीं है । जब तक पूरे क्षेत्र की सीवर व्यवस्था की योजना एक साथ नहीं बनायी जायेगी । तब तक किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी सीवर लाइन बिछाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

लखनऊ के अलीगंज के चेतराम मंदिर के सामने ग्रीन बेल्ट से अराजक तत्वों का कब्जा हटाने की मांग

54–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज लखनऊ के चेतराम मंदिर के सामने ग्रीन बेल्ट से अराजक तत्वों का अनाधिकृत कब्जा हटवाने विषयक संसदीय कार्य मंत्री का पत्र दिनांक 16-4-97 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अनाधिकृत कब्जा कब तक हटवायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

अलीगंज लखनऊ के चेतराम मंदिर के सामने ग्रीन बेल्ट पर हुए अनाधिकृत कब्जों को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हटाया जा चुका है कब्जा मुक्त करायी गयी भूमि को बार्बेड वायर से घेरकर उसमें भूमि का प्राधिकरण की सम्पत्ति होने विषयक बोर्ड भी लगाया जा चुका है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर आई में सड़क, नालियों आदि का निर्माण किये जाने की मांग

55–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना के सेक्टर आई में सड़क, नालियों आदि का निर्माण प्राधिकरण द्वारा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेक्टर में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण कराया जायेगा जिससे वहां के निवासियों की असुविधा का समाधान हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । कानपुर रोड योजना के सेक्टर "आई" में नाली एवम् सड़कों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा कराया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर योजना के सेक्टर आई में बने एल० आई० जी० भवनों का लाटरी द्वारा विक्रय एवं नकद क्रय पर किये गये भवनों के मूल्य को समान किये जाने की मांग

56–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के अन्तर्गत सेक्टर आई में बने एल० आई० जी० भवनों जो लाटरी द्वा एवं नकद क्रय पर विक्रय किये गये हैं, की कीमत में अन्तर है ? यदि हां, तो जब गुणवत्ता में एक ही प्रकार के उक्त भवन हैं तो, इनमें लाटरी द्वा एवं नगद क्रय किये गये भवनों के मूल्य में अन्तर होने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि लाटरी द्वा द्वारा विक्रय किये गये उक्त एल० आई० जी० भवनों के आवंटियों को रजिस्ट्री के समय धनराशि वापस की गयी है ? यदि हां, तो क्या नकद क्रय किये गये आवंटियों को भी धनराशि वापस की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

मूल्य वृद्धि का औचित्य मुख्यतः लाटरी द्वा द्वारा विक्रय किये गये भवनों एवं नकद मूल्य पर विक्रय किये गये भवनों के समयावधि में भूमि के मूल्य में वृद्धि एवं विनियोजन पर ब्याज से है ।

जी हां । जिन भवनों का निर्माण अपूर्ण था उन आवंटियों की कुछ धनराशि वापस की गयी है ।

यदि किसी आवंटी को नकद क्रय पर पूर्ण भवन की लागत लेकर अपूर्ण भवन दिया गया है अथवा दिया जायेगा तो धनराशि वापस की जायेगी ।

आवेदन करने पर, अन्यथा निबन्धन के पश्चात् धनराशि यदि अधिक जमा होगी तो वापस की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के सेक्टर आई एवं सेक्टर एच में सीवर समस्या को हल किये जाने की मांग

57–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के सेक्टर आई एवं सेक्टर एच में सीवर की भयंकर समस्या है ? क्या यह सही है कि सीवर लाइन में बने हुये मेनहोलों को प्राधिकरण द्वारा ढक्कन नहीं रखे गये हैं जिस कारण मेनहोलों में ईंट, पत्थर, कचरा आदि भर जाने से वह ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पर यहां तक कि बरसात में सीवर का गन्दा पानी उक्त सेक्टर के भवनों में प्रवेश कर जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेक्टरों के निवासियों की उक्त समस्या का समाधान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी के सेक्टर आई एवं सेक्टर एस० को जाने वाले अधूरे मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

58–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, आवासीय कालोनी के सेक्टर आई एवं सेक्टर एस को जाने वाला रास्ता जो वी० आई पी० रोड से पकरी के पुल होकर जाता है, का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूखण्ड पकरी पुल का जिसका कुछ हिस्सा (लगभग 30-35 मी०) सिंचाई विभाग के भूखण्ड में आता है जिस कारण दोनों विभागों में विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण किस विभाग द्वारा कराया जायेगा और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । कानपुर रोड योजना में कोई सेक्टर "एस" नहीं है बल्कि सेक्टर "एच" व "आई" है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मौरावां, जनपद उन्नाव में पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर पर देय ब्याज के सम्बन्ध में जानकारी

59–श्री अतुल कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल मन्नान, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ ही श्री हरिश्चन्द्र पुत्र स्व० महाबीर सिंह ग्राम लोनियन खेड़ा मौरावां, जनपद उन्नाव का पत्र दिनांक

25-3-98 जो मौरावां जनपद उन्नाव के पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर पर देय ब्याज के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में संलग्न शासनादेश एवं उसमें परिषद् के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या संबंधित प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर इसका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में संलग्न शासन आदेश में निहित प्राविधानों एवं भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में परिषद् की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे ।

जी हां । जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से स्पष्ट/पूर्ण जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

पूर्ण जांच जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा । अतः इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 एवं 1984-85 में विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों में की गयी बढ़ोत्तरी की जानकारी

60–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1984-85 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृत/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 7578 भवनों का निर्माण कर एवं 5100 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी गयी ।

61–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टंण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1982-83 में 59 एकड़ भूमि अर्जित की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृत/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 3880 भवनों का निर्माण कर एवं 1886 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

62–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1980-81 में 414.93 एकड़ भूमि अर्जित की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृत/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 5074 भवनों का निर्माण कर एवं 501 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

63–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-82 में 46.450 एकड़ भूमि अर्जित की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृत/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 1750 भवनों का निर्माण कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1983-84 में विभिन्न स्रोतो से प्राप्त आय एवं परिसम्पत्तियों में की गयी बढ़ोत्तरी की जानकारी

64–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1983-84 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का ही अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1983-84 में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृत/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 4284 भवनों का निर्माण कर एवं 4707 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत उपकेन्द्र पलरा, जसपुरा के अधिकांश लाइनों के खराब होने के बावजूद विद्युत बिलों को भेजे जाने की शिकायत

65–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी अन्तर्गत उपकेन्द्र पलरा, जसपुरा के अन्तर्गत अधिकांश गांव की विद्युत लाइनें बेकार पड़ी हैं ? क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं को लगातार बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर बिजली के बिल माफ किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषद् द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना है । अतएव बिल माफ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी के सी० ब्लाक के भूतल में रहने वाले आवंटियों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

66–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में सी० ब्लाक के भूतल में रहने वाले कुल कितने आवंटियों ने अवैध निर्माण करवाया है ? क्या सरकार उनके अवैध निर्माण को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी के सी–ब्लाक के आवंटियों में से 07 (सात) आवंटियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाया गया है ।

जी हां ।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाने वाले आवंटियों को नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26ए (5) के अन्तर्गत अधिग्रहीत करने हेतु नोटिस जारी कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में चक्कर रोड को पिचरोड बनाये जाने के विचाराधीन प्रस्ताव हेतु धन उपलब्ध कराये जाने की मांग

67–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में चक्कर रोड की पिच रोड बनाए जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देकर चक्कर रोड बनाए जाने हेतु धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में मूसेपुर से नुसरत मंजिल भजरैला होते हुए चक्कर रोड को मिलाने वाली जीर्ण सड़क को डामर रोड बनाये जाने की मांग

68–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में मूसेपुर से नुसरत मंजिल भजरैला होते हुए चक्कर रोड को मिलाने वाली सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं एवं बरसात में जल भराव के कारण उक्त सड़क पर यातायात बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क पर पानी की निकासी हेतु एक पुलिया सहित डामर रोड बनाने हेतु सरकार सड़क कोष से आवश्यक धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

चक्कर रोड बन जाने के कारण इस मार्ग पर विगत कई वर्षों से आवागमन नहीं होता है ।

जी नहीं ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के फलस्वरूप सड़क अनुदान में दी जाने वाली वित्तीय सहायता समाप्त कर दी गई है ।

टूण्डला रेलवे स्टेशन से टूण्डला चौराहा तक विशिष्ट मार्ग घोषित किये जाने की मांग

69–श्री शिव सिंह चक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टूण्डला रेलवे स्टेशन से टूण्डला चौराहा तक के मार्ग को विशिष्ट मार्ग घोषित करने पर शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में लगाये गये खराब इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों को ठीक किये जाने की मांग

70–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में वर्तमान समय में कितने हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–2 लगाये जा चुके हैं ? उनमें से कितने खराब चल रहे हैं ?

क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को तत्काल ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में उ० प्र० जल निगम द्वारा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1081 नग एवं नगरीय क्षेत्र में 311 नग अर्थात् कुल 1392 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में 20 नगर एवं नगरीय क्षेत्र में 29 नग अर्थात् कुल 49 नग हैण्ड पम्प खराब हैं।

जी हां।

जून, 1998 तक ठीक कराने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित नेहरू नगर पार्क (मोती नगर के पास) की सफाई किये जाने की मांग

71–श्री अफजल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ में स्थित नेहरू नगर पार्क (मोती नगर के पास) की सफाई नहीं कराई जा रही है और विभाग के अधिकारियों ने पार्क में कुछ लोगों को भैंस पालने हेतु जमीन दे रखी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी सफाई न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त पार्क नेहरू नगर की सफाई कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत स्थल की सफाई का कार्य चल रहा है।

इस पार्क में किसी भी व्यक्ति को भैंस पालने हेतु जमीन नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा "बी" तापीय परियोजना के साईट पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य में थर्मल डिजाइन द्वारा किये गये "टर्न की" आधार पर निर्माण की लागत आदि का विवरण

72–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा "बी" तापीय परियोजना के साईट पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य में थर्मल डिजाइन द्वारा किये गये "टर्न की" आधार पर निर्माण हेतु लागत क्या थी तथा अनुबन्ध की गयी शर्तें थी ? क्या अनुबन्ध के अतिरिक्त साईट के अधिशासी अभियन्ता एवं परामर्शी ने अतिरिक्त कार्य भी करा लिया है ? यदि हां, तो कुल लागत में अतिरिक्त कुल कितनी वृद्धि हुई ? क्या यह सत्य है कि कार्य के अनुबन्ध में सड़क का निर्माण कार्य सम्मिलित था ? यदि हां, तो अन्य ठेकेदार से कार्य कराकर लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो परिषद् को हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा "बी" तापीय परियोजना के साईट पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य में थर्मल डिजाइन द्वारा "टर्न–की" आधार पर किये गये अनुबन्ध की कुल लागत रु० 84.00 लाख थी ।

अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य जिसमें डिजाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल उपकरणों की मरम्मत एवं आपूर्ति सिविल एवं इलेक्ट्रिकल का पूर्ण कार्य तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक संयंत्र को चलाना एवं मेन्टेन करना भी सम्मिलित है ।

जी हां, अनुबन्ध में इंगित कार्यों के अतिरिक्त एक नग सेकेन्ड्री सेडीमेन्टेशन टैंक का निर्माण कार्य भी कराया गया ।

इस अतिरिक्त कार्य कराने के फलस्वरूप लागत में रु० 2,82,557.00 की वृद्धि हुई ।

अनुबन्ध में बैटरी लिमिट जो कि यूनिट से बाहरी किनारे से 5 मी० है कि अन्दर सड़क निर्माण का करना सम्मिलित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

विशाल खण्ड–1 गोमती नगर लखनऊ में म० नं०–1/843 के सामने लगे अवैधानिक कनेक्शन को कटवाकर लीकेज ठीक किये जाने की मांग

74–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री को ज्ञात है कि विशाल खण्ड–1 गोमतीनगर लखनऊ में मकान नं०–1/843 के सामने लगे पानी के कनेक्शन में लीकेज होने के कारण जल भराव की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैधानिक कनेक्शन को तत्काल कटवा कर लीकेज ठीक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पानी के कनेक्शन में लीकेज को ठीक करा दिया गया है ।

विकास खण्ड–1 गोमतीनगर लखनऊ के ई–डब्लू–एस के आवासीय मकानों को तोड़कर व्यवसायिक उपयोग हेतु बनाये जाने पर की गई कार्यवाही

75–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि डिगडिगा गांव एवं उजारियांव गांव के बीच स्थित विशाल खण्ड–1 गोमतीनगर लखनऊ के ई–डब्लू–एस के आवासीय मकानों में एक से लेकर चार कुल पांच दुकानें निकालकर आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन मकानों को व्यावसायिक उपयोग हेतु सरकार ने अनुमति प्रदान कर आवंटित किया है ? इनसे कितनी धनराशि व्यावसायिक उपयोग हेतु प्राधिकरण खाते में जमा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या

सरकार ऐसी समस्त दुकानों को तुड़वाकर आवासीय उपयोग हेतु ही सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

विशाल खण्ड लखनऊ में ई०डब्लू०एस० भवन संख्या–1/757, 1/791 के भवन स्वामी द्वारा उक्त भवन को पांच भागों में विभक्त कर बिना अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से दुकान का निर्माण कराया गया है जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की गयी है । अतः दुकानों के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता है । अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । इसलिये कोई धनराशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता है । ध्वस्तीकरण का वाद प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है ।

विहित प्राधिकारी न्यायालय में विचाराधीन वाद में निर्णय के उपरान्त ध्वस्तीकरण व आवंटन की कार्यवाही सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशाल खण्ड–1 गोमतीनगर लखनऊ के म० नं०–1/812 से 1/818 के सामने बने पार्क से अवैध कब्जा हटाकर किये गये विकास कार्य की जानकारी

76–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि विशाल खण्ड–1 गोमतीनगर लखनऊ के मकान नं०–1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क से गांव वालों का अनधिकृत कब्जा हटवाकर पार्क को विकसित करने हेतु 80,000/- रुपया वर्ष 1992-93 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत धनराशि से पार्क में कौन-कौन से विकास के कार्य किये गये हैं ? पार्क से अनधिकृत कब्जा न हटवाने एवं उक्त धनराशि से पार्क में कोई विकास कार्य न करने वालों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1994–95 में भवन सं० 1/812, 1/818 के सामने स्थित पार्क को विकसित करने हेतु रुपया 29,200/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा इस धनराशि से स्थल पर अनाधिकृत कब्जे हटाकर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट लगाने का कार्य किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिवानी बिहार कल्याणपुर लखनऊ की कालोनी में सीपेज तथा सीवर की निकासी हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग

77–श्री अक्षयवर लाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ जिसकी आबादी अधिक होने के फलस्वरूप वहां पर सीपेज एवं सीवर निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह-जगह

पर गन्दा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप तथा दुर्गन्धमय वातावरण बना हुआ है ? क्या शहर की सुदृढ़ सीपेज व्यवस्था हेतु उक्त कालोनी के समीप वृहद् बजट से एक बड़े नाले का निर्माण किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त नवनिर्मित नाले में जोड़कर उक्त कालोनी की सीपेज तथा सीवर की निकासी हेतु सुचार व्यवस्था सुलभ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

यह सत्य है कि शिवानी विहार, कल्याणपुर लखनऊ में सीपेज एवं सीवर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु इस कारण कोई बीमारी फैलने की सूचना नहीं है ।

जी नहीं । नाले का निर्माण सीवर निकासी के लिये नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 85-86 में विभिन्न स्रोतों द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति तथा बढ़ोत्तरी की गयी परिसम्पत्तियों की जानकारी

78–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्ति में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985-86 में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 1504 भवनों का निर्माण कर एवं 2925 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 86-87 में विभिन्न स्रोतों से अर्जित कर बढ़ोत्तरी की गयी सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों की जानकारी

79–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986-87 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 4011 भवनों का निर्माण कर एवं 2430 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 87-88 एवं 88-89 तथा 89-90 में विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गयी सम्पत्ति एवं बढ़ोत्तरी की गयी परिसम्पत्तियों की जानकारी

80–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987-88 में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 2826 भवनों का निर्माण कर एवं 322 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

81–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988-89 में कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण से वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 6005 भवन का निर्माण कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

82–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में विभिन्न स्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1989-90 में 101 एकड़ भूमि अर्जित की गयी तथा सीलिंग विभाग 823896.560 वर्ग मी० भूमि का कब्जा भी प्राप्त हुआ था ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्त्रोत थे । उक्त वर्ष में 3416 भवनों का निर्माण कर एवं 1360 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गयी ।

मुहल्ला सराय हसनगंज लखनऊ में उमराव सिंह कोठी से लगी लेन से सीवर लाइन बनाकर बाबूगंज पार्क के सीवर लाइन से जोड़े जाने की मांग

83–श्री राजधारी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मुहल्ला सरांय हसनगंज लखनऊ में उमराव सिंह कोठी से लगी लेन में सीवर लाइन न होने के कारण व्याप्त जल भराव एवं गंदगी से भयंकर बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाबूगंज पार्क से लगी सीवर लाइन में उक्त रोड की सीवर लाइन को जोड़ने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

यह सत्य है कि उमराव सिंह की कोठी से लगी लेन में सीवर लाइन नहीं है। परन्तु वहां पर व्यापक जलभराव नहीं है तथा न ही कोई गन्दगी से बीमारी फैलने की सम्भावना है।

वर्तमान में लखनऊ नगर के 1/3 भाग में सीवर लाइन है शेष 2/3 भाग में सीवर लाइन नहीं है। प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण अभी यह कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद वाराणसी तथा चन्दौली जनपद में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से चीनी व मिट्टी के तेल को रेट से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत एवं जांच

84–श्री छब्बू पटेल–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसरांय जनपद वाराणसी तथा चन्दौली जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी मिट्टी का तेल व चीनी सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी की दुकान पर रेट से अधिक मूल्य लेकर बेचा जा रहा है ? क्या यह सही है कि जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी व चन्दौली द्वारा रुपये 150/- प्रति ड्रम मिट्टी का तेल रुपये 100/- प्रति बोरा चीनी पर अधिक लिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर इस प्रकरण की जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज रिजवी–

इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा आई० जी० जोन गोरखपुर के आवास से इलाहाबाद बैंक होते हुये यमुना लाल बजाज पार्क तक सड़क का नामकरण यादवेन्द्र सिंह मार्ग रखे जाने की मांग

85–श्री राजीव कुमार सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे मंगलवार के अता० प्र० सं०–58 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर की इलाहाबाद बैंक से बजाज पार्क तक के मार्ग का नाम पूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा श्री यादवेन्द्र सिंह के नाम से रखने हेतु प्रचलित व्यवस्था में नामकरण का अधिकार नगर निगम में निहित होने के कारण शासन से औपचारिक अनुरोध नगर निगम सभा, गोरखपुर को भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के संदर्भ में दिनांक 19-4-95 को गोरखपुर नगर प्रमुख द्वारा मुख्य मंत्री को कोई संस्तुति भेजी गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

गोरखपुर नगर की इलाहाबाद बैंक से बजाज पार्क तक के मार्ग का नाम पूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा श्री यादवेन्द्र सिंह के नाम से रखने हेतु प्रस्ताव मुख्य नगर अधिकारी द्वारा नगर निगम सदन को दिनांक 31-7-97 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सदन द्वारा नामकरण की स्वीकृति दिए जाने पर नामकरण किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

सड़क के नामकरण करने हेतु नगर निगम स्वयं सक्षम है इस हेतु शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हैं।

जनपद बलिया के नगर पंचायत अध्यक्ष बिल्थरा रोड के श्री अशोक कुमार के विरुद्ध चल रही जांच के सम्बन्ध में जानकारी

86–श्री सुधाकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज़नपद बलिया के नगर पंचायत अध्यक्ष बिल्थरा रोड के श्री अशोक कुमार के विरुद्ध कितनी जांचें चल रही हैं ? क्या यह सही है कि जांच चलने एवं दोषी पाये जाने के बावजूद भी उनको वित्तीय अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय अधिकार सीज करने एवं जांच पूर्ण होने तक पद से हटाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष, नगर पंचायत बिल्थरा रोड के विरुद्ध एक जांच चल रही है।

जांच कार्यवाही पूरी होने के उपरान्त दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना भवन के बगल में नाले के पास बने अवैध निर्माण एवं उसके जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

87–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी है कि योजना भवन के बगल में नाले पर बने पुल पर एवं उसके पास कुछ लोगों ने अस्थायी निर्माण एवं मकान बनवा लिये हैं ? क्या उक्त मकानों के नक्शे लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर द्वारा अनुमोदित है ? उक्त पुल और उसके पास सड़क की चौड़ाई क्या है ? क्या यह सही है कि मकान बनाने वाले लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर निगम के कर्मचारी हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अतिक्रमण हटाओ अभियान से बच जाते हैं ? क्या उक्त क्षेत्र में अतिक्रगण हटाओ अभियान चलाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये विकास प्राधिकरण/नगर के कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध कार्यवाही करके कब तक उक्त अतिक्रमण हटा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं ।

पुल की चौड़ाई 32 फुट 3 इंच तथा सड़क की चौड़ाई 27 फुट 8 इंच है ।

जी नहीं ।

कुछ ही व्यक्ति नगर निगम/लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

सड़क पटरी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान सरोजनी नायडू मार्ग पर दिनांक 14-10-97 एवं 22-4-98 को चलाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि स्वामित्व की पुष्टि के उपरान्त अतिक्रमण सिद्ध होने की स्थिति में विभिन्न विभागों के समन्वय से संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० जल निगम के निर्माण इकाई–4 लखनऊ की वित्तीय वर्ष 97–98 में शासन द्वारा स्वीकृत धन से अधिक धन अधिशासी अभियन्ता द्वारा खर्च किये जाने की शिकायत

88–डा० अशोक बाजपेई–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम के निर्माण इकाई–4 लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1997-98 में कितना रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इकाई के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना शासन की स्वीकृति के करोड़ों रुपया अधिक व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० जल निगम निर्माण इकाई–4 लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1997-98 में पेयजल/सीवर कार्यों हेतु 715.45 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके सापेक्ष मार्च, 98 तक 452.15 लाख रु० व्यय कर लिया गया है । शेष धनराशि का कार्य प्रगति पर है ।

द्वितीय जलकल बालागंज, लखनऊ के रख-रखाव पर 160.82 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई है ।

इसकी जांच करायी जायेगी ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड मदपुरा के ग्रामों जिगनियां भगवन्तपुर, विलासनगर आदि के विद्युतीकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

89–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड मदपुरा के ग्रामों जिगनियां भगवन्तपुर, विलासनगर मुदया जगरूप का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसमें शिथिलता बरतने वालों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा उक्त ग्रामों में तत्काल विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण निम्नानुसार कराया गया था–

(1) जगनिया भगवन्तपुर	1/82
(2) विलास नगर	6/81
(3) मुदया जगरूप	5/81

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुदया जगरूप में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है ।

ग्राम विलासनगर व ग्राम जगनिया भगवन्तपुर से सम्बन्धित लाइन के तार पूर्व में चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है । इन दोनों ग्रामों में कोई वैध विद्युत कनेक्शन न होने के कारण लाइन के चोरी गये तारों के स्थान पर नये तार नहीं लगाये गये हैं ।

90–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

(1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

91–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

(1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

92–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

(1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

जनपद बलिया के नगर पंचायत बिल्थरा रोड में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

93–श्री सुधाकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के नगर पंचायत बिल्थरा रोड में वर्तमान समय में कितने अवैध निर्माण हटाये गये हैं ? क्या उन्हें कहीं और स्थान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पंचायत बिल्थरा रोड बलिया में वर्तमान समय में कोई अवैध निर्माण नहीं हटवाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के नगर पंचायत बिल्थरा रोड को जिला एवं शासन स्तर से प्राप्त धन के दुरुपयोग करने की शिकायत पर कार्यवाही किये जाने की मांग

94–श्री सुधाकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगर पंचायत बिल्थरा रोड को वर्ष 1996-97, 1997-98 में कितना-कितना धन जिला एवं शासन स्तर से प्राप्त हुआ है ? उक्त धन का उपयोग कहां-कहां पर किस-किस मद में किया गया है ? क्या इस धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें

जिला स्तर पर जांच हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराने एवं जांच कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में नगर पंचायत बिल्थरा रोड को रुपये 13,03,799/-तथा वित्तीय वर्ष 1997-98 में रुपये 9,33,237/- की धनराशि विभिन्न मदों में नगर विकास विभाग से प्राप्त हुई तथा वित्तीय वर्ष 1997-98 में जिला स्तर से रुपये 1,39,300/- की धनराशि प्राप्त हुई ।

कराये गये निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है ।

जांच करायी गयी । जांच में अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 178 पर)

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर नगर पंचायत बिल्थरा रोड के वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद उन्हें न हटाये जाने की जांच कराये जाने की मांग

95–श्री सुधाकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर नगर पंचायत बिल्थरा रोड के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद उनको पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के कई जांचें भी चल रही हैं ? क्या सरकार वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में सम्पूर्ण कार्यों नाली, सड़क, भवन आदि की जांच सतर्कता विभाग से कराने का आदेश देंगें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

अध्यक्ष, नगर पंचायत बेल्थरा रोड के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, बलिया से जांच करायी जा रही है ।

जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला में बस स्टेशन से इमलिया तक जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत हेतु अनुदान की मांग

96–श्री राम सिंह सैनी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तृतीय मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन से क्या सण्डीला नगर के बस स्टैण्ड से इमलियाबाग तक सड़क की मरम्मत करवा दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त सड़क की मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये धन को किस मद में व्यय किया गया है ? क्या सरकार अन्य मद में धन व्यय करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करते हुये उक्त सड़क की तुरन्त मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

सण्डीला बस स्टैण्ड से इमलियाबाग मुख्य मार्ग के अति क्षतिग्रस्त आंशिक भाग बस स्टैण्ड से थाना कोतवाली तक का कार्य निर्माणाधीन है ।

साधारण सड़क अनुदान किसी विशेष सड़क के लिए नहीं दिया गया है । इस धनराशि से 27 सड़क निर्माण कार्यों का चयन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्प संख्यक आयोग उ० प्र० से छात्रवृत्ति का धन तहसील सण्डीला जनपद हरदोई को वितरित कराने के आदेश दिये जाने की मांग

97–श्री राम सिंह सैनी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्पसंख्यक आयोग उ० प्र० द्वारा अल्पसंख्यक छात्रो को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वर्ष 1997-98 का पूर्ण छात्रवृत्ति का धन तहसील सण्डीला जनपद हरदोई में वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे तुरन्त छात्रों में वितरित कराने के आदेश देने का कष्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली खां)–

जनपद हरदोई को अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति के धनावंटन एवं तहसील सण्डीला को आवंटन की उपलब्धता के अनुरूप वर्ष 1997-98 में छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की मानकों के अनुसार जांच किये जाने तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग

98–श्री राम सिंह सैनी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाटर वर्क्स द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाले पेयजल को शुद्ध करने, क्लोरिफिकेशन, टंकी की सफाई एवं जांच हेतु सैम्पलिंग के क्या मानक हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नगरपालिका सण्डीला जनपद हरदोई में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की मानकों के अनुसार सफाई जांच आदि की गयी ? क्या यह सही है कि नलों से आने वाला पानी बहुत ही गन्दा है एवं उसमें कीड़े भी हैं और वह पीने योग्य नहीं है ? क्या सरकार इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करते हुये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक "मैनुअल आन वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेन्ट" के वर्ष 1991 के संस्करण के अनुसार पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर वर्क्स द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने वाले पेयजल में सामान्यतः 0.5 मि० ग्रा० प्रति लीटर क्लोरीन प्रारम्भ से मिलाने तथा वितरण प्रणाली के अन्तिम सिरे पर 0.2 मि० ग्रा० प्रति लीटर रिजीडियल क्लोरिन का मानक है । वर्ष में कम से कम एक बार टंकी की सफाई किया जाना चाहिए । मैनुअल के अनुसार वितरण प्रणाली में से जल का सैम्पुल लेने की कार्यवाही नगर की आबादी पर निर्भर करती है । नगरपालिका सण्डीला की वर्तमान में अनुमानित आबादी लगभग 48 हजार होगी । इस आधार पर पानी के सैम्पल लेने के बीच अधिकतम दो सप्ताह का मानक होना चाहिए ।

इस संबंध में जांच/सर्वेक्षण के आदेश दिये जा रहे हैं । तदुपरान्त ही यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ की जनता को प्रदूषित जल का उपयोग कराने के कारण प्रबन्ध निदेशक जल निगम एवं महाप्रबन्धक लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

99–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ की जनता को वर्ष 1997 में गोमती प्रदूषण शाखा तथा स्थानीय जल संस्थान के उदासीनता के कारण प्रदूषित जल का उपयोग करने के कारण तमाम लोग बीमारी के शिकार हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार प्रबन्ध निदेशक जल निगम एवं महाप्रबन्धक लखनऊ जल संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर में वर्ष 1997 में पेय जलापूर्ति के कारण किसी महामारी फैलने व तमाम लोगों के बीमार होने की घटना घटित नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा दिलाने के प्राविधान की जानकारी

100–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने के बाद कितने दिनों के बाद कब्जा दिलाने का प्राविधान है ? भूखण्डों की रजिस्ट्री के बाद आवंटियों को कब्जा न देकर विलम्ब की जिम्मेदारी आवंटियों पर डालकर उनसे अनुरक्षण चार्ज लेने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार कब्जा देने में विलम्बता के लिये प्राधिकरणों को दोषी मानते हुये शासन के आवास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2421/-अ–1/97–128 डी० ए०/97, दिनांक 1-7-97 के अन्तर्गत आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण पर आर्थिक दण्ड की प्रक्रिया लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

आवंटी द्वारा निबन्धन कराने के पश्चात निबन्धित अभिलेख प्राधिकरण में प्रस्तुत करने पर कब्जा पत्र जारी किया जाता है ।

सम्पत्ति विभाग, कम्प्यूटर विभाग द्वारा कब्जा पत्र जारी किया जाता है । कब्जा पत्र पर संबंधित अभियंत्रण खण्ड अंकित रहता है तथा उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि संबंधित अभियन्त्रण खण्ड से 30 दिन में भौतिक कब्जा प्राप्त कर लें । यदि 30 दिन के अन्दर आवंटी द्वारा अपने भवन/भूखण्ड का कब्जा नहीं लिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा 30 दिन के बाद चौकीदार चार्जेज लिया जाता है । उक्त चार्जेज आवंटी की सम्पत्ति की देख-रेख अनुरक्षण में व्यय किया जाता है ।

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश दिनांक 1-7-97 में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है ।

शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण की जानकारी

101–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र–शोहरतगढ़ जनपद–सिद्धार्थनगर के कितने अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है, तथा वित्तीय वर्ष 1998-99 में कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जाना है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1997-98 तक 15 (पन्द्रह) अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । वर्ष 1998-99 में 10 (दस) ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम सभा सहजौर व नरैना में विद्युतीकरण की मांग

102–श्री छब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम सभा सहजौर व ग्राम सभा नरैना में 1997-98 में विद्युतीकरण किया गया है ? क्या इन गांवों में पूरे खम्भे कंकरीट से जाम किये गये हैं अथवा पूरे खम्भे लगाये ही नहीं गये हैं ? इस कार्य में कितना धन शासन द्वारा दिया गया है ? इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराते हुये क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

व्यवहृत प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी खम्भों की कंक्रीटिंग नहीं की जाती है बल्कि कोपीय स्थिति में खम्भे (ऐन्गिल-पोल), स्टेराड तथा द्वि पोलों की ही कंक्रीटिंग की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ही संदर्भित गांवों के खम्भों की कंक्रीटिंग निम्नानुसार की गई :–

1–ग्राम सहजौर–

कुल 32 खम्भे लगाये गये । इनमें से 5 खम्भों की कंक्रीटिंग की गई ।

2–ग्राम नरैना–

30 खम्भे लगाये गये इनमें से 4 खम्भों की कंक्रीटिंग की गई ।

रु० 5.32 लाख ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि दोनों ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है । अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

लखनऊ जनपद के माता सुग्गा देवी मार्ग पर स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी की बाउन्ड्रीवाल से लगे हुए अतिक्रमणों को हटाये जाने की मांग

103–श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के माता सुग्गा देवी मार्ग पर स्थित सिंचाई विभाग की राजकीय कालोनी की बाउन्ड्रीवाल से अनुलग्न अस्थायी/स्थायी अतिक्रमण अब तक न हटाये जाने का क्या कारण है ? उक्त क्षेत्र में विभिन्न टेण्ट हाउसों द्वारा स्वयं की व्यवसायिक सामग्री आदि रखकर मार्ग को संकरा बना दिये जाने के कारण नागरिक समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक समाप्त करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अतिक्रमण अभियान न चलने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

सम्यक पुलिस व्यवस्था होने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर के विकास खण्ड–5 के भूखण्ड नं० 5/735 से 5/755 के विभिन्न आवंटित भवनों में सड़क, पानी बिजली, सीवर आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

104–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर के विकास खण्ड–5 के भूखण्ड नं० 5/735 से भूखण्ड 5/755 किन-किन नामों से आवंटित है और किन-किन भूखण्डों में तथा पास की सरकारी जमीन में अवैध कब्जेदार हैं तथा किन-किन आवंटित भूखण्डों में सड़क, पानी, बिजली, सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? लीज प्लान के अनुसार विकास तथा अवैध कब्जा हटाने का कार्य और रिक्त भूखण्ड आवंटन कब तक किया जायेगा ? क्या अविकसित भूखण्ड स्वामियों से लिये गये दण्ड स्वरूप ब्याज वापस करने हेतु तथा विकास कार्य पूर्ण होने तक अन्य से दण्ड स्वरूप ब्याज न लेने हेतु क्या शासन आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

विकास खण्ड–5 के भूखण्ड सं०–5/735 से भूखण्ड संख्या–5/755 तक के आवंटियों की सूची संलग्न है।

भूखण्ड संख्या–5/741, 5/742 पर ग्रामवासियों का कब्जा है तथा भूखण्ड संख्या–5/751 से 5/753 की भूमि पर ग्रामवासियों के प्रतिरोध के कारण कार्य नहीं हो रहा है।

भूखण्ड सं०–5/738 से 5/740, 5/741 से 5/742, 5/751 से 5/753 तक पानी, सड़क बिजली, सीवर आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ग्रामवासियों का अवरोध समाप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा। समस्त भूखण्ड आवंटित हैं।

आवंटन के शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान न करने पर प्राधिकरण के नियमों में दण्ड ब्याज की व्यवस्था है। तदनुसार प्रत्येक आवंटी से ब्याज लिया जाता है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 179 पर)

जिला पौड़ी गढ़वाल के बिजौरा पानी कुणजखाल-तिमलीखाल स्वीकृत मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

105–श्री भरत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के बिजौरा पानी कुणजखाल-तिमलीखाल मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस स्वीकृत लम्बाई से क्या तिमलीखाल जुड़ जायेगा ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ? उक्त स्वीकृत मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी नहीं।

2.50 कि०मी० की लम्बाई में आरक्षित वन भूमि पड़ने के कारण निर्माण पूर्ण नहीं हो सका।

जी नहीं।

आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन विभाग से अनुरोध किया गया है।

चूंकि मार्ग निर्माण भूमि उपलब्धता पर निर्भर है इसलिये समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर 4 ब्लाक ए के निवासियों द्वारा अवैध निर्माण किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

106–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर 4 ब्लाक ए के निवासियों द्वारा पार्क में अवैध निर्माण कतिपय लोगों द्वारा करा लेने के संबंध में दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1997 एवं 20 सितम्बर, 1997 जो कि मा० सभापति, सार्वजनिक उपक्रम निगम संयुक्त समिति उ०प्र० विधान सभा द्वारा अग्रसारित कर तत्काल कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् योजना में भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त धनराशि जमा करने वाले आवंटियों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

107–श्री चेतराम–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् योजना अन्तर्गत वर्ष 1990 में कुल कितने भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया था उसमें से कितने लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये जिनमें से कितने लोगों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है ? क्या यह सही है कि माह अगस्त, 1992 में भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त धनराशि आवंटियों द्वारा जमा कराई गई थी परन्तु उन्हें अभी तक मौके पर कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूखण्ड आवंटियों को अविलम्ब आवंटित भूखण्ड पर कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 में कुल 8.548 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था।

योजना के अन्तर्गत कुल 2565 अभ्यर्थियों को लाटरी द्वारा आवंटन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा 1294 आवंटियों को मौके पर भौतिक कब्जा दिया गया।

जी हां।

नियमानुसार जिन आवंटियों के भूखण्ड के निबन्धन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है उनको भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया है। अवशेष आवंटियों को भूखण्डों के निबन्धन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने

हेतु नोटिस देने के लिये प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त कब्जा दिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 90–91, 91–92, 92–93 एवं 94–95 में विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई धनराशि के संबंध में जानकारी

108–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1990–91 में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे क्या उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990–91 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई ?

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/ अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में 1400 भवनों का निर्माण कर एवं 207 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई।

109–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1991–92 में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे क्या उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1991–92 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई ?

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/ अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे। उक्त वर्ष में 4589 भवनों का निर्माण कर एवं 1500 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई।

110–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1992–93 में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे क्या उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1992–93 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई। इस वर्ष सीलिंग विभाग से 4028153.113 व० मी० भूमि पर कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/ अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 5306 भवनों का निर्माण कर एवं 1050 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई ।

111–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1993–94 में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे क्या उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993–94 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/ अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 545 भवनों का निर्माण कर एवं 110 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई ।

112–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1994–95 में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के स्रोत क्या थे क्या उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है । विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994–95 में कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई ।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/ अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय स्रोत थे । उक्त वर्ष में 305 भवनों का निर्माण कर एवं 913 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई ।

अनुसूचित जाति के सर्वश्री रामजी लाल, शिवचरन आदि निवासीगण गांधीनगर, किशोरपुरा, वृन्दावन, मथुरा के एक एकड़ से अधिक भूमि न होने के कारण भूमि अर्जन से मुक्त किये जाने की मांग

113–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1995/1–13–85–रा०–13, दिनांक 24-9-1985 के पैरा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही न होने के कारण अनुसूचित जाति के सर्वश्री रामजीलाल, शिवचरन पुत्रगण श्री विपतीराम, श्रीमती चन्द्रो देवी पुत्री श्रीमती भूरी देवी, प्रभाती पुत्र श्री लाल चन्द्र, श्री जुगुल किशोर, सोहनलाल, राजेश पुत्रगण श्री बांके लाल निवासीगण–गांधी नगर, किशोरपुरा, वृन्दावन, मथुरा जिनकी भूमि एक एकड़ से अधिक नहीं है, को भूमि अर्जन से मुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत भूमि पर भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लेने एवं एवार्ड घोषित होने तथा उक्त भूमि आवासीय योजना की भूमि के बीच आ जाने और उक्त भूमि के अंश भाग पर महायोजना मार्ग (100 फिट) प्रस्तावित होने के कारण विचारोपरान्त अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं पाया गया । अधिग्रहण से प्रभावित इन प्रश्नगत किसानों को शासनादेश दिनांक 24-9-85 के प्रस्तर–2 व 3 के अनुसार उप जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा ग्राम धौरेरा में ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध करायी गई थी किन्तु संबंधित कृषकों ने उक्त भूमि को लेने से मना कर दिया । अतः इन व्यक्तियों को देय प्रतिकर की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के यहां जमा करा दी गई है । प्रश्नगत अर्जित भूमि का कब्जा ले लिये जाने के उपरान्त उसे अर्जन मुक्त करना विधिक रूप से भी सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में नगर पंचायत भोगांव को नगर पालिका परिषद् में तथा भोगांव की गांव सभाओं अलीपुर पट्टी तथा अलीपुर खेड़ा को मिलाकर आलीखेड़ा के नाम से नगर पंचायत घोषित किये जाने की मांग

114–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में नगर पंचायत भोगांव को नगर पालिका परिषद् में परिवर्तित करने एवं तहसील भोगांव की गांव सभाओं अलीपुर पट्टी तथा अलीपुर खेड़ा को मिलाकर नगर पंचायत में तब्दील किये जाने के कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त अलीपुर खेड़ा एवं अलीपुर पट्टी दोनों गांव सभायें मिली हुई हैं और इनकी आबादी नगर पंचायत में आने के मानक को पूरा करती हैं ? यदि हां, तो सरकार दोनों को मिलाकर आलीपुर खेड़ा के नाम से नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत भोगांव को नगर पालिका परिषद् में परिवर्तित करने का प्रस्ताव मानक पूरा न होने के कारण शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया है ।

अलीपुर खेड़ा व आलीपुर पट्टी दोनों ग्राम सभाओं की आबादी 14243 है, जबकि मानक के अनुसार आबादी 20,000 पूरी न होने के कारण प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में नगरपालिका परिषद् मैनपुरी एवं नगर पंचायत भोगांव के बन्द नालों की सफाई हेतु आवश्यक निर्देश

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में नगर पालिका परिषद् मैनपुरी एवं नगर पंचायत भोगांव के ज्यादातर नाले बन्द पड़े हैं जिससे पानी भर जाता है और गन्दगी रहती है ? यदि हां, तो जल प्लावन से दोनों शहरों को बचाने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद् मैनपुरी एवं नगर पंचायत भोगांव (मैनपुरी) में स्थित नालों की सफाई संबंधित निकाय द्वारा अपने संसाधनों से कराई जाती है एवं जल प्लावन की समस्या को दूर करने हेतु संबंधित निकायों द्वारा अपने संसाधनों से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है । नगर पालिका परिषद् मैनपुरी

में स्थित बन्द नालों की सफाई कराने हेतु संबंधित निकाय व जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत शंकरपुर विकास खण्ड रामनगर जिला बस्ती के चीनी व मिट्टी के तेल के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

116-राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 98 के तीसरे या अंतिम सप्ताह में ग्राम पंचायत शंकरपुर विकास खण्ड रामनगर जिला बस्ती के चीनी एवं मिट्टी के तेल के कोटेदार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज रिजवी-

जी हां। शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त वितरण सम्बन्धी अनियमितता पाये जाने पर उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध पत्र दिनांक 25 मई, 1998 को निलम्बित कर दिया गया है।

117-श्री नरेन्द्र सिंह-

।2रे बुधवार अता० प्र० सं०-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

118-श्री समरपाल सिंह-

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

आवास एवं विकास परिषद् इन्दिरानगर लखनऊ में सेक्टर-22 में आवंटित भवन संख्या-22/641 से लगी भूमि का अवैध कब्जा हटाने की मांग

119-श्री अकबर हुसैन-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद्, इन्दिरा नगर, लखनऊ में सेक्टर 22 में आवंटित एवं रजिस्ट्रीकृत भवन संख्या-22/641 से लगी 8 मीटर अतिरिक्त भूमि का अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु विशेष सचिव, उ० प्र० शासन के आदेश संख्या-101/वि०स०आ०/दिनांक 17-9-1996 क्या अनुभाग अधिकारी आवास-2 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विभाग ने उक्त आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही की तथा किस दिनांक को संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया है ? उसका सम्पूर्ण ब्यौरा क्या सरकार सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जनपद मुरादाबाद के पत्रांक 216/24 दिनांक 30 जनवरी, 1998 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

120–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जनपद मुरादाबाद के पत्रांक 216/24, दिनांक 30 जनवरी, 1998 जो श्री गनपत सिंह, अवर अभियन्ता की शिकायत जिसमें फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कनेक्शन दिलाये जाने से संबंधित है पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन दोषी पाया गया है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) मुरादाबाद के पत्रांक 216/24 दिनांक 30-1-98 द्वारा श्री गनपत सिंह, अवर अभियन्ता के शिकायती-पत्र की जांच के लिए उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (द्वितीय) मुरादाबाद को लिखा गया था । उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (2) मुरादाबाद ने अपनी जांच में यह पाया कि दिनांक 9-7-97 को कांठ में कैम्प के दौरान उपभोक्ता श्री मो० यासीन, श्री हरिओम वर्मा श्री जुम्मा एवं दिनांक 14-8-97 को श्री रफीक अहमद के लाईट फैन के कनेक्शन के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री योगेश्वर शर्मा को प्रार्थना-पत्र दिये गये । चूंकि श्री गनपत सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत विच्छेदन के कार्य के लिए साईड पर निकले हुए थे अतः लाईन स्टाफ द्वारा यह सुनिश्चित कराने के बाद कि कनेक्शन एल० टी० मेन्स से 40 मीटर के अन्दर ही अन्दर है, उपखण्ड अधिकारी ने प्राकलन का पैसा (फिक्स चार्जेज) जमा करने के आदेश पारित कर दिये ।

चूंकि उपरोक्त चारों उपभोक्ताओं के अनुबन्ध फार्म बी० एण्ड एल० फार्म आदि किसी भी प्रपत्र पर श्री गनपत सिंह, अवर अभियन्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है अतः श्री गनपत सिंह, अवर अभियन्ता के फर्जी हस्ताक्षर किसी के द्वारा करने का कोई प्रमाण नहीं है । फलस्वरूप प्रकरण में किसी को दोषी पाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में विद्युत परिषद् की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार 33/11 के० वी० मौरावां उपकेन्द्र की भूमि के संबंध में श्री हरीश चन्द्र सिंह की अनुचित नियुक्ति

121–श्री लालजी वर्मा

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के मौरावां जनपद उन्नाव के निर्माण हेतु वर्ष 1966 में भूमि अधिग्रहण के ब्याज के भुगतान के संबंध में विद्युत परिषद् की विधि शाखा द्वारा वर्ष 1997 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का मूल्य के अतिरिक्त भुगतान एवं श्री हरिश्चन्द्र को सेवायोजित करना अविधिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश संख्या–23/25–1973 कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 एवं शासनादेश संख्या–244/1–13/89/राजस्व–13, दिनांक 7 मार्च, 1989 की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए उसमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार परिषद् के विधि शाखा के अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण उक्त शासनादेश के अनुसार करायेगी ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ? उक्त भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। विद्युत परिषद् की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार 33/11 के०बी० मौरांवां उपकेन्द्र की भूमि के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र सिंह की परिषद् में नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित तथा बिना विधिक परामर्श लिये हुये भूमि के मूल्य का भुगतान अविधिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है।

दोनों शासनादेशों की प्रति संलग्न है। †

प्रश्नगत भूमि के मुआवजे के भुगतान एवं श्री हरीश चन्द्र सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में विद्युत परिषद् की विधि शाखा द्वारा दिये गये अभिमत एवं भूमि की दर के बारे में शंका को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी। जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से स्पष्ट/पूर्ण जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोंपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना संभव होगा।

पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोंपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना संभव होगा। अतः भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान (यदि कोई हो) के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

विद्युत वितरण मण्डल प्रथम, जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर लगे इनकमिंग एनर्जी मीटर की रीडिंग तथा फीडर पर लगाये गये मीटर की रीडिंग में अन्तर एवं लाइन लास के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

122–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण मण्डल, प्रथम, जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर एनर्जी एकाउन्टिंग के इलेक्ट्रानिक मीटर (इनकमिंग) तथा फीडर बार लगे हुए हैं ? यदि हां, तो माह फरवरी, 1995 से माह फरवरी, 1998 तक इनकमिंग एनर्जी मीटर की रीडिंग तथा फीडर पर लगाये गये मीटर की रीडिंग में कितना अन्तर था ? उक्त लाइन लास के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, मुरादाबाद के अन्तर्गत माह फरवरी, 98 एवं उसके पश्चात 24 उपकेन्द्रों के विरुद्ध 20 उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर इनकमिंग तथा फीडरों पर लगाये गये हैं।

फरवरी, 98 से उपरोक्त 20 उपकेन्द्रों के इलेक्ट्रानिक मीटर के रीडिंग के आधार पर इनकमिंग इनर्जी मीटर तथा फीडर पर लगाये मीटर रीडिंग में 0.5% का अन्तर है। फरवरी, 98 के पूर्व इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित नहीं है।

यह अन्तर इनर्जी मीटरों की मूल मापन शुद्धता के कारण है जिसके लिये कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक–ए, सेक्टर–4 के मकान सं० 1103 से ए–1104/17 सामने पार्क पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

123–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक–ए, सेक्टर–4 के मकान संख्या–1103 से ए 1104/17 के सामने स्थित आवास विकास परिषद् के पार्क पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से गृह निर्माण कार्य करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने एवं उसके परिप्रेक्ष्य में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक–ए, सेक्टर–4 के मकान संख्या–1103 से ए–1104/17 के सामने नहीं, वरन् ए–1103/5 से 1103/8 के सामने आवास एवं विकास परिषद् का एक पार्क है । इस पार्क में कोई अनाधिकृत गृह निर्माण नहीं है । प्रश्न में निहित मकान नं०–1104/17 स्थल पर उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज स्कीम के भूखण्ड सं० डी० क्यू० सेक्टर पी० के स्वामी श्री वेदप्रकाश को कब्जा दिये जाने की मांग

124–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज स्कीम लखनऊ के भूखण्ड संख्या–डी०क्यू० सेक्टर पी० के स्वामी श्री वेद प्रकाश निवासी ई०डी० 80 मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग, लखनऊ ने दिनांक 15-10-85 को रजिस्ट्री कराने के बाद खाली भूखण्ड का कब्जा पाने के लिए शासन/लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 16-10-85, 3-6-92, 27-12-96, 27-2-97 तथा 23-4-97 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उन्हें कब्जा कब दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भूखण्ड सं० डी० "95 सेक्टर पी" का कब्जा श्री वेद प्रकाश को दिनांक 13-5-98 को मौके पर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित काश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल की सहायक अध्यापिकाओं को स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान

125–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित काश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल की सहायक अध्यापिकाओं को स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान पिछले चार वर्ष से नहीं किया गया ? मा० मंत्री जी इन सहायक अध्यापिकाओं को स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड की धनराशि का भुगतान कब तक करा देंगे ? क्या सरकार इस संबंध में दोषी

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मात्र चार सहायक अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान लम्बित था, जो अब कर दिया गया है ।

भुगतान हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम भगवन्तपुर, बालमपुर, विक्रमपुर आदि में रुके हुए विद्युतीकरण के कार्य को पुनः शुरू किये जाने की मांग

126–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ग्राम भगवन्तपुर, बालमपुर, चापरी, विक्रमपुर, कुंजाहार आदि में विद्युतीकरण कार्य जो शुरू हो गया था, क्या खम्भे और सामान तक पहुंच गये थे ? यदि हां, तो उस कार्य को क्यों रोक दिया गया है ? उक्त गांवों के विद्युतीकरण की व्यवस्था कब तक पूर्ण करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अन्तर्गत जनपद–मैनपुरी के दस ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना था जिसमें से 4 ग्रामों क्रमशः ओम, कुंजाहार, ढूढीवरी व नगला महाराम का विद्युतीकरण पूर्ण कर दिया गया था । शेष 6 ग्रामों का कार्य अधूरा है । शासन के ऊर्जा विभाग के पत्रांक 368 दि० 9-6-95 द्वारा यह आदेशित किया गया था कि पूर्व मुख्य मंत्री काल में की गई ऐसी घोषणाओं, जो अपूर्ण हों, को निरस्त कर दिया जाय । इसी कारणवश इन ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यों को रोक दिया गया था ।

विद्युत परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य परिषद् के आंतरिक संसाधनों से नहीं कराया जाता है । यह कार्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं शासन द्वारा ही उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से कराया जाता है । अतः इन ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा में रात में बिजली उपलब्ध कराये जाने की मांग

127–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा में अनुसूचित जाति व हरिजन व निर्बल वर्ग के तीन हजार लोग रहते हैं ? क्या यह सही है कि उक्त गांव में अभी तक रात को बिजली जलाने के लिए बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांव में रात को बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । सेन्सस बुक 1991 के अनुसार ग्राम कुतुबपुर (कोड संख्या–1101 की कुल आबादी 718 है ।

जी हां ।

ग्राम विद्युतीकृत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विद्युतीकृत नहीं हैं ।

इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित भवन संख्या 22/641 से लगी अतिरिक्त 8 मीटर भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

128–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर लखनऊ स्थित दुर्बल आय वर्ग के आवंटित भवन संख्या–22/644 से लगी अतिरिक्त भूमि (8 मीटर) पर से अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु प्रमुख सचिव, आवास का पत्र संख्या–8421, दिनांक 27-12-96 आवास आयुक्त को प्राप्त हुआ है था ? यदि हां, तो क्या उक्त कब्जा हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा न हटाये जाने वाले कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, परन्तु प्रमुख सचिव, आवास के सन्दर्भित पत्र में भवन संख्या–22/641 से लगी अतिरिक्त भूमि (8मीटर) पर से अवैध कब्जा हटाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री अजय कुमार पोइया सदस्य विधान सभा का जनपद उन्नाव पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में पत्र एवं जांच आख्या को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

129–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अजय कुमार पोइया का पत्र विधायक प्रकोष्ठ संख्या–सी०एम०/वि०को०एम–3/7848/मथुरा/98, दिनांक 17-2-98 जो प्रमुख सचिव ऊर्जा को भेजा गया तथा जो मौरावां जनपद उन्नाव पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि के संबंध में सात बिन्दुओं पर जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बिन्दुवार जांच आख्या क्या है ? क्या सरकार जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? क्या जांचोपरान्त प्राप्त आख्या के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जांच आदेशित कर दी गई है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर से प्रभावित कृषक श्री ठाकुर प्रसाद वर्मा के पौत्र की अवर अभियन्ता पद पर नियुक्त किये जाने की मांग

130-श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–23/25/1973 कार्मिक–2, दिनांक 15 जून, 1985 में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषक परिवार के सदस्यों में पौत्र को भी नियुक्ति दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर से प्रभावित कृषक श्री ठाकुर प्रसाद वर्मा के पौत्र की वर्ष 1991 में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने पर उसे नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति) विनियम 1987 यथा संशोधित के विनियम 3 के अनुसार भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति समूह ग एवं घ के पदों पर (अवर अभियन्ता को छोड़कर) ही दिये जाने का प्राविधान है । अतः अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं है ।

पौड़ी जनपद में पौखाल भवांसी मोटर मार्ग पर मालू के पास मोटर पुल बनाने विषयक मामलों पर निर्णय लिए जाने की मांग

131–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में पौखाल भवांसी मोटर मार्ग पर मालू के पास मोटर पुल बनाने एवं मार्ग का पुनरीक्षित आगणन शासन की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हां ।

अन्तर्विभागीय परामर्श अन्तर्निहित होने के कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाखाल यमकेश्वर एवं द्वारिखाल हेतु भवन निर्माण किये जाने की मांग

132–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यमकेश्वर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारिखाल का पुनरीक्षित आगणन शासन की स्वीकृत हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखाल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यमकेश्वर के भवन निर्माण के पुनरीक्षित आंगणन शासन को प्राप्त हुए थे जिनकी स्वीकृति दिनांक 17-4-98 को प्रदान की जा चुकी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, द्वारिखाल के भवन के निर्माण के आंगणन पुनरीक्षित अद्यावधिक दरों पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित किये जा रहे हैं । पुनरीक्षित आंगणन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखाल तथा यमकेश्वर के भवनों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारिखाल के भवन निर्माण के पुनरीक्षित आंगणनों पर स्वीकृति के पश्चात भवन निर्माण पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पौड़ी में कांसखेत बांघाट से सतपुली को पक्का मोटर मार्ग बनाये जाने की मांग

133–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में कांसखेत बांघाट-सतपुली मोटर मार्ग को पक्का करने के आगणन शासन की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो पौड़ी कांसखेत बाघाट से सतपुली को पक्का मोटर मार्ग कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) से दिनांक 25-5-98 को उक्त मार्ग के पक्कीकरण का प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुआ है ।

शासन की अर्थोपाय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए उक्त मोटर मार्ग के पक्कीकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद पौड़ी के एकेश्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

134–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के एकेश्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी जनपद के एकेश्वर में एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा एक उपकेन्द्र स्थापित है । इन्हें सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल के अन्तर्गत ग्राम बूढाडीह में अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत उपभोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

135–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद महराजगंज अन्तर्गत ग्राम–बूढ़ीडीह, पो०–अरदौना, तहसील–निचलौल में अधिकांश लोग अवैध रूप से कंटिया लगाकर विद्युत का उपभोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

वर्तमान में परिषद् के "कटिया कनेक्शनों के नियमितीकरण योजना" के अन्तर्गत अवैध रूप से चल रहे कटिया कनेक्शनों का नियमिनीकरण किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अवशेष अम्बेडकर ग्रामों के मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने की मांग

136–श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से 1998 तक कितने अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है ? क्या सभी अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का सतह लेपन कार्य करवा दिया गया है ? यदि हां, तो वे अम्बेडकर ग्राम कौन-कौन हैं ? अवशेष अम्बेडकर ग्रामों के मार्गों का लेपन कार्य कब तक करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से 98 तक 36 गांवों का चयन किया गया है ।

जी नहीं । 36 में से 22 गांवों को लेपित सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है ।

नगरा पल्टी लाल, भरहू, पूरे हदय, दरियापुर, जीराभारी, फूलपुर, बलहरी बुजुर्ग, सरायपट्टी, पचवती, जगतापुर, कलेनिया, दरईपुर रामनाथ, टपरीपारा, सिरसा, माधपुर, खिरिया, महेवा गोपालपुर, धुधउवां, गोराचौकी बभनान से हरिजन बस्ती ग्राम गुडवा तक, कुड़ारान चौबेपुर, तुकाडीह, कसवा खास ।

धनाभाव के कारण अवशेष अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है । इन अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । धन उपलब्ध होने पर इन अवशेष ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में चीनी एवं मिट्टी तेल की काला बाजारी रोकने हेतु खुले बाजारों में बेचने हेतु योजना को लागू किये जाने की मांग

137–श्री राम विशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चीनी एवं मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने हेतु इसके लाइसेन्स समाप्त कर खुले बाजारों में बेचने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री ऐजाज रिजवी–

चीनी का लाइसेन्स समाप्त करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने एवं पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में फ्री सेल के मिट्टी तेल के व्यापार हेतु समानान्तर विपणन प्रणाली लागू कर दी गयी है तथा फ्री सेल के मिट्टी तेल को उ० प्र० किरोसिन कन्ट्रोल आर्डर, 1962 की परिधि से बाहर कर दिया गया है । अतः फ्री सेल के मिट्टी तेल के व्यापार के लिये प्रदेश में कन्ट्रोल आर्डर 1962 के अन्तर्गत लाइसेन्स लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है ।

राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा का जनपद इलाहाबाद स्थित मकान सं० 81–ए, जोधवल तेलियरगंज के क्षेत्र में सड़क एवं नालियों की सफाई करवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा का पत्र संख्या–1357/जी/1998, दिनांक 21 फरवरी, 1998 जो जनपद इलाहाबाद स्थित मकान सं०–81–ए, जोधवल, तेलियरगंज के क्षेत्र में सड़क एवं नालियों की सफाई करवाने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

भवन संख्या–81–ए, जोधवल, तेलियरगंज के क्षेत्र में सड़क एवं नालियों की सफाई करा दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में विभिन्न योग्यता वाले पंजीकृत बेरोजगारों एवं पिछले 3 वर्षों में रोजगार दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी

139–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में विभिन्न योग्यता वाले कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं ? उनमें से 5 वर्ष से अधिक के कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं ? पिछले 3 वर्ष में विभाग कुल कितने लोगों को रोजगार दिला पाया है ? क्या सरकार इस योजना में कुछ उपयोगी सुधार करके इस प्रक्रिया को और अधिक त्वरित एवं सरल और उपयोगी सुधार करके इस प्रक्रिया को और अधिक त्वरित एवं सरल और उपयोगी बनाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में सक्रिय पंजिका पर दिनांक 31-3-97 तक विभिन्न योग्यता वाले कुल बेरोजगारों की संख्या–2522168 है ।

5 वर्ष से अधिक कुल 257118 बेरोजगार पंजीकृत हैं जिनमें से–

हाई स्कूल से कम	79,499
हाई स्कूल	61,092
इण्टरमीडिएट	74,504
स्नातक	35,113
स्नातकोत्तर	6,910 हैं ।

जनवरी, 1995 से दिसम्बर 1997 तक विभाग कुल 32,904 बेरोजगारों को रोजगार दिला पाया है ।

ऐसी कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मेरठ तथा मवाना में लाइनमैन, पेट्रोल मैन एम० एस० ए० के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

140-डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ तथा मवाना मे लाइनमैन, पेट्रोल मैन एम० एस० ए० के रिक्त पदों को पिछले 16 वर्षों से नहीं भरा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वहां कितने रिक्त पद हैं ? सरकार कब तक उनको भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मवाना, जनपद मेरठ की तहसील है । मेरठ जनपद (बागपत जनपद को सम्मिलित करते हुए) में पिछले 16 वर्षों से लाइनमैन, पेट्रोलमैन, एस०एस०ओ० के रिक्त पदों को मण्डल में उपलब्ध सक्षम कर्मचारियों की पदोन्नतियों द्वारा भरने का समय-समय पर प्रयास किया गया है । एस०एस०ओ० के रिक्त पद नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण पूर्णतः नहीं भरे जा सके हैं । पेट्रोल मैन की रिक्तियों को सक्षम कुलियों की पदोन्नति करके भरने की प्रक्रिया जारी है ।

कुल 336 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

पद	रिक्तियों की संख्या
लाइनमैन	14
पेट्रोलमैन	308
एस०एस०ओ०	14

लाइनमैन, पेट्रोलमैन, एस०एस०ओ० के रिक्त पदों पर सक्षम कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नतियां नहीं हो सकी हैं, तथापि पदोन्नतियों द्वारा इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ में स्थित चिन्दौडी ग्राम के नवीन पुल के निर्माण विषयक प्रशासन तथा नगर निगम के प्रस्ताव की जानकारी

141-डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन तथा नगर निगम से मेरठ में दक्षिणी मुख्य नाले (ओडियन नाका) पर स्थित चिन्दोडी ग्राम के नवीन पुल का निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार मेरठ की जल भराव समस्या के निदान हेतु महत्वपूर्ण इस पुल का पुनर्निर्माण कब तक कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

राज्य वित्त आयोग तथा दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम, मेरठ को पृथक से कोई अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद के अन्तर्गत 132 के० वी० सब-स्टेशन, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर पर विद्युत आपूर्ति में अनियमितता आदि की सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही

142-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद के अन्तर्गत 132 के० वी० सब-स्टेशन, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर पर विद्युत आपूर्ति में अनियमितता बरतने, मीटरिंग सिस्टम में त्रुटि पाये जाने, अवैधानिक ढंग से स्विच वार्ड में खेती कराये जाने तथा परिषदीय आवासों पर अवैध कब्जा करने आदि मामलों में कितने वर्षों से जांच चल रही है और किसके द्वारा जांच करायी गयी ? क्या इस संबंध में माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 22-5-97 जोकि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

132 के०वी० सब स्टेशन सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर पर विद्युत आपूर्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता पारेषण पश्चिम द्वारा आदेशित जांच 11/97 से चल रही है।

मीटरिंग सिस्टम में त्रुटि के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण) पश्चिमांचल, मेरठ द्वारा आदेशित जांच 6/97 से चल रही है।

स्विच यार्ड में कोई खेती नहीं हो रही है। अतः कोई जांच का प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय आवासों पर कोई अवैध कब्जा नहीं दे। अतः कोई जांच लम्बित नहीं है।

जी हां।

पत्र में इंगित बिन्दुओं पर जांच आदेशित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मस्टर रोल पर नियुक्त कर्मियों को सेवा में लिये जाने सम्बन्धी नीति की जानकारी

143–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–44 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री तत्कालीन सदस्य (सचिव) के अनुमति पत्र सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी मुख्य अभियन्ता (जनपद पारेषण) के अधीन विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, मोहद्दीन, गोरखपुर तथा मस्टर रोल कर्मियों के कार्यरत अवधि का प्रमाण-पत्र वर्ष 1988, 1989 एवं 1990 में जारी किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम, पिता का नाम एवं निवास स्थान क्या है ? कितनों को नियमित सेवा में लिया गया है और कितनों की छटनी कर दी गई ? छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को सेवा में लेने की क्या नीति अपनाई गई है ? क्या मस्टर रोल कर्मियों को सेवा में लेने की क्या नीति अपनाई गई है ? क्या इस संबंध में उ० प्र० मजदूर संघ का पत्र दिनांक 2-3-98 जो कि अध्यक्ष एवं निदेशक (कार्मिक) को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–44 के उत्तर में तत्कालीन सदस्य सचिव के किसी अनुमति पत्र का उल्लेख नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि कोई प्रमाण-पत्र जारी ही नहीं किया गया है, अतः किसी को नियमित सेवा में लेने अथवा छटनी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1995 के भाग–5 के विनियम–13 (क) में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सेवा में प्रारम्भिक भर्ती के लिए प्रवेश बिन्दु पर परिषद् में छटनी शुदा कर्मचारियों को सदैव वरीयता दी जायेगी।

पत्र में इंगित मस्टर रोल कर्मियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए विद्युत सेवा आयोग से कहा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के माता सुग्गा देवी मार्ग (उदयगंज) रोड स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी की बाउन्ड्रीवाल के निर्धारक दीवार पर बने अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

144–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के माता सुग्गा देवी मार्ग (उदयगंज) रोड से अनुलग्नक सिंचाई विभाग की कालोनी की बाउन्ड्रीवाल (परिसर) निर्धारक दीवार के आधारों पर (नाली के ऊपर) कितने अस्थाई/स्थाई अतिक्रमण वर्तमान में हैं ? इन्हें हटाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रस्तुत किये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

उक्त स्थल पर बाउन्ड्रीवाल के आधार पर नाली के ऊपर वर्तमान में 7 अस्थायी अतिक्रमण है।

सम्यक पुलिस व्यवस्था उपलब्ध होने पर विशेष अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जायेगी।

जिला पौड़ी के बिजोरापानी-कुण्डजखाल से तिमलीखाल तक स्वीकृत मोटर मार्ग की भूमि को सड़क बनाने हेतु हस्तान्तरित किये जाने की जानकारी

145–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी के बिजोरापानी-कुण्डजखाल-तिमलीखाल मोटर मार्ग पूर्व स्वीकृति लम्बाई के अतिरिक्त तिमलीखाल तक मोटर मार्ग स्वीकृत हो गया है ? क्या उक्त स्वीकृत मोटर मार्ग की भूमि लोक निर्माण विभाग पौड़ी को सड़क बनाने के लिये हस्तान्तरित हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

जी नहीं।

पूर्व स्वीकृत लम्बाई में 2.5 किमी० मार्ग पर आरक्षित वनभूमि है, तिमलीखाल तक मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है। वन विभाग ने अवशेष मार्ग एवं अतिरिक्त लम्बाई के माग की स्वीकृति के पश्चात् उसमें पड़ने वाली भूमि को सम्मिलित करते हुए समेकित प्रस्ताव की अपेक्षा की है जो तिमलीखाल तक मार्ग स्वीकृति के पश्चात ही भेजा जाना संभव होगा।

श्री आर० एस० शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ का विद्युत ट्रांसमीशन डिजाइन कर्मचारी वेतनभोगी ऋण सहकारी समिति, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के विषय में पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

146–श्री ओंकार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एस० शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, 33 भगवती निवास, पानदरीबा चारबाग लखनऊ का विद्युत ट्रांसमीशन डिजाइन कर्मचारी वेतनभोगी ऋण सहकारी समिति, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के सचिव के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार आदि के संबंध में पत्र दिनांक 21-8-1995 को अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

श्री एन० पी० खरे, आलेखक एवं प्रालेखक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का परीक्षण परिषद् स्तर पर किया गया और यह पाया गया कि श्री खरे के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार हैं। वास्तव में यह मामला दो यूनियनों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता का है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (हिमकिप) (श्री गिरीश कुमार पाण्डे) इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि श्री खरे द्वारा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और उन्हें समिति का सचिव बनाये रखा जाये। वहीं दूसरी ओर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इंटक) (श्री राजाराम मिश्र ग्रुप) प्रयत्नशील हैं कि श्री खरे को सहकारी समिति के सचिव पद से हटाया जाए एवं उनके विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। अतः जांच रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में आवासीय कालोनियों में विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण एवं आवंटन हेतु अवशेष भवनों का विवरण

147–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में कौन-कौन सी आवासीय कालोनियां निर्मित की गई ? इन कालोनियों में कालोनीवार किन-किन श्रेणियों के भवन निर्मित हैं तथा कालोनीवार कितने भवन आवंटन हेतु शेष हैं ।

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में निर्मित आवासीय कालोनियों में निर्मित, भवनों की श्रेणियों तथा कालोनीवार रिक्त भवनों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 180-181 पर)

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में आवासीय कालोनियों के योजनावार आरम्भ होने की तिथियों के विवरण को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

148–श्री बाल चन्द मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में कौन-कौन सी आवासीय कालोनियां विकसित की गई है तथा इन कालोनियों के योजनावार आरम्भ होने की तिथियां क्या-क्या हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर शहर में 38 कालोनियां विकसित की गयी है । इन कालोनियों के आरम्भ होने तथा पूर्ण होने की तिथियों का योजनावार विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

पूरा विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 182-183 पर)

मनकामेश्वर मन्दिर डालीगंज लखनऊ को जाने वाली गली में रुके हुये गन्दे पानी व कीचड़ की सफाई कराये जाने की मांग

149–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मनकामेश्वर मन्दिर डालीगंज लखनऊ को जाने वाली गली में हुये गन्दे पानी से सदैव कीचड़ भरा रहता है तथा उसकी दुर्गन्ध से सारा वातावरण दुर्गन्धमय तथा अति कष्टकारी रहता है ? क्या इसके निराकरण के संबंध में उक्त क्षेत्र के नागरिकों के पत्र नगर प्रमुख को दिनांक 29-12-97 तथा 22-12-97 नगर विकास मंत्री को दिनांक 22-12-97 तथा संलग्नकों सहित मुख्य मंत्री को दिनांक 11-3-98 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त समस्या का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

उक्त पत्रों के संदर्भ में मनकामेश्वर मन्दिर डालीगंज लखनऊ को जाने वली गली में रुके हुए गन्दे पानी को निकलवाकर सफाई करा दी गयी है तथा नियमित रूप से सफाई करायी जा रही है, जिससे वहां का वातावरण स्वच्छ व दुर्गन्धरहित है ।

समस्या का निराकरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

150–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आन लाइन कन्डेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं निविदा में करोड़ों रुपये के घपले की शिकायत

151–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आन लाइन कन्डेन्सर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं निविदा संख्या 6/टी०एस०सी० 97-98 में करोड़ों रुपये के घपले का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया विधायक एवं श्री अजय कुमार पोइया विधायक का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 25-9-97 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? परिषद् को हुई क्षति की भरपाई किस प्रकार की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस सम्बन्ध में परिषद् को एक शिकायती पत्र माह मार्च 98 में प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में इंगित बिन्दु पर जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जी हां ।

सदस्य (उत्पादन) जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता लखनऊ में परिषदीय आदेशों के उल्लंघन एवं अनुचित पदोन्नति की शिकायत

152–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लखनऊ) में परिषदीय आदेशों के उल्लंघन एवं अनुचित पदोन्नति विषयक श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया का पत्र दिनांक 12-6-96 जो कि अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्यांचल, लखनऊ से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टीनेन्स का विभिन्न वर्षों में मदवार व्यय-विवरण

153–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टीनेन्स में वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में मदवार व्यय विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शक्ति भवन विस्तार के एअर कन्डीशनिंग पर निर्माण के समय क्या व्यय किया गया ? तथा कब से कायम नहीं कर रहा है ? शक्ति भवन विस्तार को पुनः वातानुकूलित करने के लिये कितना व्यय करने का प्राविधान रखा गया है ? उसका व्यय विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने मिली भगत करके करोड़ों रुपये का घपला किया है ? क्या इसकी जांच स्वतंत्र एजेन्सी से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के सुसज्जीकरण/मेन्टीनेन्स (दोनों व्यय अनुरक्षण मद के अन्तर्गत लेखांकित किये जाते हैं) में वर्षवार व्यय निम्नवत् हुआ :–

1995-96	रु० 35.74 लाख
1996-97	रु० 42.07 लाख
1997-98	रु० 53.11 लाख

शक्ति भवन विस्तार की एअर कण्डीशनिंग पर निर्माण के समय कुल रुपये 84.59 लाख की धनराशि व्यय हुयी थी । यह वातानुकूलन संयंत्र काम कर रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

154–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

[3रे शुक्रवार तक के लिए स्थगित ।

जिला शाहूजी महाराज नगर में बिना सर्वे कराये गरीब लोगों को राशन कार्ड वितरित किये जाने पर जांच एवं पात्र निर्धन व्यक्तियों को राशन कार्ड दिये जाने की मांग

155–श्री ददू प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आधी कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कुल कितने कार्ड वितरित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि बिना सर्वे कराये कार्ड जारी किये गये हैं जो गरीबों की वास्तविक संख्या से कम हैं ? क्या सरकार पुनः इसकी जांच कराकर गरीबों को कार्ड वितरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कुल 45.216 राशन कार्ड वितरित कराये गये हैं ।

जी नहीं ।

आवश्यकयता नहीं है ।

जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर की जनसंख्या के अनुसार नये राशन कार्ड जारी किये जाने की मांग

156–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर की कुल कितनी जनसंख्या है ? जनसंख्या के आधार पर कुल कितने यूनिट के कार्ड धारक हैं ? कुल कितनी राशन सामग्री आपूर्ति की जाती है ? क्या यह सही है कि बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं ? क्या सरकार बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार नये राशन कार्ड जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर के अन्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 5,94,387 हैं ।

प्रचलित राशन कार्डों की कुल संख्या–93,334 है ।

प्रचलित यूनिटों की कुल संख्या–4,67,650 है । राशन सामग्री की आपूर्ति निम्नवत् है :–

चीनी	1696 कुन्तल
मिट्टी का तेल	824 के० एल०
गेहूं	4047.45 कुन्तल
चावल	1242.25 कुन्तल

जनसंख्या के अनुसार ही परिवार के मुखिया के नाम राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं और राशन कार्ड निर्गमन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है ।

157–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[2रे शुरुवार में अता० प्र० सं० 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद पौड़ी में विकास क्षेत्र के अनुसार विद्युतीकरण से वंचित अवशेष ग्रामों की संख्या की जानकारी

158–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में विकास क्षेत्र के अनुसार कितने गांव विद्युतीकरण हेतु शेष हैं ? क्या पौड़ी जनपद में सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद पौड़ी में विकास क्षेत्र के अनुसार कुल 3205 ग्रामों में से मार्च, 1998 तक मात्र 1055 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है ।

जी नहीं ।

उत्तरांचल में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य समय-समय पर उपलब्ध कराई गई धनराशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है । परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण जनपद पौड़ी के शेष समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण की वर्तमान में कोई समयवद्ध योजना नहीं है ।

जनपद पौड़ी में मंत्री द्वारा घोषित बुवाखाल प्रेमनगर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने की मांग

159–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6-7-97 को माननीय मुख्य मंत्री ने पौड़ी में बुवाखाल प्रेमनगर (पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का बाईपास) मोटर मार्ग 5 कि० मी० की स्वीकृति की

घोषणा की थी ? यदि हां, तो अभी तक बुवाखाल प्रेमनगर मोटर मार्ग का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है ? उक्त मार्ग कब तक बन जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

परिव्यय की अनुपलब्धता के कारण निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

जनपद अम्बेडकर नगर में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से सीधे बुनकरों, किसानों को विद्युत आपूर्ति करने की मांग

160–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के बुनकरों एवं किसानों को विद्युत सुनिश्चित किये जाने हेतु टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से सीधे विद्युत आपूर्ति करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के लिए टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से सीधे विद्युत आपूर्ति तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा में अवर अभियन्ता के पद पर प्रभावित कृषकों के आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने की मांग

161–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा में अवर अभियन्ता के पद पर प्रभावित कृषकों के आश्रितों को सेवायोजन दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस तिथि को ? क्या कुछ प्रभावित कृषक परिवारों के आश्रितों को अवर अभियन्ता के पद हेतु आवेदन किये जाने के उपरान्त भी नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रभावित कृषक आश्रितों को नियुक्त कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

टाण्डा तापीय परियोजना, विद्युत नगर में अवर अभियन्ता के पद पर निम्न प्रभावित कृषकों के आश्रितों को मुख्य अभियन्ता (ज० वि०) लखनऊ द्वारा सेवायोजन दिया गया है :–

(1) श्री कृष्ण नन्द मिश्र पुत्र श्री कमला प्रसाद मिश्रा	12-10-88
(2) श्री राम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री राम लखन वर्मा	12-10-88
(3) श्री अरुण प्रसाद मिश्र पुत्र श्री चन्द्र बली मिश्र	29-10-88
(4) श्री बशीर अहमद पुत्र श्री नसीब अली	17-1-89

इसके अतिरिक्त मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ के निर्णयानुसार श्री सुरेश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री कमला प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम हुसैनपुर सुधाना, जनपद अम्बेडकर की भी नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर मुख्य अभियन्ता (जा०वि०)-लखनऊ द्वारा फरवरी, 1997 में की गयी है।

जी हां।

वर्ष 1994 में शासन की अनुरूपता में परिषद् ने भी उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति) विनियम 1987 में संशोधन कर दिये। तद्नुसार भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति समूह "ग" (अवर अभि० के पद को छोड़कर) व "घ" के पदों पर ही संभव हैं।

रिवर बैंक कालोनी के ब्लाक बी एवं सी तथा जी के आवंटियों द्वारा अवैध निर्माण करवाये जाने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

162–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ स्थित नगर निगम की कालोनी के ब्लाक बी एवं सी तथा जी के आवंटियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण की जांच करवाकर दोषी आवंटियों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को गिरवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

रिवर बैंक कालोनी के आवंटियों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को अधिग्रहीत करने की कार्यवाही किये जाने हेतु नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26 ए (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1996-97 में श्री चन्द्रमोहन श्रीवास्तव, पूर्व अधिशासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा खेतान पंखे की खरीद एवं रेट घटाने विषयक जानकारी

163–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2200 से अधिक खेतान पंखों के निगम लाभांश को 2 प्रतिशत कम कर बेचने से कुल कितनी क्षति हुई ? इस क्षतिपूर्ति के लिये दोषी अधिकारी अधिशासी निदेशक के वेतन से कटौती की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कटौती कर ली जायेगी ?

श्री ऐजाज रिजवी–

निगम लाभांश को 2 प्रतिशत कम कर पंखों के बिक्री करने से निगम को कोई क्षति नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों की भांति परिषद् के अन्य कार्यालयों में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों को अवर वर्ग सहायक मानकर समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की मांग

164–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों को वर्ष 1991 में अवर वर्ग सहायक मानकर तीनों समयबद्ध वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुये हैं ? क्या परिषद् के अन्य कार्यालयों में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों को भी अवर वर्ग सहायक तीनों समयबद्ध वेतनमान दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार समयबद्ध वेतनमान उन्हें कब तक दे देगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

दैनिक श्रेणी लिपिकों को उनके प्रोन्नति के वेतनमान ही समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य किये जाते हैं । परिषदादेशों एवं संगत नियमों के अनुसार दैनिक श्रेणी लिपिकों को अवर वर्ग सहायक मानकर समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

परिषदादेशों/संगत नियमों के अनुसार दैनिक श्रेणी लिपिकों को अवर वर्ग सहायक मानकर समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

जिलापूर्ति अधिकारी लखनऊ द्वारा बिना किसी नियम प्रक्रिया पालन किये मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं के लाइसेन्स निरस्त किये जाने पर कार्यवाही किये जाने की मांग

165–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997 तक मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं की कितनी दुकानें जिलापूर्ति अधिकारी लखनऊ द्वारा निरस्त की गयी है ? क्या यह सही है कि बिना किसी नियम प्रक्रिया का पालन किये थोक दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997 की अवधि में केवल एक मिट्टी तेल के थोक विक्रेता मैसर्स राम सनेही ट्रेडर्स, मलिहाबाद, लखनऊ का लाइसेंन मिट्टी तेल के वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण नियमों व निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निरस्त किया गया है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

166–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर)–

[3रे शुक्रवार तक के लिए स्थगित ।

जनपद अम्बेडकर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार पर बकाया धन एवं वसूली के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी

167–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की नगर पालिका के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार पर विभिन्न विभागों का कितना-कितना धन बकाया चल आ रहा है ? उसकी वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

167–नगर पालिका परिषद्, अम्बेडकर नगर के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार पर बकाया धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(1) बकाया टेलीफोन बिल	रु० 8557–00
(2) अवैधानिक ढंग से शौचालय निर्माण पर किए गए भुगतान की धनराशि	रु० 96000–00
(3) व्यक्तिगत मुकदमों पर नगरपालिका निधि से व्यय की गई धनराशि	रु 73500–00
योग :–	रु० 178057–00

(4) अन्य मामलों की जांच चल रही है। टेलीफोन बिल एवं व्यक्तिगत मुकदमों पर व्यय में निहित धनराशि की वसूली की कार्यवाही जारी है। शौचालय निर्माण हेतु अनियमित ढंग से अग्रिम भुगतान की गई धनराशि रुपया 96000–00 की वसूली की कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत मनकापुर गोण्डा में रोड ग्रान्ट एवं नेहरू रोजगार योजना में शासन द्वारा स्वीकृत धन एवं बिना समिति के अनुमोदन के धन का दुरुपयोग अध्यक्ष नगर पंचायत व अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये जाने की जांच की मांग

168–श्री राम विशुन अजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर गोण्डा में वर्ष 1997-98-99 में रोड ग्रान्ट एवं नेहरू रोजगार योजना में शासन द्वारा कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि अध्यक्ष नगर पंचायत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मानिकपुर ने बिना समिति के अनुमोदन कराये बिना आंकलन स्वीकृति कराये एवं बिना निविदा के कार्य करवा कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजनाओं पर हुये कार्यों की जांच टी० ए० सी० से करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में साधारण सड़क अनुदान की मद में रुपये 3,00,000/–शासन द्वारा तथा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय मजदूरी योजना की मद में रुपये 5,06,050/–एवं लघु उद्यम (अनुदान) की मद में रुपये 1,82,000/–परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के 91+मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम शहाब्दा में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

169–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम शहाब्दा जो अम्बेडकर ग्राम है, शासन ने उक्त ग्राम में उक्त विद्युतीकरण नहीं किया है ? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम में कब तक विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य आंतरिक संसाधनों से नहीं कराया जाता है। इन ग्रामों का चयन जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर किया जाता है।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाता है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अम्बेडकर ग्राम बढ़ैमाखेड़ा में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

170–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड, माधौगंज के ग्राम बढ़ैमाखेड़ा जो अम्बेडकर ग्राम है, विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य आंतरिक संसाधनों से नहीं कराया जाता है। इन ग्रामों का चयन जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर किया जाता है तथा वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाता है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के अम्बेडकर ग्राम कुतुबापुर में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

171–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड, बिलग्राम के ग्राम कुतुबापुर जो अम्बेडकर ग्राम है, उक्त ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जाता है ? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम कुतुबापुर (कोड संख्या–259 जो अम्बेडकर ग्राम है) के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अम्बेडकर ग्राम ठठिया जाहिदपुर में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

172–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड, माधौगंज के ग्राम ठठिया जाहिदपुर जो अम्बेडकर ग्राम है, का विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य आंतरिक संसाधनों से नहीं कराया जाता है । इन ग्रामों का चयन जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर किया जाता है, तथा वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाता है । अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेक्टर 22, इन्दिरा नगर लखनऊ में भवन संख्या 641 के साथ संलग्न भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध रिपोर्ट

173–श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि सेक्टर 22, इन्दिरा नगर लखनऊ में भवन संख्या 641 के साथ 8 मीटर भूमि आवंटित रजिस्ट्रीकृत पर अवैध कब्जा दिनांक 9-6-93 को हुआ था, यदि हां, तो क्या आवंटी श्री जगराम द्वारा दिनांक 10-6-1993 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अवैध कब्जा को हटाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या निर्माण खण्ड–3 को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अवैध कब्जा को हटाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या निर्माण खण्ड–3 द्वारा अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो उसकी तिथि तथा पंजीकृत संख्या क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

श्री जगराम का दिनांक 10-6-93 का पत्र अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत योजना की सीवरेज व्यवस्था दिनांक 15-11-92 को जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित की जा चुकी थी । अतः अधशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 द्वारा उक्त पर तदानुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के मोहल्ला सहाब नाका एवं पहलवानबाड़ा में सड़क खड़न्जा तथा नालियों के निर्माण कराये जाने की मांग

174–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका जालौन जनपद जालौन के मोहल्ला सहाब नाका एवं पहलवान बाजार जो दलितों पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों की आबादी का क्षेत्र है, में सड़क खड़न्जा तथा नालियों के निर्माण का कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार वर्ष 1998-99 में इन कार्यों पर कार्य कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद् जालौन के मोहल्ला सहाबनाका एवं पहलवानबाड़ा दलितों, पिछडों एवं अल्पसंख्यकों की आबादी का क्षेत्र है । मोहल्ला सहावनाका एवं पहलवानवाडा में वर्ष 1997-98 में रुपये 1,68,000/–का कार्य सरकारी सहायता से कराया गया है । सहाबनाका मोहल्ले में रुपये 50,000/–की नाली पृथक से बनाई गई है । मोहल्ला पहलवानबाड़ा कटरा में वर्ष 1997-98 में रुपये 50,000/–का खड़न्जा शासकीय सहायता से तथा रुपये 20,000/–की नाली पालिका निधि से निर्मित कराई गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम के कामर्शियल इकाई को घाटे पर लाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की मांग

175–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या नगर विकास मंत्री उ० प्र० जल निगम के कामर्शियल इकाई को करोड़ों रुपये के वार्षिक लाभ के स्थान पर करोड़ों रुपये के घाटे पर लाने के लिये जल निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित करते हुये भ्रष्ट अधिकारियों की श्रेणी में लाकर कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? क्या वर्ष 1997 में जल निगम के कामर्शियल विंग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध माननीय सदस्यों की शिकायत भी मुख्यालय तथा शासन को दिया है ? क्या इस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

इकाई में केवल प्रारम्भिक वर्ष 1989-90 में घाटा हुआ है । इसके उपरान्त वर्ष 1990-91 से कामर्शियल विंग्स में कोई घाटा नहीं हुआ है । अतएव सामान्य जांच व कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों की स्थापना विषयक भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र विधायक कोष्ठक के पत्रांक सी० एम० वि० को०/एम/-3/78–80 मैनपुरी दिनांक 29-9-97 के अनुसार सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सन्दर्भित इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव के अनुसार धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मा० विधायक का एक अन्य पत्र दिनांक 24-9-97 मुख्य मंत्री कार्यालय विधायक कोष्ठक के पत्रांक–सी० एम० वि० को०/एम० सी०/80–40 मैनपुरी/97 दिनांक 26-9-97 प्राप्त हुआ है ।

मा० विधायक महोदय के पत्र दिनांक 24-9-97 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में 150 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने का अनुरोध किया गया था ।

वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु 299 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं ।

चूंकि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु वर्ष 1997-98 में 299 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्राम लहर कनार टिकरी, मुस्तकिल, गोहना आदि में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

177–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में वर्ष 1993-94 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत शासन के पत्र सं०–659/35-5-94-8(11)93-158 नियोजन अनुभाग–5 दिनांक 24 मार्च, 1994 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो यह सच है कि ग्राम लहर कनार, टिकरी, मुस्तकिल, गोहना, गढ़गुवा, रामपुर, कुठौन्दा बुजुर्ग, जैसुखपुर, सिम्हारा कासिमपुर, जकसिया, उकासा, मऊ कनार आदि ग्रामों को स्वीकृत विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में इंगित 12 ग्रामों में से :–

1–एक ग्राम "गोहना" का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

2–4 ग्रामों टिकरी, लहर कनार, गढ़गुवा व जकसिया का विद्युतीकरण 12/98 तक पूर्ण कराने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3–एक ग्राम "मुस्तकिल" शासनादेश द्वारा स्वीकृत 20 ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः इस ग्राम को विद्युतीकृत कराना संभव नहीं है।

चूकि संदर्भित शासनादेश में स्वीकृति रु० 19.0 लाख की धनराशि से प्रश्नकर्ता श्री श्रीराम पाल के समाज कल्याण राज्य मंत्रित्व काल में उनके पत्र दि० 10-2-95 में दिये निर्देशानुसार इंगित 12 ग्रामों के कार्य प्रारम्भ किये गये थे। जिनमें से 8 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। इन सभी 12 ग्रामों पर व्यय की गयी/की जा रही अनुमानित धनराशि रु० 19.063 लाख है।

चूंकि प्रश्न में इंगित अवशेष 6 ग्रामों यथा रामपुर, कठौन्दा–बुजुर्ग, जैसखपुर, उकासा, मऊ कनार व सिम्हारा–कासिमपुर का विद्युतीकरण धन की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः इन ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्नकर्ता श्री चेतराम सं० वि० स० द्वारा जानकीपुरम् सीतापुर रोड योजना में पंजीकृत भूखण्ड के बदले दूसरी योजना में भूखण्ड आवंटित किये जाने की मांग

178–श्री चेतराम–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने वर्ष 1990 में जानकीपुरम् (सीतापुर रोड) योजना में एक भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण कराया था तथा सेक्टर एच में भूखण्ड संख्या 1/815

आवंटित भी कर दिया गया ? क्या उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया ? क्या उक्त भूखण्ड हेतु प्रश्नकर्ता का करीब 30,000/–रुपये भी जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 की दर से भूखण्ड आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

ऐसे विवादित भूखण्ड के आवंटियों को प्रियदर्शिनी योजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा रु० 30,000/–जमा किया गया है ।

नियमानुसार मूल आवंटन के समय की दर पर ही मूल्य देय होगा ।

यथाशीघ्र प्रियदर्शिनी योजना में समायोजन की कार्यवाही की जा रही है ।

पौड़ी में स्वीकृति उत्तराखण्ड इतिहास पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी गढ़वाल के निर्माण हेतु कार्य कराये जाने की मांग

179–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 6-7-1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पौड़ी में उत्तराखण्ड इतिहास पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी गढ़वाल के निर्माण हेतु तीन करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उत्तराखण्ड इतिहास पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में विकास क्षेत्र द्वारिखाल ढागू के अन्तर्गत भूमि क्षरण रोकने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

180–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि पौड़ी जनपद में विकास क्षेत्र द्वारिखाल ढागू के अन्तर्गत अनेक ग्रामों का तीव्रता से भूमि क्षरण होने के कारण कई गांव धंस रहे हैं ? यदि हां, तो क्या भूमि क्षरण से रोकने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

भूमि क्षरण के कारण कुछ गांवों की जमीन धंसने की जानकारी हुई है, जिसकी रोकथाम के लिये रु० 43.20 लाख की योजना जिला ग्राम विकास अभिकरण के अन्तर्गत तैयार की गयी है, जिसमें रिटेर्निंग वाल, ब्रेस्टवाल, अवरोध बांध, अवरोध दीवार आदि पत्थर की संरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ वानस्पतिक आच्छादन का कार्य प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी में विगत वर्ष में जलने के कारण बदले गये ट्रान्सफार्मर की संख्या एवं ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन द्वारा की गई कार्यवाही

181–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में विगत 1997-98 वर्ष में कुल कितने ट्रान्सफार्मर जले तथा कुल कितने ट्रान्सफार्मर बदले गये ? क्या पौड़ी गढ़वाल में ट्रान्सफार्मर घटिया किस्म की कम्पनी से सप्लाई होते हैं ? क्या ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं उनके आपूर्ति के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1997-98 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 219 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुये तथा 167 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदले गये ।

जी नहीं ।

जी हां । ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता के लिये राज्य विद्युत परिषद् में समुचित व्यवस्था है । भण्डार निरीक्षण मण्डल जो कि परिषद् मुख्यालय पर स्थित है, के द्वारा ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति होने से पूर्व उनका निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है । ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये उन्हें प्राप्त करने से पहले थर्ड पार्टी "लायड एण्ड राइट" जो पूरे देश में तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की संस्था है, द्वारा निरीक्षण व परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के वि० खण्ड मनकापुर में ग्राम व पो० अकबरपुर भिटौरा, मनकापुर, दलतापुर को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना

182–श्री रामविशुन आजाद–

क्या अम्बेदकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वि० खं० मनकापुर में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्रा० व पो० अकबरपुर-भिटौरा, मनकापुर, दलतापुर को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो पक्की सड़क बनाने का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

विकास खण्ड मनकापुर में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत अम्बरपुर, भिटौरा, मनकापुर, दलपतपुर मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है ।

जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम अम्बरपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 14 लाख रु० एवं भिटौरा लिंक मार्ग, जिसकी लम्बाई एक किलोमीटर है, के लिए पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत हुई है ।

अम्बरपुर सम्पर्क मार्ग योजना हेतु समुचित मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है । धन की उपलब्धता होने पर नियमानुसार कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ के विकास खण्डों में नवसृजित चम्पावत में राजकीय कन्या हाईस्कूल एवं कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

183–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जिला चाम्पावत के कितने विकास खण्डों (मुख्यालयों) में राजकीय कन्या हाई स्कूल एवं कन्या इण्डर कालेज नहीं हैं ? क्या शासन की कोई योजना विकास खण्ड मुख्यालयों में कन्या हाई स्कूल एवं कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ के प्रत्येक विकास खण्ड में रा० कन्या हाई स्कूल एवं रा० कन्या कालेजों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड बाराकोट तथा जनपद चम्पावत के विकास खण्ड, पाटी में राजकीय कन्या हाई स्कूल/राजकीय कन्या इण्टर कालेज संचालित नहीं है ।

असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से कन्या हाई स्कूल/इण्टर कालेजों की खोले जाने की योजना है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में इण्टर स्तर तक कृषि विद्यालय खोले जाने की मांग

184–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जिला चम्पावत के कितने विद्यालयों में इण्टर मीडिएट स्तर तक कृषि विषय की पढ़ाई होती है ? क्या सरकार उक्त जनपदों में कृषि उद्यान एवं वानिकी क्षेत्र में रोजगार के व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए जनपदों के चुनिन्दा विद्यालयों में इण्टर स्तर तक कृषि विद्यालय पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा०- रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनपद पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जनपद चम्पावत के इण्टर स्तर तक के किसी भी विद्यालय में कृषि विषय की पढ़ाई नहीं होती है । सम्बन्धित विद्यालयों से मानकों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

नवसृजित जनपद चम्पावत के नरियाल गांव में पशुजनन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ होने की जानकारी

185–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद चम्पावत के नरियाल गांव में पशुजनन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्वीकृति शासन द्वारा की गयी है ? क्या उक्त केन्द्र ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां।

जी नहीं।

पशुप्रजनन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र के लिये वांछित व्यवस्थायें कर क्रियाशील किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में सूरतपुर ग्रेटर नोयेडा स्थित एल्फाई वानाडा लि० फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर को समायोजित किये जाने की मांग

186–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूरतपुर ग्रेटर नोयेडा स्थित एल्फाई वानाडा लि० फैक्ट्री जनपद गौतमबुद्धनगर में कुल कितने स्थाई, अस्थाई तथा लेबर कानट्रेक्ट के अन्तर्गत कितने समय से कितने मजदूर कार्यरत हैं ? क्या लम्बे समय से कार्यरत अस्थायी या लेबर कान्ट्रेक्ट के मजदूरों को कम्पनी द्वारा समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मेसर्स एस्कार्ट यामाह लि०, गौतमबुद्ध नगर में वर्तमान में कुल 679 स्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में अस्थाई एवं संविदाकार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों की संख्या शून्य है।

इण्टर कालेज टामटेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) में शासन द्वारा इण्टर विज्ञान की कक्षाओं की मान्यता दिये जाने की मांग

187–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्टर कालेज टामटेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) में इण्टर विज्ञान की कक्षाओं को स्वीकृत करने का प्रकरण शासन के शिक्षा अनुभाग–7 में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय में इण्टर विज्ञान की कक्षाओं की मान्यता शासन देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

इण्टर कालेज टामकेश्वर पौड़ी गढ़वाल को इण्टर विज्ञान वर्ग को मान्यता दिये जाने का प्रकरण उत्तरांचल विकास विभाग में प्राप्त हुआ है, तथा उसमें कुछ कमियां इंगित की गई हैं।

जी हां, कमियों के निराकरण के पश्चात् क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने पर अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों के पद सृजित किये जाने और उनमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

188–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9 पिथौरागढ़ के लिए पूर्व में स्वीकृत 5 (पांच) हाईस्कूल एवं 5 (पांच) इण्टर कालेजों में अध्यापकों के पद सृजित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में शिक्षा सत्र 1998 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज लोहाघाट जिला चम्पावत में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने हेतु प्रवक्ता का पद सृजित किये जाने की मांग

189–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज लोहाघाट जिला चम्पावत में इण्टर कक्षा में नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त विद्यालय में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पद सृजन की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां।

दिनांक 11-7-56 से।

जी नहीं।

जी नहीं।

हाई स्कूल लियाखाल (पौड़ी गढ़वाल) में विज्ञान सहित इण्टर कक्षाओं की मान्यता विषयक लम्बित प्रकरण को शासन द्वारा मान्यता दिये जाने की मांग

190–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल लियाखाल (पौड़ी गढ़वाल) में इण्टर विज्ञान सहित, इण्टर कक्षाओं को स्वीकृत करने का प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इस विद्यालय में इण्टर कक्षाओं की मान्यता की स्वीकृति शासन कब दक दे देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लियाखाल पौड़ी गढ़वाल को इण्टर साहित्यक वर्ग की मान्यता का प्रकरण शासन में प्राप्त हुआ था, जिसकी मान्यता शासनादेश दिनांक 19-3-98 द्वारा दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

किराये के भवन में चल रहे रा० उ० मा० वि० पौड़ी द्वारा भवन मालिक को किराये का भुगतान

191–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि कन्या रा० उ० मा० वि० पौड़ी का विद्यालय किराये के भवन पर चल रहा है ? क्या किराये के भवन मालिक को किराया भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

माह नवम्बर, 1992 से मार्च, 1993 तक के भवन किराये का भुगतान किया जा चुका है। शेष किराये के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज में सेंथल पट्टी को अम्बेडकर ग्राम चयन कर सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

192-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज में सेंथल पट्टी राजस्व ग्राम है ? यदि नहीं, तो सेंथल पट्टी अम्बेडकर ग्राम चयन कर सारी सुविधायें क्या उपलब्ध करायी गयी है ? क्या इसमें लिप्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हां।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्राप्त कम्प्यूटर प्रिन्ट के आधार पर विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 1991 की जनगणना के सामान्य कोड संख्या-01105 पर सेंथल पट्टी नाम का जनगणना ग्राम अंकित है, जिनमें परिवारों की संख्या-91 कुल आबादी 482 तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 432 अंकित है। इसी के आधार पर सेंथल पट्टी को 1993-94 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है और नियमानुसार सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। इसीलिए कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में इन्दिरा आवास निर्माण में खण्ड विकास अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमितता की जांच कराये जाने की मांग

193-श्री मरलीधर-

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1997-98 में कितने गांव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना अन्तर्गत चयनित हैं ? किन-किन ग्रामों में क्या-क्या विकास कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि अम्बेडकर ग्रामों में इन्दिरा आवास निर्माण में खण्ड विकास अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमितता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी-

(I) जनपद फतेहपुर में वर्ष 1997-98 में 60 अम्बेडकर गांव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना अन्तर्गत चयनित किये गये थे।

(II) इनमें 11 कार्यक्रम यथा सम्पर्क मार्ग विद्युतीकरण, नाली/खड़ण्जा, स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क बोरिंग, आई०आर०डी०पी०, इन्दिरा आवास, स्वच्छ पेयजल, स्कूल भवन, किसान पेंशन एवं विधवा पेंशन कार्यक्रमों में संतृप्त किया जाना था। उक्त चयनित 60 अम्बेडकर ग्रामों को निःशुल्क बोरिंग, स्वच्छ पेयजल, स्कूल भवन एवं किसान/वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम में पूर्ण रूप से संतृप्त कर लिया गया है। शेष 7 कार्यक्रमों में संतृप्तीकरण की स्थिति निम्नवत् है :-

1-सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 ग्राम चयन से पूर्व जुड़े थे, 4 ग्राम की आबादी 1,000 से कम है। नियम के अन्तर्गत 1000 की आबादी से अधिक से अधिक संख्या के ग्रामों को ही जोड़ना है। शेष 46 ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु प्राक्कलन एवं वित्तीय स्वीकृति विचाराधीन है।

2–विद्युतीकरण के अन्तर्गत 60 ग्रामों में से 4 गांव की आबादी 1000 से कम होने के कारण विद्युतीकरण नहीं होना है शेष 56 ग्रामों में से 5 ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया है शेष 51 ग्रामों में से विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

3–**नाली खण्ड़जा** कार्यक्रम में 35 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 25 ग्रामों को संतृप्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

4–**स्वच्छ शौचालय** चयनित 60 ग्रामों में मे 45 ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। 15 ग्रामों को संतृप्तीकरण हेतु धनराशि जनपद को निर्गत की जा चुकी है।

5–**आई०आर०डी०पी०**–कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 60 ग्रामों में से 45 ग्राम संतृप्त कर लिए गये हैं। 15 ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु ऋण प्रार्थना-पत्र बैंक में प्रेषित कर दिये गये हैं।

6–**विधवा पेंशन**–कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 ग्रामों में से 36 ग्राम संतृप्त कर लिए गये हैं शेष 24 ग्रामों के पात्र लाभार्थियों के चयन का कार्य प्रगति पर है।

7–**इन्दिरा आवास**–इन्दिरा आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 ग्राम संतृप्त कर लिए गये हैं। शेष 15 ग्रामों में लाभार्थियों को धनराशि दी जा चुकी है जिन्हें शीघ्र ही संतृप्त कर दिया जायेगा।

इन्दिरा आवास निर्माण हेतु ग्राम सभा केश्वापुर, बैजानी, पेममऊ कटरा, टिकरी मनौटी तथा अकबरपुर चौराई से खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर जांच करायी गयी। अपात्र लाभार्थियों को निरस्त कर नये पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। दोषी पाये गये खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं जिलाधिकारी गढ़वाल को पृष्ठांकित डा० हरक सिंह रावत उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही की जानकारी

194–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या अम्बेदकर ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं जिलाधिकारी गढ़वाल को पृष्ठांकित डा० हरक सिंह रावत उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के पत्रांक मेमो/अम्बेडकर ग्राम/खादी बोर्ड 1997-98 दिनांक 10-9-97 के साथ प्रधान ग्राम सभा बहेड़ा विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल के प्रत्यावेदन पत्रांक बहेड़ा/9-योजना/97-98, दिनांक 27-5-97 की प्रति शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दु क्या-क्या हैं तथा इन बिन्दुओं पर अब तक क्या-क्या निराकरण कार्यवाही की गयी है ? शेष बिन्दुओं पर कब तक निराकरण कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राधेश्याम कोरी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में पल्टा देवी-शोहरतगढ़ मार्ग से पिछौरा से पुरैना तक 1 कि०मी० मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि से केवल आधा कि०मी० मार्ग बनाने वाले दोषी अधिकारियों को दण्ड दिये जाने की मांग

195–श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में पल्टा देवी-शाहरतगढ़ मार्ग से पिछौरा से पुरैना तक पूर्वांचल विकास निधि द्वारा वर्ष 1995 में स्वीकृत एक कि०मी० मार्ग की धनराशि स्वीकृत थी ? क्या यह सही है कि केवल आधा कि०मी० ही सड़क बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या शासन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

जी नहीं। एक कि०मी० के विरुद्ध 780 मी० सड़क का निर्माण हुआ। शेष सड़क भूमि विवाद के कारण नहीं बन सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

196–श्री नवाब सिंह नागर–

।।मंगलवार में अता० प्र० 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त ग्राम नहर जिला गढ़वाल का पुर्ननिर्माण कराये जाने की मांग

197–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त डाम नहर जिला टिहरी गढ़वाल का पुर्ननिर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

कार्य प्रगति पर है। माह जून, 98 के अन्त तक पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दोध में स्थापित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में सामग्री वितरण में धांधली की जांच की मांग

198–श्री राम कृपाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा दोध में स्थापित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गांव वासियों को वितरण की जाने वाली सामग्री एवं विद्यालय के छात्रों को वितरण किये जाने वाले पुष्टाहार जैसे चावल आदि के वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1996-97 व 1997-98 में किये गये वितरण से सम्बन्धित उठान रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि को सील कर किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत न्याय पंचायत चन्दाडीह के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा बच्चों के पुष्टाहार आदि में धांधली की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग

199–श्री राम कृपाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत न्याय पंचायत चन्दाडीह के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार द्वारा ग्राम सभा बहुता चक उपाध्याय, ग्राम सभा चन्दाडीह आदि कई दुकानें अपने दुकान से सम्बद्ध करा लेने के कारण जनता को आवश्यक सामान

नहीं मिल पा रहा है ? क्या यह भी सही है कि कई ग्राम सभाओं में स्थापित प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों का पुष्टाहार आदि वितरण भी उक्त दुकानदार द्वारा नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त दुकान पर वितरण हेतु दी गयी सामग्री एवं बच्चों का पुष्टाहार की उठान रजिस्टर वितरण रजिस्टर की सम्पूर्ण जांच कराकर आवेश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ बस स्टेण्ड से आगरा मार्ग तक अतिक्रमण हटाने के बन्द पड़े कार्य को शुरू किये जाने की मांग

200–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ बस स्टैण्ड से आगरा मार्ग तक अतिक्रमण हटाने का कार्य बीच में ही बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो अब इस अतिक्रमण को कब से हटाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस राज मार्ग के बीच में लगे बिजली व टेलीफोन के खम्भों को हटाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो ये कब तक हटाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस राजमार्ग पर स्थित देवी अहिल्याबाई होल्डर चौराहे से राठी अस्पताल तक के सौन्दर्यीकरण वन-वे ट्रैफिक योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा मनकापुर के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों से सम्बद्ध अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

201–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य अम्बेदकर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा को मनकापुर में 1995 से 1998 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक चेयनित अम्बेडकर ग्रामों के सम्बद्ध अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विद्युतीकरण विभाग/विद्युत परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कर दिया गया है जिसकी सूची संलग्न है । अनुसूचित जाति बाहुल्य सभी पुरवों/मजरों का विद्युतीकरण सीमित संसाधनों के कारण नहीं हो सका है । इनकी कार्य योजना बनायी जा रही है । धन उपलब्ध होने पर इनके विद्युतीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 184-185 पर ।)

यू० पी० ऐस्बेस्ट्स सीमेन्ट सीट्स लि० मोहनलालगंज के कार्मिक अधिकारी द्वारा कर्मचारियों का शोषण एवं प्रतिड़ित करने के कारण जांचकर कार्यवाही किये जाने की मांग

202–श्री मो० मुकीम तथा श्री अब्दुल मन्नान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० ऐस्बेस्ट्स सीमेन्ट सीट्स लि० मोहनलालगंज के कार्मिक अधिकारी द्वारा माह फरवरी, 1998 से स्थायी कर्मचारियों को टाइम आफिस के पंच कार्ड को अपने पास रखकर कर्मचारियों से सादे कागज में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने के लिए मजबूर कर उन्हें नौकरी

से निकाला जा रहा है ? क्या ऐसे में कई कर्मचारियों द्वारा अंगूठा/हस्ताक्षर न करने पर उन्हें काम पर नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कर्मचारियों का भविष्य निधि व अन्य समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री सुखलाल, फैक्ट्री कर्मचारी द्वारा दिनांक 21-4-98 को रजिस्टर्ड पत्र थाना प्रभारी, मोहनलालगंज को भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने कर्मचारियों का शोषण करने वाले कार्मिक अधिकारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही कर दण्डित करने एवं पूर्व में इस तरह प्रताड़ित कर्मचारियों के वापस ड्यूटी पर लेने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

अयोध्या मन्दिर विवाद एवं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्व प्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ममान्यवर, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा था.....

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीर अध्यक्ष जी, आपसे चर्चा कराने की मांग उठायी थी आप इसको गम्भीरता से लेंगे ।

(शोर के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री का आचरण संविधान विरोधी है, मन्दिर बनाने की बात है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सारे नियमों को निलम्बित करके इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें । नियम 301 की सूचनायें हैं उसमें समय कितना लगता है ? उसमें मैं बताता हूं कि किसकी स्वीकार हो गयी है । उसके बाद नियम 300 की केवल दो सूचनायें हैं । उसमें मेरा ख्याल है कि 5 मिनट का समय इन सूचनाओं पर लगेगा । 5 मिनट धैर्य रख लेंगे तो बात आ जायेगी । आप सब माननीय सदस्य अपनी बात कह दीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

इस तरह से नियम 311 का महत्व ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

महत्व नहीं समाप्त होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप 311 की सूचना पहले ले लें फिर 300 की लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

5 मिनट आगे या पीछे, इससे कितना अन्तर पड़ जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

311 में यही है कि सारे नियमों को शिथिल करके सुन लिया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने हमारी इस सूचना को नियम 311 में चर्चा कराने के लिए स्वीकार कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने 311 की सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया हैं । नियम 56 की प्रक्रिया आरम्भ होगी. मैंने चर्चा नहीं स्वीकार की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

नियम 56 में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है । इस मामले से सरोकार है । अगर आपने इस पर चर्चा कराये जाने को स्वीकार कर लिया है तो हम आपके आभारी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने चर्चा अभी स्वीकार नहीं की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

5 मिनट का समय आगे पीछे करने से समय अकारण जाया होगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरा निवेदन है कि यह पूरे प्रदेश की बहुत ज्वलन्त मामला है । पूरे प्रदेश के अल्संख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है । यह अति महत्वपूर्ण विषय है । हम इस पर तत्काल आपकी व्यवस्था चाहते हैं । आप तत्काल इसको लें । सरकार की इस बेहूदी हरकत पर हम लगाम आपके माध्यम से लगाना चाहते हैं । यह सरकार अल्पसंख्यकों में भय का माहौल पैदा कर रही है इससे माहौल बिगड़ रहा है । इस पर तत्काल बहस होनी चाहिए । इसे टालना उचित नहीं है । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । यह सूचनायें श्री भारत सिंह रावत, श्री राजधारी, श्री ददूद प्रसाद, श्री लाखीराम जोशी, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदीश नारायण एवं श्री राम सिंह सैनी की हैं ।

यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं ।

जनपद गढ़वाल के लक्ष्मण झूला-स्वर्गाश्रम धार्मिक स्थलों पर सरकारी भूमि प्रभावशाली लोगों को पट्टे पर आवंटित किये जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला-स्वर्गाश्रम धार्मिक स्थल है । यहां प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं । यहां की भूमि बहुत कीमती है, स्थानीय प्रशासन ने सरकारी भूमि पर पट्टे बड़े-बड़े महन्तों एवं प्रभावशाली लोगों को आवंटित किये हैं । जनता इसे बहुत बड़ा जमीन घोटाला मानती है । प्रशासन से इस भूमि को आवंटन की जांच की मांग कर रही है । जनता का कहना है कि करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को आवंटित कर पट्टे दिये गये हैं । यहां तक कि जनता की सार्वजनिक उपयोग की भूमि, शमशान घाट तक आवंटित किये गये हैं । महोदय, यही नहीं गंगा प्रदूषण बोर्ड हरिद्वार की मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं ।

गंगा प्रदूषण बोर्ड हरिद्वार भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध निर्माण हो रहे हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की कृपा करवा दें ।]

जनपद मथुरा अन्तर्गत गांव गढ़ीवेरी में दिनांक 4 जून, 1998 को राजस्व वसूली के सम्बन्ध में हुए घटनाक्रम की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजधारी–

[मान्यवर, जनपद मथुरा अन्तर्गत गांव गढ़वेरी में 4 जून, 1998 को राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में ग्रामीण जनता को संग्रह अतीन रेशचन्द्र उर्फ कन्तो के साजिश से अधिकारियों की उपस्थिति में निर्मम पिटाई एवं लूटपाट की गई । जिससे बच्चों महिलाओं एवं ग्रामीणों को गम्भीर चोटें आयी एवं उनके रुपये एवं जेवर आदि लूट लिये गये । एवं वृद्ध लोगों को जेल भेज दिया गया जिससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है । इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रामीण जनता की कोई शिकायत या एफ० आई० आर० दर्ज नहीं किया गया ।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त घटना से उ० प्र० सरकार को अवगत कराते हुए उपरोक्त घटना क्रम की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करावें, जिससे जनता में व्याप्त भय दूर किया जा सके ।]

ग्राम गोयरा मुगली ब्लाक बड़ोखर खुर्द जिला बांदा में विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, ग्राम गोयरा मुगली ब्लाक बड़ोखर खुर्द जिला बांदा में अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण नहीं करवाया गया अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युतीकरण करवाये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है । चूंकि विद्युतीकरण के अभाव में पूरी बस्ती में अंधेरा रहता है तथा चोरी की घटनायें होती रहती है, इसी बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र भी है तथा मेरा घर भी इसी बस्ती में स्थित है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

● वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः जनहित में आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्राम की अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य करवाने की लिये ध्यानाकर्षण कराया जाये ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में कोदाबर-दीनमुखेन में मोटर मार्ग को एक निश्चित समय में पूरा कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाखीराम जोशी–

[मान्यवर, जिला टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1978-79 में कोदार-दीन गांव मुखेन मोटर मार्ग 10 कि०मी० स्वीकृत किया गया था । उसका निर्माण वन अधिनियम 1900 के कारण समय पर नहीं किया जा सका, स्वीकृत धनराशि से मात्र 7 किमी० सड़क निर्माण ही सम्भव हो सका । विशेष सड़क निर्माण हेतु पुर्नरीक्षित आगणन लो० नि० वि० ने शासन को भेज दिया था । जिसे अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि पूर्व स्वीकृत 10 कि०मी० के बाद सड़क को आगे का भाग मुखेन तक निर्माण हेतु शासन ने वर्ष 1994 में 8 कि०मी० एवं वर्ष 1997 में 6 किमी० की स्वीकृति जारी की परन्तु आरम्भिक 10किमी० के पुर्नरीक्षित आगणन की स्वीकृति के अभाव में आगे का स्वीकृत 14 कि०मी० सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है । पुर्नरीक्षित आगणन की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय जनता की ओर से सैकड़ों मांग-पत्र भेजे गये हैं । परन्तु अभी तक शासन जनता की मांग की अनदेखी कर रहा है । मोटर मार्ग निर्माण में लगातार हो रहे विलम्ब से निर्माण लागत में प्रतिवर्ष अनावश्यक बढ़ोत्तरी हो रही है । दूसरी ओर जनता को यातायात से वंचित रहना पड़ रहा है । इस स्थिति में शासन की लापरवाही से गम्भीर औचित्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है ।

आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर कौदार-दीनगांव मुखेन मोटर का एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्माण पूर्ण कर दूरस्थ ग्रामीण जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन को निर्देश करने का कष्ट करें ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कई मार्गों पर राज्य सेक्टर योजना में सड़कों पर लेपन करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पर पत्थर सोलिंग स्तर तक का कार्य लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा कई वर्ष पूर्व कराया जा चुका है, परन्तु लेपन न होने से मार्गों पर पड़े पत्थर उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं जिससे आवागमन वाधित हो रहा है छपिया गोन्दहा मार्ग, सकदरपुर मकोडया कोटखास मार्ग का शेष भाग उमवावीरपुर मार्ग, मंडक धर्मदासपुर मार्ग, की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो चुकी है इस संबंध में मेरे द्वारा कई वार शासन का ध्यान आकर्षित किया है परन्तु भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण मार्गों का लेपन नहीं हो पाया है ।

अतः इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि जनहित में राज्य सेक्टर योजना में लेपन करवाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनप्रतिनिधियों की स्थिति एवं अधिकारों के बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी माननीय सदस्य लोक सेवक हैं (उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार) परन्तु माननीय विधायकगण किस श्रेणी के लोक सेवक है स्पष्ट न होने के कारण,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार के मंत्री सचिव व जिले तक के छोटे से छोटा अधिकारी कोई महत्व न देते हुये विधायकों के पत्रों तथा मांगी गयी जानकारियों का उत्तर नहीं देते जिससे क्षेत्र के विकास वाधित हो रहे हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये जनप्रतिनिधियों की स्थिति एवं अधिकारों के बारे में स्पष्ट नीत निर्धारित की मांग करता हूं।।

विधान सभा क्षेत्र रुड़की स्थित अम्बेडकर नगर नागल ब्लाक भगवानपुर से गांव सघडवाले तक लिंक मार्ग का निर्माण एवं विद्यार्थी नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अपने क्षेत्र के अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन के अनुरोध है कि इस पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाये। मेरे क्षेत्र में स्थिति अम्बेडकर गांव नागल ब्लाक भगवानपुर से गांव राघडवाले तक लिंक मार्ग का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था और धन का एक किस्त लगभग 3 लाख रुपये सड़क बनाने के लिए विभाग को निर्गत भी कर दी गयी थी। परन्तु जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों की साजिश के तहत इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दोनों ग्रामों के बीच एक नाला भी पड़ता है। जिसमें हर समय पानी रहता है और जिसके कारण ग्राम नागल व ग्राम पलुनी के विद्यार्थी नाले पर पुल न होने के कारण शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं। शासन की नीति के अनुसार अम्बेडकर गांव को पक्के मार्ग से जोड़ने की नीति का भी खुला उल्लघंन है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब सड़क निर्माण की मांग करता हूं।।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 जून, 1998 को नियम 300 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना माननीय लाल जी वर्मा की है।

(श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारे जाने व उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना माननीय डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

(श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर और उनके खड़े होने पर)

शासन के मंत्रियों के मंत्रियों को परामर्श देने के लिए गठित की गई स्थाई समितियां की बैठक न होने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (1) वां संस्करण के निदेश 98 केअन्तर्गत निर्धारित अनुसूची–3 के पैरा–6 के अनुसार स्थायी समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम 2 बार और यदि हो सके तो 3 बार बुलायी जानी चाहिये। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि वे इस संबंध में सभी विभागों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

नोट :–1 यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने स्थान पर कुर्सी पर खड़े होकर बोलने लगे– यह प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल जायेगा...)

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं आगे की मद दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाये जाते रहे)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मानव अंग प्रतिरोपण अध्यादेश, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मानव अंग प्रतिरोपण अध्यादेश, 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 में किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 में किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1997-98 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 मार्च, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मार्च, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998

(व्यवधान)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26

मार्च, 1998 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(व्यवधान के मध्य)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) निरसन विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

माननीय, किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (निरसन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1998 बैठक में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 1998 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, यह सरकार निकम्मी है यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

माननीय, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01, अगस्त, 1998 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 01 जून, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(कई सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11, 12 में कुछ नहीं है मद संख्या–13 लेते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 जून, 1998 में सदन के दिनांक 18 जून, 1998 से 22 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित करने की सिफारिश की है :–

जून, 1998	
18 गुरुवार	निधन के निर्देश।
19 शुक्रवार	(1) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन, आदि, यदि कोई हों।

(2) असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प)
(3) 4.00 बजे अपराह्न
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

20 शनिवार
21 रविवार

बैठक नहीं होगी।

22 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
(2) 5.00 बजे अपराह्न
विधायी कार्य ।

23 मंगलवार
24 बुधवार
25 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा
(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा
(2) (I) नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

26 शुक्रवार

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रख दिये जायं ।"

(II) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिए जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायं ।"

(III) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्याप्त सुधारने के लिए, पीपल व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहद् रूप से वृक्षारोपण किया जाय ।"

27 शनिवार
28 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

29 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
(2) 5.00 बजे अपराह्न
विधायी कार्य ।

30 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार अवं मतदान ।

जुलाई, 1998

1 बुधवार

(1) असरकारी दिवस (आधा घण्टा)

2 गुरुवार	(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
3 शुक्रवार 4 शनिवार 5 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
6 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
7 मंगलवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
8 बुधवार 9 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
10 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन) ।
11 शनिवार 12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
13 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
14 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
15 बुधवार 16 गुरुवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन) ।
17 शुक्रवार 18 शनिवार 19 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
20 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
21 मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
22 बुधवार	(4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना मा० अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव से जिसकी सूचना मा० संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दी गयी है, से सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 14 में कुछ नहीं है ।

मद संख्या 15 में कार्य-स्थगन हो रहा है कृपया सभी माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर चले जायं ।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 जून, 1998 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । नियम 311 में पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री सुधाकर सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री मोती लाल पैलवी, श्री अरुण वीर सिंह, श्री अरविन्द गिरि, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री मुन्ना चौहान, श्री सीता राम निषाद, श्री राम औतार शाक्य, श्री उदयराज यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री अम्बरीष कुमार, श्री जोखूलाल यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, डा० कौशल किशोर, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राम प्यारे सिंह, श्री श्रीराम यादव, श्री राम सिंह सैनी, श्री योगेन्द्र सिंह, की है, दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी की है, तीसरी सूचना स्वामी ओइम्वेश की है चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री अम्मार रिजवी की है यह सभी सूचनायें प्रदेश में अयोध्या के विवादित स्थल पर कथित निर्माण कार्य कराये जाने को लेकर फैल रहे संशय के वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं । चूंकि काफी माननीय सदस्य इस विषय पर बोल रहे हैं इसलिए यदि किसी को अवसर न मिले तो मुझे क्षमा कर दें । सभी माननीय सदस्य कृपया पांच-पांच मिनट में अपनी बात रखें । चूंकि डा० अशोक बाजपेयी के पहले हस्ताक्षर हैं इसलिए उनको पहले बोलने का अवसर दे रहा हूं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि पहली सूचना अमुक-अमुक सदस्यों की है, दूसरी सूचना अमुक-अमुक सदस्यों की है । तो आपने पहली सूचना किसको माना और दूसरी सूचना किसको माना । इसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे पहली सूचना बाजपेयी की 9.04 पर प्राप्त हुई दूसरी सूचना जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं यह 9.41 पर प्राप्त हुई । इसीलिए इसको दूसरी सूचना माना ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी सूचना 9.00 बजे की है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचनायें मेरे कार्यालय में प्राप्त होती हैं इसलिए समय नोट है । नियम 56 की सूचनायें बाक्स में डाली जाती हैं इसलिए उन पर समय नहीं पड़ा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब आपने इन सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया तो हमारे समय को नोट कर लिया जाता तो हमारी पहली सूचना बन जाती ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचनाओं को 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । 4 सूचनायें थीं, उन चारों को मैंने ले लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस विषय पर कोई विवाद नहीं है कि पहले कौन बोले । पहले आप कुंवर रेवती रमण सिंह जी को ही सुन लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

[x x x]

डा० अशोक बाजपेयी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

सूचना सबकी हैं, चूंकि संख्या अधिक हैं, इसलिए मुझे सीमित तो करना ही पड़ेगा । आपको अवसर मिलेगा, इतना मैं आश्वासन देता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

[x x x]

श्री बी० आर० वर्मा–

[x x x]

डा० अशोक बाजपेयी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

[x x x]

श्री बी० आर० वर्मा–

[x x x]

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

नोट– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x x]

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नई परम्परा डालनी होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा, अब समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोट :– [x x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) समाजवादी पार्टी के 24 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न हैं ?

मेरे पास नियम 56 की 4 सूचनायें हैं।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समाजवादी पार्टी के 25 माननीय सदस्यों ने सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं। 24 पर एक ने और स्वामी प्रसाद जी ने भी अलग हस्ताक्षर किये हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इतना संवेदनशील विषय है यह आपकी समझ में नहीं आया आपने कोई सूचना ही नहीं दी। जिन्होंने सूचना दी है उनको बुलवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

पांच मिनट हो चुके हैं अब नहीं लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें लिखा नहीं जा रहा है।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री राजधारी–

[x x x]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जो आप बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

(व्यवधान)

(डा० अम्मार रिजवी का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(व्यवधान)

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारा गया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आपके दल ने नाम दिए हैं वही नाम मैं बुला रहा हूं।

(इसी मध्य श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री मुराद लारी, श्री अकबर हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान वेल में आकर बैठ गए।)

(वेल से)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया आसन पर जाएं । अगर आपमें से किसी को अवसर दिया तो हमीद साहब और सुबाष श्रीवास्तव साहब अनुरोध कर रहे हैं उनको भी अवसर देना पड़ेगा ।

आप लोग आसन पर जाएं सदन की कार्यवाही में व्यवधान मत उत्पन्न करें । मैं नियम के अनुसार कार्यवाही चला रहा हूं । मैंने शाक्य जी को बुला लिया है ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही को किसी न किसी प्रक्रिया के तहत तो विनियमित करना ही होगा । यह एक स्थापित परम्परा है । जब एक ही सूचना पर अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तो विवेक का उपयोग करना पड़ेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

श्री बी० आर० वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, पहले जिनका नाम आया है उनको अवसर दूंगा । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(वेल में आये हुये सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री स्वामी ओइम्वेश–

[x x x]

श्री कौकब हमीद–

[x x x]

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

[× × ×]

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी का नाम पुकारे जाने पर अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने की अनुज्ञा मांगने लगे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री धनी राम वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

और भी महत्वपूर्ण विषय हैं समय कम है।

श्री अम्बरीष कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह सम्भव नहीं हो पायेगा।

माननीय अम्बरीष जी, माननीय मुन्ना चौहान जी, आपको तो उस विषय पर बोलना चाहिए जिस पर कोई दूसरा न बोले।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

चौदह माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं माननीय नेता विरोधी दल जी आप अपने विचार रखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

क्षमा कीजिए, कार्य-सूची में कई अन्य विषय भी हैं, चार सूचनाएं भी हैं। मेरी भी एक सीमा है माननीय नेता विरोधी दल जी आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें और अपने विचार रखें।

श्री धनी राम वर्मा–

[x x x]

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यदि समय होता तो मैं अवश्य अवसर देता । माननीय नेता विपक्ष मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लें । कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हैं, मैं किस-किस के अनुरोध को स्वीकार करूं ।

(व्यवधान)

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जो अन्य नोटिस माननीय सदस्यों ने दी हैं क्या वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

विवेक का इस्तेमाल तो मैंने कर दिया है । अभी काफी कार्य पड़ा है । 3.30 बजे हम थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित करेंगे क्योंकि दूरदर्शन वालों को अपनी व्यवस्था करनी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, लेकिन मैं एक दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा और यह मेरे विवेक पर होगा कि मैं किसे सुनूं । जब मैं लाल बत्ती जला दूंगा तो वह वक्ता अपने आप रुक जायेगा ।

श्री रामचन्दर यादव–

[x x x]

श्री राम बिशुन आजाद–

[x x x]

श्री तौफीक अहमद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम सिंह सैनी–

[x x x]

श्री अफजाल अहमद–

[x x x]

श्री अफरोज अली खां–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इसमें परमाणु विस्फोट की बात कहां से आ गयी ?

श्री अफरोज अली खां–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

ठीक साढ़े 4 बजे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर के लिये बुलाऊंगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

(माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट ।)

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपसे अनुरोध है कि 5 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

[x x x]

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं किसी को एक सेकेंड का समय नहीं दूंगा, एक मिनट तो बहुत दूर है।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

मैंने उनको भी अवसर दे दिया जिनके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं थे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह (सदन के वेल से)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय अखिलेश जी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

(श्री अखिलेश कुमार सदन के वेल से चले गये।)

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

श्री कल्याण सिंह–

[x x x]

श्री धनीराम वर्मा–

[x x x]

श्री कल्याण सिंह–

[x x x]

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं कृपया शांत रहें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाएं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यगण बैठ जायें ।

(किसी भी माननीय सदस्य के न बैठने तथा अपनी-अपनी बात कहने पर)

अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं वह न तो विधान सभा के अभिलेखों में जायेगा और न किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित होगा, दूरदर्शन भी इसका संज्ञान नहीं लेगा ।

मैं सदन को 3.15 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

पहले जिस पर मैंने व्यवस्था दी है उस पर मेरी बात को सुन लें ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अगर विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं और सरकार के उत्तर को शान्तिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सुनने की बात करें तब तो मैं अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करूंगा अन्यथा मैंने व्यवस्था दे दी है, निर्णय आपको लेना है।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान हो जाता तब यह स्पष्टीकरण पूछते।

जब माननीय मुख्य मंत्री जी बयान दे दें तब माननीय सदस्य स्पष्टीकरण पूछते हैं। विपक्ष के जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो सत्तापक्ष के किसी माननीय सदस्य ने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की और अब सरकार से जब उसका उत्तर आ रहा है तो यह प्रयास हो रहा है कि सरकार की बात विधान सभा के अभिलेखों में न आ जाय। यह तो एक तरह से अव्यवस्था फैलानी हुई। यह कम से कम मुझे पसन्द नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

मैं क्या मानकर चलूं कि विपक्ष सुनेगा सरकार के उत्तर को।

कोई बात पूछना है तो आप उनके भाषण के बाद पूछ लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

आप अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, दोनों में अन्तर होना स्वाभाविक है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप सरकार की बात से सहमत हो या सरकार आपकी बात से सहमत हो।

आपकी बात उन्होंने सुन ली है, आप उनकी बात सुन लें दोनों पक्षों की बाते अभिलेखों में आ जायेंगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं दुखी हो रहा हूं इस बात से।

नोट :-- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अवधेश प्रसाद–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

मैंने शुरू में ही कह दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

लोकतंत्र का मतलब एक पक्ष नहीं है लोकतंत्र का मतलब सरकार भी अपनी बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात कहे।

श्री लालजी वर्मा–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

वह स्टेज अब समाप्त हो गयी।

श्री लालजी वर्मा–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

ग्राह्यता के प्रश्न पर भी सत्ता पक्ष को सुना जाता है। आपकी बात सुनी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार धैर्यपूर्वक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने विचार सुने आप भी सुनते। अगर हम परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं तो परम्पराओं के निर्माण में तो सैकड़ों वर्ष लगते हैं लेकिन एक बार परम्परा टूटी तो उसे पुनः स्थापित करने में बहुत मुश्किल हो जायेगी।

श्री कल्याण सिंह–

| x x x |

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

x x x |

श्री अध्यक्ष–

आप अन्त में कोई स्पष्टीकरण पूछ लेंगे।

श्री कल्याण सिंह–

| x x x |

(श्री प्रमोद कुमार व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

नोट :–| x x x | यह अंश जी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

आप पहले सरकार का उत्तर आ जाने दें। आप कृपा करके बैठें। माननीय श्री मौर्य जी आप भी कृपा करके बैठ जायें। यदि आपको लगता है कि न्यायालय की अवमानना हुई है तो न्यायालय में आप एक दरख्वास्त दे दें। यदि सरकार की जिम्मेदारी संविधान रक्षा की है तो उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी, यह तो आप व्यवधान डाल रहे हैं। कृपा करके आप बैठ जायं। इस तरह का आप क्या इशारा कर रहे हैं ? मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप सदन का त्याग कर दीजिये।

(श्री प्रमोद कुमार के अपने स्थान पर खड़े रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी आप सदन का त्याग करिये। मैं श्री प्रमोद कुमार जी को इंगित कर रहा हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–299 के उप नियम 3(घ) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि वह श्री प्रमोद कुमार जी को ससम्मान सदन से बाहर करें।

सदन को स्थगित करने से पूर्व मैंने जो व्यवस्था दी थी, वह अपनी जगह पर बनी रहेगी। यदि किसी समाचार एजेन्सी ने व्यवस्था देने से पहले यदि कोई समाचार छपने के लिये या प्रसारित करने के लिये दे दिया है तो उसे वह वहीं पर किल कर दें। अयोध्या से संबंधित कोई भी सूचना व समाचार न तो प्रकाशित होगी न ही प्रसारित होगी। साथ ही वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग भी नहीं बनेगी।

(व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 3.55 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। साथ ही मार्शल, विधान सभा को यह निर्देश देता हूं कि वह श्री प्रमोद कुमार जी को सदन के बाहर कर दें।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धनीराम वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री प्रमोद कुमार जी को सदन का त्याग करने के लिए कहा है, इसलिए वह सदन का त्याग करें चूंकि प्रस्ताव पास हुआ है।

(घोर व्यवधान)

मैंने जो निर्णय दे दिया है उसे मैं वापस नहीं लूंगा। (घोर व्यवधान) यदि सरकार प्रस्ताव भी लाएगी तो मैं उसे प्रस्तुत नहीं होने दूंगा। इसलिए जो प्रस्ताव पास हुआ है पहले उसका अनुपालन होना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य अपने स्थान से खड़े-खड़े बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री धनीराम वर्मा–

यह तो आपकी मनमानी है।

श्री अध्यक्ष–

मनमानी की बात नहीं है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मत विभाजन करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें मत विभाजन का प्रश्न नहीं है।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित शेष सभी सूचनाओं को निरस्त किये जाने का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 में जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिन्हें नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया था उन्हें मैं निरस्त करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

ऐसे सदन नहीं चलेगा। (घोर व्यवधान)

(श्री उदय राज यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अफजाल अहमद, श्री मुराद लारी आदि सदस्य रिपोर्टर्स की टेबिल पर चढ़कर नारे लगाने लगे।)

वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

कुछ समय के बाद ठीक 4 बजे वित्तीय वर्ष 1998-99 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

''हां'' सभा–कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ तथा आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण और ''नहीं'' सभा कक्ष में नाम निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है, बजट की प्रतियां वितरित कर दी जायें । बजट भाषण 4.30 पर होगा ।

(बजट की प्रतियां वितरित की गयीं)

(सदन 4.30 बजे सायं तक के लिये स्थगित हो गया)

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 30 मिनट पर पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 5 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 6 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 6 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है 6 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7.00 बजे तक बढ़ा दिया है । 7.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । इसी बीच श्री प्रमोद कुमार एवं विपक्ष के सदस्य सदन त्याग कर चले गये । 7 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 7 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 7 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रदेश की 16 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले इस गौरवमयी सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख वर्ष 1998-99 का नियमित बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

सर्वप्रथम मैं गत वर्षों में प्रदेश में हो रही राजनैतिक अस्थिरता पर टिप्पणी करना प्रासंगिक समझता हूं। सरकारों तथा समय-समय पर राष्ट्रपति शासन की अल्पकालीन समयावधि से उपजी अस्थिरता के कारण विशेष रूप से गत पांच वर्षों में प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दीर्घकालीन एवं नियोजित नीति के आधार पर विकास करने के बजाय तदर्थ आधार पर निर्णय हुए और कार्य में निरन्तरता का अभाव रहा। वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रबन्ध और वित्तीय नियंत्रण की घोर उपेक्षा की गयी।

भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा प्रदेश की सत्ता सम्भालने पर जो विरासत हमें प्राप्त हुई उसके सम्बन्ध में विस्तार से न कहते हुए मैं केवल यही कहूंगा कि चाहे कानून-व्यवस्था हो, चाहे विकास कार्यक्रम हों, चाहे वित्तीय स्थिति हो या चाहे प्रशासन तंत्र हो, हमें जीरो से प्रारम्भ करना पड़ा, बल्कि कहीं कहीं तो जीरो से भी नीचे ऋणात्मक स्थिति से उबरना पड़ा।

यद्यपि हमारी सरकार के कार्यकाल को अभी बहुत समय नहीं हुआ है और यह हमारी सरकार का प्रथम नियमित बजट है फिर भी हमने अथक परिश्रम और सतत प्रयास से प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढांचा पुनर्स्थापित करते हुए प्रदेश को विकास की पटरी पर लाकर विकास की गति को तेज किया है एवं बिखरे और टूटे सिस्टम को ठीक करने और पंगु बना दिये गये प्रशासन तंत्र के मनोबल को भी पुनर्जीवित करने में हम सफल हुए हैं।

हमारी सरकार समग्र एवं संतुलित विकास के लिये कटिबद्ध है। हर अंधेरे घर में ज्योति जलाने, हर हाथ को काम देने, हर उदास चेहरे को मुस्कान देने तथा समाज के दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों को समरसता के सूत्र में पिरो कर वास्तविक समृद्धि एवं स्वतंत्रता का सपना साकार करने की दिशा में हम अनवरत् प्रयासरत हैं।

हमारी सरकार ने जन-सेवा के क्षेत्र में एक नये चिंतन, नई प्रतिबद्धता, नये संकल्प, नई कार्य-संस्कृति, नई सेवा भावना, नये दायित्वबोध तथा नई विकास नीति की स्पष्ट दिशा निर्धारित की है जिससे जन-मानस में यह धारणा बलवती हुई है कि प्रदेश सरकार नागरिकों की ऊर्जा को उन्माद के बजाय उत्थान की दिशा में मोड़ने, समाज में तनाव के स्थान पर सामाजिक समरसता और सद्भाव लाने तथा अपने समग्रतावादी विकास दर्शन को लागू करके प्रदेश को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाना चाहती है।

हमने अल्प अवधि में ही अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। इनमें से उदाहरण स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

ग्रामीण और शहरी निकायों को स्वायत्तता देने हेतु करों से प्राप्त आय का 11 प्रतिशत सीधे उन्हें देने का निर्णय प्रदेश के इतिहास में पहली बार लिया गया है। रजिस्ट्री कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये रजिस्ट्री प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन कर दिया गया है। अब स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि पंजीकरण के बाद बैनामे का मूल दस्तावेज संबंधित पक्षों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाए।

हमने दृढ़ इच्छा-शक्ति का परिचय देते हुए लखनऊ में 21 वर्षों से प्रतिबंधित अजादारी एवं मोहर्रम के जुलूस को निकलवाने की पहल की तथा जन-सहभागिता के आधार पर इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान हुआ। कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में भी

हमने आंकड़ों के बजाय जन-भावनाओं को निर्णायक मानते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि हर छोटी-बड़ी घटना की एफ० आई० आर० अवश्य दर्ज की जाय और यह निर्देश दिये गये हैं कि अपराध के ग्राफ में बनावटी गिरावट दिखाने के लिये प्राथमिकी दर्ज करने में हीला हवाला न की जाय । अपराधों की रोकथाम के लिये चलाये गये अभियान में अनेक कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई । इसी के साथ अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले पुलिस जनों के खिलाफ कार्रवाई से एक नया जन-विश्वास पैदा हुआ है ।

अपनी ग्रामोन्मुखी नीति के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिये नहर पटरियों को पक्का करने, सम्पर्क मार्गों के विस्तार, कृषि निवेशों की आपूर्ति के साथ **"किसान मित्र"** की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है । उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में सम्पूर्ण देश में लगातार दूसरी बार प्रथम रहा है । गन्ना किसानों को पहली बार बैंकों के माध्यम से रिकार्ड भुगतान किया गया तथा गन्ने की तीन वर्षीय सट्टा नीति बनायी गई । **"सिंचाई बन्धु"** की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर के जन-सहभागिता के द्वारा सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के स्थानीय समाधान की पहल की है ।

जन-समस्या निवारण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्याय पंचायत स्तर पर **"किसान सेवा केन्द्र"** और तहसील स्तर पर **"तहसील दिवस"** के नियमित आयोजन से किसानों एवं ग्रामीणों को राहत मिली है । इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10 से 12 बजे तक जन-समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिये गये हैं । जनता से सीधे संवाद कायम करने के उद्देश्य से **"जनता की सरकार जनता के द्वार"** की अवधारणा पर चलते हुए प्रति सोमवार मुख्य मंत्री आवास पर आयोजित **"जनता दर्शन"** कार्यक्रम में जन-समस्याओं की सुनवाई करते हुए इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि निचले स्तरों पर ही इन समस्याओं को निपटाया जाय ।

शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता के अन्तर्गत हमने इस बार **"नकल मुक्त परीक्षा"** इस तरह से सुनिश्चित कराई कि नकल माफियाओं के हौसले पस्त हो गये तथा परिश्रमी छात्रों का मनोबल बढ़ा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हाईस्कूल तक सामान्य पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पंचाग प्रदेश में लागू हो चुका है । चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

सरकारी सेवा में भर्ती की प्रक्रिया को धांधली, शोषण, भाई-भतीजा वाद तथा पक्षपात से मुक्त कराने के लिये उसे पूर्णतः पारदर्शी बनाया गया है तथा विभिन्न विभागों में काफी दिनों से रिक्त पदों को तद्नुसार भरने की कार्रवाई शुरू की जा रही है । इसके साथ ही विविध विकास गतिविधियों के माध्यम से स्वतः रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित करने की रणनीति तैयार की गई है ।

प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण के सृजन के लिये एक ओर शान्ति एवं सुरक्षा की गारण्टी देकर उद्यमियों को पूंजी-निवेश के लिये आकर्षित किया जा रहा है तथा दूसरी ओर उनसे निरन्तर संवाद कायम करके, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए पूंजी-निवेश मार्ग की बाधायें दूर की जा रही हैं । प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है । पर्यटन विकास हेतु निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये भूमि उपलब्ध कराने के लिये "भूमि बैंक" की स्थापना की गई है ।

राशन कार्ड की कमी को दूर करने तथा उपभोक्ता सामग्री के वितरण में धांधली की समाप्ति हेतु प्रक्रियाओं में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया गया है । अब बुकलेट फार्म में नये राशन कार्ड जनपद स्तर पर छपेंगे तथा एक अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को सुलभ कराये जायेंगे । गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे उपभोक्ताओं को **"विशेष राशन कार्ड"** उपलब्ध कराये जायेंगे ।

उत्तरांचल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की हमारी परिकल्पना अब साकार होने के निकट है। वहां की सम्भावित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समुचित निर्णय के लिये मंत्रि-परिषद् की उप-समिति गठित की गई है।

स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हमने उनकी मासिक पेन्शन 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों की दीर्घ लम्बित समस्याओं का समाधान करते हुए कतिपय मामलों में बिक्रीकर की दरें युक्तिसंगत बनाई हैं, मण्डी शुल्क की "एकल कर प्रणाली" पहली जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है तथा व्यापारियों की समस्याओं को पारस्परिक वार्ता के आधार पर निपटाने के लिये "व्यापार-बन्धु" की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप वेतन मान देने के मामले में सम्पूर्ण देश में पहल करने का गौरव हमारे प्रदेश को मिला है।

विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को विकास कार्य हेतु "विधायक-निधि"

मान्यवर,

गत वर्षों से विधान सभा तथा विधान परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर यह मांग उठायी जाती रही है कि सांसद निधि की तरह विधान मण्डल के सदस्यों को भी विकास कार्य हेतु धनराशि नियत की जाये जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास हेतु कार्यों का चयन कर सकें।

हमने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। वास्तव में, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुलित विकास के उद्देश्य तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांग के संदर्भ में विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक कदम होगा कि विधान मण्डल के सदस्यों को एक निश्चित धनराशि अपने-अपने क्षेत्र में कराये जाने वाले विकास कार्यों के लिए उपलब्ध रहे। अतः मैं माननीय सदस्यगण की भावनाओं का समादर करते हुए इस मांग के औचित्य को स्वीकार करता हूं और इस सम्मानित सदन में यह घोषण करता हूं कि वर्ष 1998-99 से विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष 50 लाख रुपये उपलब्ध कराने हेतु लगभग 260 करोड़ों रुपये की "विधायक-निधि" बनायी जायेगी। इससे हम विकास की गति को और तेज करने के साथ-साथ संतुलित एवं आवश्यकता-जनित विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।

श्रीमन् मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस **"विधायक-निधि"** को सृजित करने के लिए जिला योजना अथवा किसी अन्य योजना में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक नियम पृथक से बनाये जायेंगे।

कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण

मान्यवर, बजट पर अपनी बात रखने से पूर्व मैं कानून-व्यवस्था और अपराध नियन्त्रण के सम्बन्ध में स्थिति प्रस्तुत करना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना व अपराधों पर नियन्त्रण, सामाजिक समरसता व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि जन-जन में पूर्ण सुरक्षा की भावना जागृत हो तथा शासन और प्रशासन की धमक और इकबाल लोग महसूस करें। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जाति, धर्म, मजहब और किसी भी प्रकार के भेद-भाव से दूर रह कर अपराधियों पर कहर बनकर टूटें ताकि जनता भयमुक्त हो और अपराधी भयग्रस्त हों।

हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों एवं उपलब्ध स्रोतों से कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए अपराधियों, माफियाओं, आतंकवादी, गुण्डों एवं समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को नियन्त्रण में बनाये रखा है।

लखनऊ नगर में लम्बे समय से चले आ रहे शिया-सुन्नी विवाद के समाधान की दिशा में ठोस पहल की और इस जटिल समस्या का समाधान कर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष जनवरी माह में दोनों समुदायों ने रमजान महीने के अपने त्योहार को तथा मुहर्रम के जुलूस को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न किया।

इस वर्ष प्रशासन द्वारा किये गये व्यापक प्रबन्ध व कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बारहवीं लोक सभा के चुनाव को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं पूर्णतया शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया है।

वर्तमान सरकार ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा अपराध आंकड़ों के आधार पर करने के बजाय आम जनता में सुरक्षा की भावना के एहसास के आधार पर करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा संख्या के आधार पर नहीं बल्कि कुख्यात अपराधियों तथा अपराधों को करने की क्षमता रखने वाले संभावित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के आधार पर की जायेगी।

पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष व बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप और बिना किसी अनुचित दबाव के अपना कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है। इसी का परिणाम है कि अल्प अवधि में प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाओं का खुलासा भी लगातार हो रहा है। इसका असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर इस रूपमें पड़ा है कि अपराधियों में भय की भावना व्याप्त हो रही है कि यदि वे कोई अपराध करेंगे तो पुलिस से बच नहीं सकेंगे और पकड़े जरूर जायेंगे।

प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जाति, सम्प्रदाय व भूमि सम्बन्धी विवाद एवं तनाव के मामलों व स्थलों को चिन्हित कर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये जिनसे अपराध घटित होने की आशंका हो। प्रत्येक थाने स्तर पर व जनपद स्तर पर कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने कहर बनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

वर्तमान सरकार ने थानों पर अपराधों के सही पंजीकरण पर बल देते हुए इस बात के कड़े निर्देश दिये हैं कि थाने पर मुकदमा लिखाने आये हर व्यक्ति की बात सुनी जाय और उसका मुकदमा दर्ज किया जाय, किन्तु यदि जांचोपरान्त मुकदमा झूठा अथवा किसी को महज परेशान करने के उद्देश्य से लिखाया जाना पाया जाये तो शिकायतकर्ता के खिलाफ मुदकमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय। साथ ही जनता को किसान सेवा केन्द्र एवं तहसील दिवस पर भी शिकायत देने का प्राविधान किया गया है। इन सबका असर यह हुआ है कि शासन-स्तर पर मुकदमा न लिखे जाने सम्बन्धी मिलने वाली शिकायतों की संख्या भी इक्का दुक्का रह गई है। सरकार की ओर से यह भी व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक रूप से टेस्ट एफ० आई० आर० दर्ज कर चेकिंग भी की जाय।

पुलिस के फील्ड अधिकारियों को प्रभावी गश्त के कड़े निर्देश दिये गये हैं। कुख्यात अपराधियों को उसी जिले में न रखकर दूर के जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी घटना में सात दिन के भीतर मुलजिम की गिरफ्तारी अथवा कुर्की की कार्रवाई न होने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिये गये हैं।

विवेचनाधीन मामलों में यथा शीघ्र अदालत में चार्जशीट दाखिल करने तथा सरकारी मुकदमों में गवाह के मुकरने अथवा हाजिर न होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा

थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं । शासन स्तर पर अपराध स्थिति का नियमित अनुश्रवण किये जाने से जिले की पुलिस मशीनरी की कार्य-प्रणाली में चुस्ती व तेजी आयी है ।

अपराधियों एवं पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ को खत्म करने के लिये ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाई की जा रही है । वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऐसे 1,119 पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है ।. जांच में सत्यता पाये जाने पर इन पुलिस कर्मियों अथवा सीधे अपराधों में लिप्त पाये गये पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है ।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच व उनके प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है । एक ओर जहां भ्रष्टाचार में लिप्त तथा अपराधियों से सांग-गांठ करने वाले पुलिस कर्मी दण्डित किये जा रहे हैं वहीं श्रेष्ठ व सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया है ।

चिन्हित सक्रिय माफिया गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है । इसके अतिरिक्त आई० एस० आई० गतिविधियों, दस्यु उन्मूलन तथा फिरौती हेतु अपहरण की रोकथाम आदि प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई इस टास्क फोर्स द्वारा की जा रही है । टास्क फोर्स के पुलिस बल को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी क्षेत्र के थानों का सुदृढ़ीकरण करते हुए अतिरिक्त बल, वाहन, शस्त्र एवं संचार साधनों की व्यवस्था की गई है । साथ ही टास्क फोर्स के बल को अतिरिक्त आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया जाना प्रस्तावित है ।

टास्क फोर्स में तैनात पुलिस कर्मी एवं अधिकारियों को वेतन का 30 प्रतिशत विशेष वेतन भी प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे रुचि लेकर पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य कर सकें । टास्क फोर्स द्वारा उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने के लिये विशेष पुरस्कार व प्रोत्साहन भी प्रदान किये जायेंगे ।

प्रदेश के आर्थिक विकास की स्थिति

मान्यवर,

इससे पूर्व कि मैं बजट प्राविधानों को प्रस्तुत करूं, यह उचित होगा कि प्रदेश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर एक दृष्टि डाल ली जाये ।

देश का सबसे बड़ा, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से सम्पन्न राज्य होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हमारा प्रदेश, देश के अधिकांश प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है । प्रदेश में 43 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं । उड़ीसा और बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अन्य सभी राज्यों से कम है ।

लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य की विकास दर देश की विकास दर से काफी पीछे रही है । आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1-4-92 से 31-3-97 रही, में स्थिति सबसे खराब रही है । इस योजना में राज्य की विकास दर मात्र 2.9 प्रतिशत रही, जबकि देश की विकास दर इस योजना में 6 प्रतिशत रही ।

प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1996-97 में 6,733 रुपये वार्षिक थी, जबकि सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय 10,771 रुपये थी । राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 1950-51 में जहां सिर्फ 3 प्रतिशत अंतर था, यह निरन्तर बढ़ता गया है और 1996-97 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अन्तर बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गया है ।

यही नहीं, कृषि उत्पादकता, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि मूलभूत क्षेत्रों में हमारा प्रदेश देश के अधिकांश राज्यों से पीछे है । मैं अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता, केवल कुछ उदाहरणों को ही प्रस्तुत करना चाहूंगा । जहां वर्ष 1994-95 में सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 319 यूनिट था, वहीं हमारे प्रदेश में यह मात्र 197 यूनिट रहा । प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर 53.6 किलोमीटर सड़क निर्मित है, जबकि देश का औसत 65.7 किलोमीटर है । जहां देश में साक्षरता का प्रतिशत 52.2 है, वही प्रदेश में यह केवल 41.6 प्रतिशत है । इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रति लाख जनसंख्या पर प्रदेश में केवल 2 अस्पताल हैं जबकि प्रति लाख जनसंख्या में राष्ट्रीय औसत 5 अस्पताल है ।

ये जो कुछ उदाहरण मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि हमारा राज्य आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । पिछली सरकारों ने क्या किया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता किन्तु हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश को पिछड़ेपन की स्थिति से उबारने और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने तथा अन्य राज्यों के बराबर लाने का सुनियोजित प्रयास करेंगे । इसकी एक झलक 1998-99 के बजट प्राविधानों, जिन्हें मैं आगे बताऊंगा, में आपको अवश्यक दिखायी देगी ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति

मान्यवर, सदन के सम्मानित सदस्यों के माध्यम से प्रदेश की महान जनता को प्रदेश की गत वर्षों में रही वित्तीय स्थिति से अवगत कराना मैं अपना दायित्व समझता हूं ताकि हम सभी यह समझ सकें कि वित्तीय दृष्टि से प्रदेश कहां खड़ा है । यह एक दुःखद सत्य है कि पिछली सरकारों ने बिना वित्तीय नियोजन किये अनाप-शनाप अनुत्पादक व्यय किया और आज प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच गया है, वह गम्भीर चिन्ता का विषय है ।

हमारी सरकार ने वित्तीय स्थिति का गहन अध्ययन व विश्लेषण कर प्रदेश के इतिहास में पहली बार "श्वेत पत्र" सम्मानित सदन के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया । इस अभिलेख में वित्तीय स्थिति की दशा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । यहां मैं प्रदेश की चिन्ताजनक वित्तीय स्थिति के संबंध में संक्षेप में 3 बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा ।

1. राजस्व व्यय में अत्यधिक वृद्धि

हमारा राजस्व व्यय हमारी राजस्व आय से अधिक है । हमने अपने राजस्व व्यय का घाटा पूंजीगत प्राप्तियों से पूरा किया है । गत कुछ वर्षों में तो हमारे राजस्व व्यय का आकार हमारी राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों के कुल योग से भी अधिक हो गया है और इस घाटे को "लोक लेखा" से पूरा किया जा रहा है ।

2. पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर व्यय में उत्तरोत्तर कमी

राजस्व व्यय में अत्यधिक वृद्धि से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये होने वाले व्यय में निरन्तर कमी हुई है जिससे विकास कार्यों की गति विपरीत रूप से प्रभावित हुई ।

3. ऋण-ग्रस्तता में निरन्तर वृद्धि

पूंजीगत प्राप्तियों का मुख्य स्रोत बाजार से ऋण या अन्य ऋण हैं जिनका आकार निरन्तर बढ़ता जा रहा है । वर्तमान में प्रदेश की ऋण ग्रस्तता लगभग 50 हजार करोड़ रुपये है । अब तो यह स्थिति आ गयी है कि नये प्राप्त होने वाले ऋण केवल पुराने ऋण की किश्तों तथा उसके ब्याज के भुगतान के लिये भी पर्याप्त नहीं है । यह ऋण के भंवर जाल अर्थात् "Debt Trap" की स्थिति की ओर संकेत है ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति के संबंध में जो तस्वीर मैंने माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की है, उससे यह स्पष्ट है कि हमारे राजस्व व्यय बढ़ रहे हैं अर्थात् अनुत्पादक व्यय बढ़ रहे हैं। हमारे पूंजीगत व्यय निरन्तर कम हो रहे हैं, अर्थात् पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन और विकास योजनाओं पर व्यय कम हो रहा है। घाटे की पूर्ति हम ऋण लेकर कर रहे हैं और जिसकी अब अंतिम सीमा आ गयी है।

विरासत में मिली इस जर्जर वित्तीय स्थिति को सुधारने की चुनौती को हमारी सरकार ने स्वीकार किया है। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये हमने पहल कर दी है। वित्तीय अनुशासन और "Value for Money" के सिद्धान्त हमने प्रतिपादित किये हैं। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये हमारी नीति, रणनीति और कार्यक्रम का विस्तार से मैं "वित्तीय प्रबन्ध" शीर्षक में आगे उल्लेख करूंगा।

विकास की रणनीति

मान्यवर, प्रदेश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वर्ष 1998-99 का बजट तैयार किया गया है। जहां एक ओर प्रदेश के तीव्र गति से विकास का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय सुधार के उपायों से वित्तीय ढांचे को वापिस पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है।

हमारी सरकार गांव-गरीब-किसान के विकास को प्राथमिकता देगी। आर्थिक विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास और पूंजी निवेश हमारी मुख्य नीति होगी। बेरोजगार को रोजगार हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश की विशिष्ट स्थिति देखते हुए निर्धन एवं कमजोर वर्गों के कल्याण तथा विकास हेतु क्षेत्रीय संतुलन की ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन हमारे विकास की रणनीति का मुख्य अंग होगा। मैं इन बिन्दुओं को विस्तार से अभी आगे प्रस्तुत करूंगा किन्तु उससे पूर्व मैं "आर्थिक चक्र" अर्थात् "Economic Cycle" की अपनी धारणा का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन का मूल कारण बेरोजगारी है। यदि हम गरीबी और पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं तो हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

यदि रोजगार उपलब्ध होता है तो व्यक्ति को आय होगी। आय होगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो अधिक उत्पादन के लिये पूंजी निवेश बढ़ेगा। पूंजी निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ेगी और आगे यह चक्र इसी प्रकार घुमता रहेगा। हमारी सरकार इस "आर्थिक चक्र" जिसे अभी तक धुरी से उतार रखा था, उसे धुरी पर लाकर तेजी से चलाने का प्रयास करेगी और इस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी के कुचक्र को तोड़ कर तीव्र गति से विकास की ओर प्रदेश को उन्मुख करेगी।

"आर्थिक चक्र" के प्रबन्ध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये हमारी सरकार के बजट के 7 आयाम हैं।

हमारा बजट ग्रामोन्मुखी है।

हमारा बजट किसानोन्मुखी है।

हमारा बजट गरीबोन्मुखी है।

हमारा बजट रोजगारोन्मुखी है।

हमारा बजट निवेशोन्मुखी है।

हमारा बजट क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी है।

हमारा बजट कल्याणोन्मुखी है।

इस वर्ष बजट को नया रूप दिया गया है । आर्थिक विकास में बाधक तत्वों पर चोट की गयी है तथा आर्थिक विकास में साधक तत्वों को बढ़ावा दिया गया है । मैं अब सम्मानित सदन के समक्ष बजट की 7 प्राथमिकताओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

ग्रामोन्मुखी बजट

मान्यवर,

हमारी सरकार का दृढ़ मत है कि जब तक प्रदेश के एक लाख से अधिक गांवों में रहने वाली 72 प्रतिशत जनसंख्या का विकास नहीं होगा, प्रदेश पिछड़ेपन और गरीबी के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता । "विकास की धारा गांव की ओर" हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य है । मान्यवर, मैं संक्षेप में बजट में ग्रामीण विकास हेतु किये गये प्राविधानों को प्रस्तुत कर रहा हूं । :–

* वार्षिक योजना 1998-99 का कुल परिव्यय 9000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है । इसका 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण विकास के लिये रखा गया है ।

* ग्रामीण विकास के लिये ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनायें जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि के लिये वर्ष 1998-99 में 2000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह 1997-98 में किये गये 1660 करोड़ रुपये के प्राविधान से 340 करोड़ रुपये अधिक है ।

* मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को 1997-98 में लागू करके ग्रामीण पंचायत निकायों को करों की आय का अंश सीधे अन्तरण करने का निर्णय लिया है । राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण निकायों को करों की कुल आय का 3 प्रतिशत अन्तरण करने की सिफारिश की गई थी किन्तु प्रदेश सरकार ने उसे बढ़ाकर करों की आय का 4 प्रतिशत ग्रामीण निकायों को दिये जाने का निर्णय लिया है । प्रति वर्ष करों की आय में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि में स्वतः वृद्धि होती जायेगी ।

करों की आय के अंश के रूप में 1997-98 में ग्रामीण निकायों को 255 करोड़ रुपये की धनराशि का अन्तरण किया गया है । 1996-97 में ग्रामीण निकायों को मात्र 20 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी । इस प्रकार 1997-98 में ग्रामीण निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है ।

1998-99 में ग्रामीण निकायों के लिये करों की आय के अंश के 4 प्रतिशत के आधार पर 300 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दिशा में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है । शीघ्र ही पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों सहित अनेक कार्य सौंपे जायेगे जिससे वे अपनी स्थानीय विकास की आवश्यकताओं का नियोजन स्वयं करके विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकें ।

हमारी सरकार विकास को ऊपर से थोपना नहीं चाहती बल्कि नियोजन व विकास की प्रक्रिया को नीचे से ऊपर की ओर लाने में विश्वास रखती है । पिछले 50 वर्षों में विकास ऊपर से चला किन्तु वह नीचे तक नहीं पहुंच पाया ; हमने नियोजन का विकेन्द्रीयकरण करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा और नई स्फूर्ति प्रदान की है ।

* राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त दशम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण निकायों को 1996-97 से 1999-2000 की अवधि में 759 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे । 1998-99 में ग्रामीण निकायों को 189 करोड़ रुपये की किश्त प्राप्त होगी ।

* मान्यवर, ग्रामीण निकायों को आयोजनागत पक्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1997-98 में 477 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे प्रदान की गई है । 1998-99 में आयोजनागत पक्ष में ग्रामीण निकायों को 512 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जायेगी ।

* ग्रामीण निकायों को 1998-99 में अन्तरण की जाने वाली राशि, दशम् वित्त आयोग की सिफारिश से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा आयोजनागत मद से सीधे प्रदान की जाने वाली धनराशि का कुल योग 1001 करोड़ रुपये है ।

* ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु 56 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिससे 1998-99 में 50 हजार इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ।

* ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की अतिरिक्त व्यवस्था के लिये प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत के सबसे बड़े गांव में एक बड़े साइज का पक्का कुआं बनाने की योजना प्रारम्भ की जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10 हजार पक्के कुओं के निर्माण का लक्ष्य है ।

* सड़कें अविकसित क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाने का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । अतः सरकार के गांवों के विकास के संकल्प के परिप्रेक्ष्य में हमने गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का एक वृहत एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाया है । इसके माध्यम से 1998-99 में 2800 गांव पक्की सड़क से जोड़े जायेंगे । इसके लिये 7,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिये 557 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । 1997-98 में 386 करोड़ रुपये की लागत से 1710 गांव पक्की सड़क से जोड़े गये । इस प्रकार 1998-99 में गत वर्ष की तुलना में 1090 अधिक गांव पक्की सड़क से जुड़ेंगे तथा इस पर होने वाले व्यय के लिये 1997-98 की तुलना में 171 करोड़ रुपये की अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

* आज के युग में बिजली के बिना विकास की कल्पना भी असम्भव है अतः हमने तय किया है कि 1998-99 में 2,133 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा जबकि 1997-98 में 1713 गांवों का विद्युतीकरण किया गया । इस प्रकार 1998-99 में गत वर्ष की तुलना में 402 अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा । 1998-99 में गांवों के विद्युतीकरण के लिये 240 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

* सघन मिनी डेयरी योजना ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ाने, रोजगार वृद्धि और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि में अत्यधिक सफल रही है । हमारी ही सरकार ने 1992 में इसे प्रारम्भ किया था । प्रारम्भ में यह 15 जनपदों में लागू हुई । 1997-98 में इसमें 17 जनपदों को और शामिल किया गया । 1998-99 में इसे प्रदेश के अवशेष 51 जनपदों में और लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस प्रकार 1998-99 में सघन मिनी डेयरी योजना प्रदेश के सभी 83 जनपदों में क्रियान्वित हो जायेगी ।

* सघन ग्रामीण विकास हेतु प्रत्येक जनपद में एक विकास खण्ड, एक न्याय पंचायत तथा एक नगर पंचायत "आदर्श" बनाये जायेंगे ।

* हमारी सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 1998-99 में प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव "वाद रहित गांव" बनाया जायेगा । कालान्तर में इस योजना का विस्तार किया जायेगा ।

किसानोन्मुखी बजट

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है । हमारी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है । कृषि के विकास पर ही अन्य सारा विकास निर्भर करता है अतः जब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा यह प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता ? इसीलिये विकास की दिशा में कृषि

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये आज के इस वैज्ञानिक युग में हमने संकल्प किया है कि प्रदेश में अब हम "वैज्ञानिक खेती" को बढ़ावा देंगे। सुदृढ़ और आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकी, बीजों और दवाओं को किसानों तक पहुंचायेंगे। सही समय से बीज, खाद, पानी और दवायें खेतों को मिलें, हम यह सुनिश्चित करेंगे।

कृषि एवं कृषकों के विकास के लिये हमारी सरकार द्वारा उठाये गये कदम और 1998-99 के मुख्य प्रस्तावों को मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं :–

*1998-99 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 159.6 लाख मीट्रिक टन रखा गया है जो 1997-98 के 152.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 7.1 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

*1998-99 में रबी उत्पादन का लक्ष्य 294 लाख मीट्रिक टन रखा गया है जो 1997-98 के 261 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 33 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

*उन्नत और वैज्ञानिक तकनीकों के विस्तृत और सघन प्रचार-प्रसार के लिए हम कृषि विश्व विद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों और प्रदेश के "कृषि प्रसार संगठन" का प्रभावी इस्तेमाल करेंगे। कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि ज्ञान केन्द्रों और कृषि अनुसन्धान केन्द्रों को और अधिक सक्रिय बनाया जायेगा। प्रदेश में उपलब्ध ऐसे कृषि डिप्लोमा धारकों, जिनकी सेवाओं का प्रयोग वर्षों से अब तक नहीं किया जा रहा था, को कृषि प्रसार में लगाने के लिए सरकारी सेवा में लेने का निर्णय लिया गया है।

*1998-99 में प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा और इस चयनित विकास खण्ड में दो वर्षों में कृषि उत्पादकता दुगुनी करने का प्रयास किया जायेगा।

*"वैज्ञानिक कृषि" को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उन्नत बीज, उन्नत औजार और उन्नत तकनीक की जानकारी देने हेतु प्रत्येक ग्राम में कृषि स्नातक अथवा प्रगतिशील कृषक को "किसान मित्र" के रूप में तैनात किया जायेगा जो कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र आदि से प्राप्त जानकारियों को कृषकों को उपलब्ध करायेगा।

*उत्पादकता बढ़ाने तथा उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग की दृष्टि से फास्फोरस और पोटेशियम खादों का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन खादों पर व्यापार-कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

*प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में डीप ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के उद्देश्य से इस लागत में बिजली की लाइन का व्यय भी सम्मिलित होगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान के अतिरिक्त बैंक ऋण की सुविधा भी होगी। ऐसे ट्यूबवेल से 10 से 15 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना में कृषक को पानी दूसरों को भी विक्रय करने की स्वतन्त्रता रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक कृषक मिलकर संयुक्त रूप से भी ट्यूबवेल स्थापित कर सकते हैं।

*1998-99 में 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा।

*सिंचाई की निर्माणाधीन मध्यम एवं वृहद् परियोजनाओं के लिए गत वर्ष के 438 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरुद्ध 1998-99 में 589 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार इस मद में 151 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

*कृषि निर्यात को प्रोत्साहन हेतु निर्यातकों को मण्डी शुल्क तथा व्यापार कर से मुक्ति प्रदान की गयी है। चावल निर्यात को प्रोत्साहन हेतु बासमती चावल को लेवी से छूट प्रदान की जा रही है।

*दैवी आपदा के कारण फसल को नुकसान होने पर राहत राशि को 500 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार फसल हानि की अधिकतम राहत को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है।

*प्रदेश के किसानों को "किसान बही" का वितरण किया गया है। 31 मई, 1998 तक 2 करोड़ 41 लाख 25 हजार 262 किसानों में से 90 प्रतिशत किसानों को किसान बही का वितरण किया जा चुका है। अवशेष वितरण 30 जून, 1998 तक करने के निर्देश दिये गये हैं।

*हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में इस सीजन में गन्ना मूल्य में वृद्धि करके अगैती प्रजातियों के लिए 80 रुपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजातियों के लिए 75 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य निश्चित किया गया। गन्ने की कीमत में मूल्य वृद्धि से किसानों को 200 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

*गन्ना किसानों को उनके देय के भुगतान के लिए शासन द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं। गत वर्ष गन्ना देय के बावत 5,900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह रिकार्ड भुगतान है जो पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है।

*इस वर्ष 11 जून, 1998 तक 3020.89 करोड़ रुपये का गन्ना क्रय किया गया जिसमें से 2761.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय का 91.4 प्रतिशत है।

* गन्ना किसानों को बैंक के माध्यम से शोषण मुक्त भुगतान की प्रक्रिया लागू की गयी है।

* गन्ना किसानों के हित में पहली बार तीन वर्षीय सट्टा नीति लागू की गयी है। पहली बार ही मिल कर सट्टा करने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी है जिसका प्रत्यक्ष लाभ सीमान्त एवं लघु कृषकों को हुआ है।

*1998-99 में 7 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

* खेती के लिये बिजली की कारगर व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकतानुसार एन० टी० पी० सी० से अतिरिक्त विद्युत क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

*1998-99 में खरीफ और रबी के लिये कुल 1050 करोड़ रुपये का फसल ऋण का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1997-98 में यह लक्ष्य 942 करोड़ रुपये का था।

गरीबोन्मुखी बजट

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, हमारे प्रदेश की 43 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है। जब तक हम इन 7 करोड़ व्यक्तियों को विकास का अवसर प्रदान नहीं करते, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण की व्यवस्था नहीं करते, हमारा विकास के लिये किया गया कोई भी प्रयत्न अधूरा है।

निर्धन और वंचित वर्ग के विकास के लिये किये जा रहे उपायों और 1998-99 में किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में कई बाते तो मैं पूर्व में ग्रामीण विकास और किसान विकास के बारे में बताते समय कह चुका हूं। यहां मैं निर्धन वर्गों के लिये किये जा रहे कुछ विशिष्ट कार्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं :–

* एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 3,69,401 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। 1997-98 में इस इस योजना के अन्तर्गत 3,51,446 परिवारों को लाभान्वित किया गया था।

* 1998-99 में 1,49,034 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 289 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

* 1998-99 में ग्रामीण क्षेत्र में 1,02,825 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

*1998-99 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 440 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिये 557 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा ।

* 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 558 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिये 713 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा ।

*1998-99 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले 60,813 युवाओं को ट्राइसम योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे स्व-रोजमार प्राप्त कर सकें । इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1650 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

* गंगा कल्याण योजना, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक वर्ग के लाभार्थियों के 5 से 15 के समूहों की बोर वैल्स तथा ट्यूबवेल्स के माध्यम से निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है, के लिये गत वर्ष के 5 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरुद्ध 1998-99 में 10 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

*1998-99 में रिक्शा चालकों के लिये "अपने रिक्शे के खुद मालिक" योजना को वृहत स्तर से चलाया जायेगा ।

* प्रदेश के 46 नगरों मेंचिन्हित मलिन बस्तियों मेंनाली, खड़ंजा, सार्वजनिक शौचालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1998-99 में 46 करोड़ रुपये व्यय करके 32.4 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

* शहर के निर्धन वर्ग जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है को 5, 10 व 15 रुपये प्रतिदिन की दर से जमा करने पर आवास उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना का 11 नगर निगमों वाले शहरों से विस्तार करते हुए इसे 24 नगरीय विकास प्राधिकरणों में और लागू किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत 1998-99 में 160 करोड़ रुपये की लागत से 40,000 आवास निर्मित किये जायेंगे ।

* खेतिहर मजदूरों को मानकों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा ।

* पुराने राशन कार्ड के स्थान पर नये राशन कार्ड पुस्तिका के आकार में जारी करने का निर्णय लिया गया है । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिये अलग रंग के विशेष कार्ड की व्यवस्था की गई है ।

रोजगारोन्मुखी बजट

मान्यवर, मेरा दृढ़ मत है कि हमारी गरीबी और पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी का सीधा सम्बन्ध है । हमारी सरकार बेरोजगार को रोजगार प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देगी और इसके लियें बहुआयामी उपाय करेगी ।

हमारी रणनीति के अन्तर्गत जहां एक ओर अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा औद्योगीकरण के माध्यम से वृहत पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

मार्गों के निर्माण के लिये प्राविधान में की गई अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख मेरे द्वारा पूर्व में किया गया है । इससे दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में भी आवागमन, निवेशों की उपलब्धता, विपणन की सुविधा, कुटीर उद्योगों एवं सर्विसेज के विकास आदि के कारण आर्थिक गतिविधियों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप व्यापक रोजगार सृजन होगा । इसी प्रकार ऊर्जा क्षमता में वृद्धि तथा औद्योगीकरण के कारण बड़ी संख्या में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगे ।

उक्त के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन किया जायेगा जैसे सरकारी सेवा में नियुक्तियां, असंगठित क्षेत्र में दैनिक आधार पर रोजगार तथा स्व-रोजगार आदि ।

सदन के माननीय सदस्य सहमत होंगे कि सरकारी सेवा में रोजगार की एक सीमा है । सरकारी रोजगार से हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती । फिर भी सरकारी सेवा के लिये जो भी पद रिक्त हैं उन पर भर्ती की कार्रवाई माह जुलाई, 1998 से प्रारम्भ की जा रही है । सरकारी नौकरियां सीमित है किन्तु उनके चयन की प्रणाली इस प्रकार कर दी गई है जिससे भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा सिफारिश की कोई गुंजाइश न रहे ।

रोजगार के दूसरे स्रोत के रूप में मैं असंगठित क्षेत्र को रखना चाहूंगा । असंगठित क्षेत्र में स्थाई रोजगार तो नहीं किन्तु वर्ष में 200 से 300 दिन तक दैनिक आधार पर रोजगार उपलब्ध-कराया जा सकता है । रोजगार के इस स्रोत में राजकीय क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा मिलियन वैल स्कीम प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं । हमारी सरकार इन योजनाओं का प्रभावी उपयोग करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगी । इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जनपद में विकास खण्ड-वार कार्य-योजना तैयार की जायेगी ।

रोजगार का तीसरा स्रोत है "स्व-रोजगार" । मेरा सुविचारित मत है कि स्व-रोजगार के माध्यम से ही हम बेरोजगगारी की समस्या का कारगर ढंग से निदान कर सकते हैं ।

पिछले 50 वर्षों में हमने स्व-रोजगार की उपेक्षा की और उसी का परिणाम है आज की विकराल बेरोजगारी की समस्या । रोजगार सृजन का अर्थ है "Maximum Production By Maximum Hands for Maximum People" अर्थात् "अधिकतम हाथों द्वारा अधिकतम् लोगों के लिये अधिकतम् उत्पादन" । हमारे जनसंख्या प्रधान प्रदेश के लिये यही आर्थिक दर्शन होना चाहिये और इसके लिये हमें "रोजगार सृजक शिक्षा" तथा "उत्पादन परक रोजगार" की नीति अपनानी होगी ।

हमारी सरकार स्व-रोजगार के कार्यक्रमों को वृहत रूप में चलाकर बेरोजगारी की समस्या को नियन्त्रित करेगी । **वर्तमान में भारत सरकार और प्रदेश सरकार की एक दर्जन से अधिक स्व-रोजगार योजनायें लागू है किन्तु उनका क्रियान्वयन इतना असंतोषजनक रहा है कि बेरोजगारों को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा है ।**

कुछ योजनाओं को मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं । ये योजनायें हैं :–

* एकीकृत ग्राम्य विकास योजना ।
* खादी एवं ग्रामोद्योग योजनायें ।
* सघन मिनी डेयरी योजना ।
* पर्वतीय क्षेत्र न्यू मांडल चर्खा योजना ।
* बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना ।
* चर्म वस्तु उत्पादन एवं विपणन योजना ।

* प्रधान मंत्री रोजगार योजना ।

* अनुसूचित जाति/जन जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनायें ।

* पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की योजनायें ।

* अल्पसंख्यक कल्याण वित्त एवं विकास निगम की योजनायें ।

* महिला कल्याण निगम की योजनायें ।

* नगरीय रोजगार योजना ।

* अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ।

* डवाकरा (DWCRA) योजना ।

और भी स्व-रोजगार योजनायें हैं किन्तु सत्य यह है कि इन योजनाओं का सदुपयोग नहीं किया गया है ।

1998-99 में हमारी सरकार सभी स्व-रोजगार योजनाओं को समेकित कर एक वृहत् एकीकृत कार्यक्रम तैयार करेगी जिसमें जनपदवार कार्य-योजना बनाई जायेगी और स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए कुछ नई विशेष रोजगार योजनायें भी तैयार कराई जायेंगी । इस रोजगार प्रदान करने की योजना को हमने "**रोजगार छतरी योजना**" नाम दिया है ।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति माहवार कार्यक्रम बनाकर स्व-रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन करेगी । प्रत्येक स्व-रोजगार योजना के लिए पात्र बेरोजगार का चयन, प्रोजेक्ट तैयार कराया जाना, आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना, बैंक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, इकाई द्वारा किये गये उत्पादन का विपणन और प्रोजेक्ट चलाने में आ रही समस्याओं का निदान, यह सब कार्य रोजगार छतरी योजना की परिधि में आयेंगे । स्व-रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में बिचौलियों की भूमिका को जड़ से समाप्त किया जायेगा ।

रोजगार छतरी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जायेगी तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी ।

जिन स्व-रोजगार योजनाओं का अभी मैंने उल्लेख किया है, वे अधिकांश भारत सरकार से वित्त पोषित हैं । चूंकि हम अभी तक इन योजनाओं का बहुत सीमित उपयोग कर पा रहे थे, अतः भारत सरकार से हमें प्राप्त होने वाली धनराशि भी सीमित थी । कई योजनाओं की धनराशि तो Lapse हो रही हैं । हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि अब हम इन योजनाओं का प्रभावी और त्वरित उपयोग करेंगे तथा प्रत्येक योजना के बजट में कई गुनी वृद्धि करायेंगे ताकि हम अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार देकर उनकी ऊर्जा को प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में लगा सकें ।

रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत ही हम लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, ऊसर सुधार, हथकरघा उद्योग, स्थान विशेष के पारम्परिक उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग आदि को भी सम्मिलित करेंगे और प्रत्येक जनपद के लिए एक विस्तृत योजना और कार्यक्रम तैयार करेंगे ।

-प्रत्येक जनपद में लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन हेतु व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्था की जायेगी ।

रोजगार छतरी योजना में 1998-99 में 10 लाख परिवारों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि रोजगार छतरी योजना न केवल बेरोजगार को रोजगार देगी वरन् इससे Employment Multiply होता चला जायेगा जो हमारे प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय होगा ।

निवेशोन्मुखी बजट

श्रीमन्, आर्थिक विकास के लिए पूंजी-निवेश एक अनिवार्य शर्त है । पूंजी-निवेश से एक ओर अवस्थापना सुविधाओं के उपलब्ध होने से आर्थिक विकास की नींव मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी-निवेश अपरिहार्य है । हमारी सरकार की आर्थिक नीति में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं प्रत्यक्ष उत्पादन हेतु पूंजी-निवेश को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जा रहा है ।

सड़कों का विकास आर्थिक गतिविधियों का आधार स्तम्भ है । सड़कों के निर्माण, विस्तार तथा अनुरक्षण के लिए 1998-99 में वृहत कार्यक्रम चलाया जायेगा ।

* सड़कों के विकास के लिए 1998-99 में 1365 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । 1997–98 में सड़कों के निर्माण हेतु मात्र **488** करोड़ रुपये व्यय किये गये । इस प्रकार 1998–99 में गत वर्ष की तुलना में अधिक का प्राविधान किया गया ।

* इस प्राविधान के अतिरिक्त मोटर स्प्रिट कर के एक अंश से "सड़क निधि" की स्थापना की जायेगी जिसका उपयोग सड़क निर्माण और रख-रखाव के लिये किया जायेगा ।

* 1998–99 में प्रदेश में सड़कों पर स्थित रेलवे क्रासिंग, जहां भारी यातायात और आवागमन होता है, पर ओवर हेड ब्रिज के निर्माण की वृहत योजना तैयार की गई है ।

* सड़कों के चौड़ीकरण, एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण, बाई पास के निर्माण, पुलों के निर्माण आदि के लिये निजी क्षेत्र के पूंजीगत विनियोजन की आकर्षक एवं उदार नीति बनाई जा रही है ।

गड्ढा मुक्त सड़कों के गत 6 माह में चलाये गये अभियान को आशातीत सफलता प्राप्त हुई ; 1998–99 में गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है ।

*प्रदेश में सड़कों के विकास और सभी क्षेत्रों में सड़कों का जाल फैलाने के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन उपायों का समावेश करते हुये प्रदेश की "मार्ग नीति" तैयार की गई है ।

प्रदेश के प्रमुख महानगरों में नागरिकों की सुविधाओं के लिये निजी क्षेत्र के सहयोग से शीघ्र ही "सिटी बस सेवा" प्रारम्भ की जायेगी ।

माननीय सदन अवगत ही हैं कि "विद्युत" हमारे प्रदेश के कृषि, औद्योगिक और समग्र विकास के लिये मूलभूत और प्रथम आवश्यकता है । हमारी सरकार विद्युत क्षमता में वृद्धि, विद्यमान क्षमता के अनुकूलतम उपयोग, पारेषण तथा वितरण में सुधार लाने हेतु सतत् प्रयासरत हैं ।

* 1998–99 में मैदानी क्षेत्र के लिये विद्युत सेक्टर हेतु लगभग 2050 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । 1997–98 में यह 1730 करोड़ रुपये रखा गया था । इस प्रकार विद्युत में सुधार हेतु 1998–99 में गत वर्ष की तुलना में 320 करोड़ रुपये अधिक परिव्यय रखा गया है ।

* विद्युत क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से लगभग 10 वर्षों से बन्द पड़ी 304 मेगावाट की मनेरी भाली तथा 420 मेगावाट की लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पुनः चालू कराया जा रहा है। इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

* प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता की टिहरी जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये इस बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है।

* इसके अतिरिक्त टाण्डा, ओबरा और हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजनाओं की 7 बन्द पड़ी इकाइयों को इसी वित्तीय वर्ष में चालू कराया जायेगा जिससे कुल 960 मेगावाट बिजली अतिरिक्त उपलब्ध होगी।

* विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि निजी क्षेत्र की 400 मेगावाट क्षमता की विष्णु प्रयाग परियोजना, 330 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना तथा 565 मेगावाट क्षमता की रोजा तापीय विद्युत परियोजना पर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

* ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा "दीर्घ कालीन ऊर्जा नीति" की घोषणा शीघ्र की जायेगी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु "इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म बिल" लाया जाना प्रस्तावित है।

* बिजली की चोरी रोकने के लिये "कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ" अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत माह अप्रैल व मई, 1998 में 1,03,225 लाख अवैध कनेक्शनस् को नियमित किया गया है। इस अभियान में उपभोक्ताओं को न केवल वैध कनेक्शन उपलब्ध हो गये हैं वरन् विद्युत राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

विद्युत् के क्षेत्र में सुधार हेतु सतत् प्रयास के फलस्वरूप सितम्बर, 1997 में जो प्लाण्ट लोड फैक्टर 49 प्रतिशत था, वह अक्टूबर, 1997 से जून, 1998 में बढ़कर औसत रूप में 58 प्रतिशत हो गया है।

* हमारी सरकार शीघ्र ही "नई औद्योगिक नीति" की घोषणा करने जा रही है। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, समस्याओं का त्वरित समाधान, वित्तीय संस्थाओं की सकारात्मक व प्रमोशनल एप्रोच, व्यापार-कर का युक्तिकरण तथा विभिन्न छूट एवं सुविधाओं का पैकेज तथा "सिंगल टेबिल सिस्टम अण्डर वन रूफ" प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकृतियों का समयबद्ध जारी किया जाना, इस नई नीति के अभिन्न अंग होंगे। "सिंगल टेबिल सिस्टम अण्डर वन रूफ" की परिकल्पना को हम साकार करेंगे, यह हमारा संकल्प है।

* हमारी सरकार प्रदेश के उद्योगपतियों देश के विभिन्न भागों के औद्योगिक घरानों, प्रवासी भारतीयों तथा विदेशी पूंजी निनियोजन को बढ़ावा देने के लिये 1998-99 में वृहद् कार्यक्रम चलायेगी।

* उद्यमियों की सुविधा के लिये चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था अवस्थापना सुविधाओं का सम्यक् विस्तार कर ढांचे का और अधिक सरलीकरण, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति और लालफीता शाही की जकड़न से मुक्ति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता होगी।

* हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा इन्फास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास में पूंजी निवेश में बढ़ावा देने के लिये 10 करोड़ रुपये के प्राविधान के साथ "इन्फास्ट्रक्चर इनिशियेटिव फण्ड" स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस फण्ड से परियोजना, चिन्हीकरण, अध्ययन, सर्वे, फिजीबिलटी रिपोर्ट तैयार करने,

निजी सेक्टर की पार्टी को चिन्हित करने, प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवस्था टाई-अप कराने तथा प्रोजेक्ट की स्थापना करने का कार्य किया जायेगा ।

* नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न विकास कार्यक्रम हेतु 1998–99 में 525 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह धनराशि निकायों को सीधे अन्तरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी । 1997–98 में नगरीय स्थानीय निकायों को 446 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे ।

* आज के "इन्फार्मेशन युग" में प्रगति हेतु "इन्फार्मेशन टैक्नालांजी" का अधिकतम उपयोग नितान्त आवश्यक है । इस दिशा में वृहद् पैमाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया है । साथ ही आगरा, नोयडा, देहरादून एवं वाराणसी में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क का निर्माण प्रस्तावित है तथा कानपुर एवं इलाहाबाद में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना भी प्रस्तावित है । आगरा एवं अलीगढ़ में विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा । आगरा को "इलेक्ट्रानिक नगर" के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है । आई०आई०टी कानपुर तथा जे० के० इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी की स्थापना हेतु 100 लाख रुपये, आगरा में इलेक्ट्रानिक शहर की स्थापना के लिये प्रोजेक्ट तैयार करने के लिये 10 लाख रुपये तथा आगरा एवं अलीगढ़ शहरों में सघन कम्प्यूटर साक्षरता योजना के क्रियान्वयन हेतु 20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

* हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार, 1,86,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 46,360 करोड़ रुपये का निवेश तथा निजी क्षेत्र में 1,39,640 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है ।

उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है । इस प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को सदा आकर्षित करते रहे हैं । प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई मांगों के माध्यम से लगभग 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है तथा वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा और मथुरा में पर्यटन विकास हेतु विशेष बल प्रदान किया जा रहा है । ताज नेशनल पार्क परियोजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी बजट

मान्यवर, हमारी सरकार क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने और संतुलित विकास पर विशेष बल दे रही है । विशेष रूप से बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल तथा उत्तरांचल की विशिष्ट समस्याओं के निदान का प्रयास किया जायेगा।

* बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु एक "विशेष बुन्देलखण्ड पैकेज" तैयार कराया जा रहा है । इस पैकेज में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पेय जल तथा सिंचाई व्यवस्था के लिये व्यापक कार्यक्रम सम्मिलित किये जायेंगे । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये अनेक विशिष्ट योजनायें लागू की जायेंगी ।

* बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये वर्ष 1997–98 के 23 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरुद्ध 1998–99 में 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह गत वर्ष से 74 प्रतिशत अधिक है ।

* पूर्वांचल विकास निधि के लिये भी इस वर्ष धनराशि में वृद्धि की गई है । 1998–99 में पूर्वांचल विकास निधि के लिये 120 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जबकि वर्ष 1997–98 में इस निधि में 92 करोड़ रुपये का ही प्राविधान किया गया था ।

* हमारा यह दृढ़ मत है कि उत्तरांचल की विशिष्ट समस्याओं के समाधान तथा विकास के लिये पृथक उत्तरांचल राज्य बनाया जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार से पृथक उत्तरांचल राज्य का विधेयक प्राप्त होते ही राज्य स्तर पर तत्काल अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

हमारी सरकार प्रदेश के पर्वतीय एवं उत्तरांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिये विशेष रूप से प्रयासरत है। वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में सड़कें, पुल, पेयजल व्यवस्था, सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जवाहर रोजगार/सुनिश्चित रोजगार योजना, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक एवं महिला कल्याण हेतु कुल लगभग 527 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

उत्तरांचल की विशेष क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये चालू योजनाओं के साथ 162 नई योजनाओं को भी 1998-99 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है जिन पर 148.84 करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान है।

उत्तरांचल की वार्षिक उप योजना 1998-99 के लिये कुल 860 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष से 27 प्रतिशत अधिक है।

क्षेत्र के पर्यावरण एवं संरक्षण के लिये "इकोरेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज" नामक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्त पोषित कराकर संचालित किया जायेगा। इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

* प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की सम्भावनायें वृहद हैं। पर्यटन के वर्तमान परम्परागत केन्द्रों के अतिरिक्त पर्यटकों को सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में नगरों और ग्रामों तक भ्रमण कराने हेतु पर्यटन विकास की वृहद योजना बनाने के लिये स्थलों का सर्वेक्षण प्रस्तावित है।

कल्याणोन्मुखी बजट

मान्यवर, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं के विकास के लिये पूर्णतया प्रतिबद्ध है। यहां मैं संक्षेप में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण हेतु प्रमुख कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रहा हूं।

* अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 1998-99 में 210 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।

* अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति दरें भी दुगुनी कर दी गई हैं।

* पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 55.48 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 266 प्रतिशत अधिक है।

* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि दुगुनी कर दी गई है और इसके लिए 1998-99 में 127 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

* विकलांग छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति दुगुनी किया जाना प्रस्तावित है।

* अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक की भांति अन्य वर्गों के निर्धन छात्र-छात्राओं को भी 1998-99 से छात्रवृत्ति दी जायेगी।

* गरीब तथा पिछड़े वर्गों के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाओं के लिए भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 211 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा जायेगा जिसमें से 105.73 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

* अनुसूचित जाति के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु देय अनुदान की धनराशि को 1997-98 में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

* अनुसूचित जाति के बीमार व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता को 1997-98 में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।

* उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 1998-99 में एक लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। गत वर्ष 89 हजार परिवारों को लाभान्वित किया गया था।

* स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत 1998-99 में 15,500 स्वच्छकारों को स्वतः रोजगार योजनायें उपलब्ध कराकर उन्हें मेला उठाने की कुप्रथा से मुक्त किया जायेगा। 1997-98 में इस योजना से 13,534 स्वच्छकारों को लाभान्वित किया गया।

* एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 में 1,92,089 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1997-98 में 1,80,680 परिवार लाभान्वित कराये गये।

* उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 1998-99 में 4,000 पिछड़े वर्गों के परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। गत वर्ष 991 परिवारों को लाभान्वित किया गया था।

विभिन्न पारम्परिक कार्यों में लगे व्यक्ति जैसे–बुनकरों, कुम्हार, लोहार, सुनार, मछुआरे, बढ़ई, चर्मकार, हस्तशिल्पी आदि के उत्थान के लिए "विकास परिषद्" स्थापित की जायेगी जो इन वर्गों के Skill Upgradation, डिजाइन एवं गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक तकनीक के उपयोग, उत्पादों के विपणन, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए कार्य करेगी।

* महिला वर्ग के कल्याण के लिये एक नई योजना "महिला उत्थान" प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना में गांवों की निर्धन एवं गरीब महिलाओं के सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। योजना के लिये विभिन्न चालू योजनाओं को डवटेल करके 67.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रमुख रूप से महिला शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कृषि एवं पशुधन विकास के आर्थिक कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य और शिशु चिकित्सा के कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं।

* बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिये अवशेष 115 असेवित विकास खण्डों में 1998-99 में निजी प्रबन्ध-तंत्र के सहयोग से कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी। इस योजना में अनुदान की धनराशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

* ऐसे विकास खण्ड जिनमें एक कन्या इंटर कालेज स्थापित हो चुका है, वहां पर भी किसी दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्ध-तंत्र द्वारा दूसरे कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के लिये भी दो किश्तों में 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

* व्यवसायिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा में महिलाओं के अध्ययन हेतु एक विशेष कार्य-योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से चालू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जायेगी।

* प्रदेश के युवा वर्ग के विकास और उनकी शक्ति रचनात्मक कार्यों में लगाने के उद्देश्य से हमारी सरकार "युवा नीति" तैयार करके शीघ्र लागू करेगी। इस नीति में युवा वर्ग के लिये अनेक योजनायें व कार्यक्रम सम्मिलित किये जाएंगे। हमारी नई "खेल नीति" भी युवा नीति का अंग होगी।

* हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास कर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सतत् प्रयासरत है।

* मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों में से 317 मदरसों को पहले ही अनुदान सूची पर लिया जा चुका है तथा 117 नये मदरसों को इस वर्ष अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है।

* अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाये गये 15 सूत्रीय कार्यक्रम का और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जायेगा।

* विकलांग कल्याण के लिये 1998-99 में विकलांगों को कृत्रिम उपकरण प्रदान करने का एक वृहत कार्यक्रम चलाया जायेगा।

* पूर्वांचल में विकलांग बच्चों के पठन-पाठन के लिये एक बहुउद्देश्यीय आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है।

* डा० अम्बेडकर विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अध्ययनरत सभी विकलांग छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व छात्रावास की सुविधा, शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन वर्दी की व्यवस्था, 250 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति तथा आवागमन के लिये निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है।

* अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक तथा निर्धन वर्ग के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था प्रस्तावित है।

* हमारी सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन का 14 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है।

* हमारी सरकार श्रमिकों के हित को संरक्षण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। श्रमिकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनका शोषण न हो सके।

* स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाये जायेंगे ताकि निर्धन वर्ग राजकीय अस्पतालों में बेहतर सुविधायें प्राप्त कर सकें।

* 1998-99 में दवाइयों का बजट 34 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये अर्थात दुगुने से भी अधिक कर दिया गया है।

* नगर की मलिन बस्तियों में पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

* इस वर्ष "मोतियाबिन्द मुक्त अभियान" वृहत रूप में चलाया जायेगा।

* एक लाख कुष्ठ रोगियों का चिन्हीकरण किया गया है जिनका इस वर्ष उपचार किया जायेगा।

* मेरी सरकार का दृढ़ मत है कि जहां एक ओर उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो वही दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि दुकानदारों, व्यवसायिकों तथा व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों में सजा के नगण्य प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध अध्यादेश 1997 की धारा 3 व 7 के अन्तर्गत कार्यवाई समाप्त करने के लिये भारत सरकार को लिखा गया। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को मानते हुए इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया

है और उसके स्थान पर उत्पीड़न रहित नये अधिनियम बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि दुकानदारों, व्यवसायियों और व्यापारियों का उत्पीड़न न हो सके।

* मेरी सरकार द्वारा मण्डी शुल्क को वसूल किये जाने हेतु बहुस्तरीय प्रणाली के स्थान पर एकल स्तरीय प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके, शुल्क अपवंचन को रोका जा सके और राजस्व में वृद्धि हो। एक सूत्रीय मण्डी शुल्क व्यवस्था 1 जुलाई, 1998 से लागू हो जायेगी।

* व्यापार कर दाताओं की कठिनाईयों को दूर करने एवं उन्हें सहूलियत देने हेतु मुख्य रूप से कार्रवाई की गई है वे इस प्रकार हैं :–

* स्वतः कर निर्धारण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

*10 लाख तक वार्षिक कर योग्य विक्रय धन वाले व्यापारियों को मासिक रूप-पत्र दाखिल करने के स्थान पर त्रैमासिक रूप-पत्र दाखिल करने की सुविधा दी गई है।

* कर निर्धारण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। प्रथम अपील दाखिल करने के लिए आरोपित कर का 20 प्रतिशत जमा करने की शर्त तथा वसूली स्थगन हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ विवादित कर का 1/3 जमा करने की शर्त समाप्त कर दी गई है।

* व्यापार-कर अधिकरण की एक सदस्यीय पीठ द्वारा निस्तारित की जाने वाली अपीलों की वित्तीय सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

* कुछ चुनी हुई जांच चौकियों पर कस्टम की भांति ग्रीन चैनल व रेड चैनल की व्यवस्था की गई है।

* 31-3-1993 तक सृजित मांग में से बकाया धनराशि जमा कर देने से ब्याज का अधिकांश और इस सम्बन्ध में आरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि माफ किये जाने की योजना दिनांक 1-6-98 से 30-11-98 तक की अवधि के लिए लागू की गई है।

* ईंट भट्ठा, खाण्डसारी तथा वनस्पति उद्योग में समाधान योजना लागू की गई है।

* हमारी सरकार द्वारा जन साधारण को सुविधा एवं राहत पहुंचाने के लिए कुछ वस्तुओं, जो आम आदमी के उपयोग में आती है, के व्यापार-कर में कमी की गई है :–

* कुलिया मिठाई पर व्यापार-कर की दर जो 4 प्रतिशत थी को कर-मुक्त कर दिया गया है।

* सभी प्रकार की वेल्डिंग पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

* मिल स्टोर हार्डवेयर पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

* खुली चाय, प्रेशर कुकर, हवन सामग्री, सभी प्रकार के छातों तथा प्लास्टिक एवं लाख की चूड़ियों पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

* कैंची, सरौता, रेजर आदि पर व्यापार-कर 6 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

* सभी प्रकार के फर्नीचर पर व्यापार-कर 12 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

* हार्डबोर्ड, फाईबर शीट, लेदर बोर्ड तथा प्लाईवुड पर व्यापार-कर 10 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है।

* सभी प्रकार की पादुकाओं पर व्यापार-कर 6 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

* सोने या चांदी या उसके मिश्रण से निर्मित गहने/आभूषण पर व्यापार-कर 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

* अगरबत्ती पर व्यापार-कर 8 प्रतिशत के स्थान पर कर-मुक्त कर दिया गया है ।

* फास्फोरस और पोटैशियम खाद को व्यापार-कर से कर-मुक्त कर दिया गया है ।

* प्रमाणित बीजों जो सीलबन्द झोलों या कन्टेनर में विक्रय किये जायें उनको केन्द्रीय बिक्री कर से कर-मुक्त कर दिया गया है ।

* हमारा प्रदेश देश में पहला राज्य रहा जिसने पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रम में राजकीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान प्रदान किये । इसी प्रकार शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा जूनियर डाक्टर्स को भी पुनरीक्षित वेतनमान दे दिये गये हैं । स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक उपक्रम के स्टाफ को नये वेतनमान दिए जाने का विषय विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने से प्रदेश पर 2800 करोड़ रुपये तथा शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने से 500 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा ।

* स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है । सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सर्वाधिक पेंशन प्राप्त होगी ।

* वयोवृद्ध नागरिक जो राजकीय सेवा से निवृत्ति हो गये हैं उनकी पेंशन की राशि में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है । रुग्ण वृद्धों एवं विकलांगों को इलाज हेतु जाने पर एक अटेण्डेन्ट के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

* वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1998-99 में 137.49 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 12.3 करोड़ रुपये अधिक है ।

* होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के दैनिक भत्ते में 5 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है । इसी प्रकार प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों के भत्ते में भी 5 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है ।

* बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले 14,986 नियोजकों को नोटिस दिये गये तथा 3,925 दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किया गया है । 32,756 बाल श्रमिकों को विद्यालयों व शिक्षा केन्द्रों में भर्ती कराया गया है । साथ ही बाल श्रमिक परिवारों के 1,413 व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया है । 1998-99 में बाल श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों को तीव्र गति दी जायेगी ।

* उत्तर प्रदेश से बहुत से कलाकार, कवि, लेखक, नाटककार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और पत्रकार पैदा हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है । उनको सम्मानित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक विशेष सम्मान के द्वारा उनको गौरवान्वित कराया जायेगा ।

अभी मैंने सम्मानित सदन के समक्ष हमारी आर्थिक नीति और बजट के "Thrust Areas" को रखा है । जिन सात भागों में हमने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया है, वे एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरन् एक दूसरे की पूरक और एक दूसरे पर निर्भर है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस Approach से प्रदेश के विकास की पटरी को लाइन पर लाकर तीव्र गति प्रदान करेंगे ।

श्रीमन्, मैंने संक्षेप में बजट प्राविधान और 1998-99 के कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं । विभाग-वार और सेक्टर-वार विस्तृत विवरण बजट भाषण के भाग–2 में दिया गया है । मैं सम्मानित सदन का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता अतः मैं यहां नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न विभाग एवं सेक्टर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए उसका उपयोग करने का कष्ट करें ।

प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

शासन की सोच, नीति एवं लक्ष्यों को मूर्तरूप देने तथा जनता की अपेक्षानुसार सेवायें एवं विकास सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। इसीलिए शासन एवं प्रशासन में एक नई स्फूर्ति लाना एवं एक नई कार्य-संस्कृति विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। समयशीलता, समयबद्धता, पारदर्शिता, सुदृढ़ डिलीवरी सिस्टम एवं कड़ा वित्तीय अनुशासन इस कार्य-संस्कृति के अभिन्न अवयव है।

समग्र विकास की रणनीति विकसित कर उसे प्रशासनिक ढांचे में गूंथने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। इस दिशा में उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने हेतु मंत्रि-परिषद् की आर्थिक विकास उप-समिति गठित की गई है। इस उप-समिति के समक्ष सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "आर्थिक विकास वर्किंग ग्रुप" स्थापित किया गया है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों में टास्क फोर्सेज गठित किये जायेंगे। विभागों की कार्य-प्रणाली में "प्रोजेक्ट एप्रोच" तथा समयबद्ध "एक्शन प्लान्स" के माध्यम से स्पष्टतयः निर्धारित प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों की उपलब्धि पर विशेष बल दिया जायेगा।

शासकीय तंत्र की कार्य-प्रणाली में एक और मूलभूत परिवर्तन लाने की दिशा में हम अग्रसर हैं, और वह है विभिन्न स्तरों पर जनता एवं प्रशासन में परम्परागत दूरी को समाप्त कर पारस्परिक विश्वास, संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित करना। मख्य मंत्री के "जनता दर्शन" से लेकर किसान सेवा केन्द्र की व्यवस्था तक, वित्तीय स्थिति पर जारी श्वेत पत्र से लेकर मुख्य मंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों को लिखे गये पत्रों तक, अधिकारियों की सुलभ उपलब्धता से लेकर क्षेत्रीय भ्रमण एवं रात्रि प्रवास सम्बन्धी निर्देशों तक विभिन्न कदम इस दिशा में उठाये गये हैं।

उक्त श्रृंखला में सरकार तथा जनता में सघन सम्पर्क तथा सूचना के निरन्तर आदान-प्रदान के लिए विभागों में प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। Right to Information अर्थात् सूचना प्राप्त करने के अधिकार की दिशा में अग्रसर होने के लिए विभागीय कार्य-प्रणाली एवं मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन लाया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक माह कराये गये विकास कार्यों की सूची जन-प्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख आदि को उपलब्ध कराई जाये। हमारे निर्णय एवं कार्य एक खुली किताब के समान पूर्णतः पारदर्शी रहेंगे।

वर्तमान सरकार का कार्य, सिद्धान्त, आचरण एवं कार्य-प्रणाली पिछली सरकारों से भिन्न है। "जनता की सरकार जनता के द्वार" के सिद्धान्त के अन्तर्गत जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शक्तियों के आंतरण एवं विकेन्द्रीयकरण करने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सभी स्तरों पर नये कार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में उपयुक्त अधिकारियों की तैनाती के लिए "सिविल सर्विसेज बोर्ड" का गठन विचाराधीन है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि अधिकाधिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो ताकि सरकार की भूमिका नियन्ता की न होकर दिशा-निर्देशक की हो जिससे समाज को व्यक्तिनिष्ठ सुपात्र क्षमता का लाभ मिल सके।

प्रशासन को नई दिशा देने के लिए उसकी गुणवत्ता में सुधार एवं शासन के निर्णयों को विशेषज्ञ अभिमत पर आधारित करने तथा निर्णयों में आर्थिक एवं अधिविद्य इनपुटों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग में नीति निर्धारण कोष्ठक की स्थापना का निर्णय लिया गया है ताकि विभागीय नीति निर्धारण में सहायता प्राप्त हो सके। इस नीति निर्धारण कोष्ठक की अगुवाई विभागीय सचिव द्वारा की जाएगी जिसमें उस सेक्टर के व्यावसायिक, विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री सम्मिलित होंगे जिसके विषय में नीति निर्धारित की जा रही है। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में सुविचारित नीति प्रस्तावों, जो आधुनिक एवं अद्यावधिक हों, का सम्प्रेषण सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रशासन द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है जिनमें आन्तरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की सहायता से समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष बल दिया जायेगा । इनमें रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुधार, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था, प्रदेश में विद्युत समस्या का समाधान एवं मार्गों का निर्माण एवं गुणात्मक सुधार सम्मिलित है । इन सेक्टरों में आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिक मिशनों की स्थापना पर विचार किया जायेगा जो निश्चित समयान्तर्गत सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे । विभागों को भी इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय दिया जायेगा ।

राज्य सरकार, प्रदेश में स्थित प्रशासनिक शोध संस्थाओं जैसे–इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट, लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मंसूरी तथा उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल आदि के विशेषज्ञों का प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण उपयोग भी करना चाहती है ।

यहां मैं प्रशासन तंत्र के सम्बन्ध में संक्षेप में कहना चाहूंगा । मैंने यह पाया है कि हमारा प्रशासन तंत्र मूलतः योग्य, सक्षम एवं प्रतिभा सम्पन्न है । उसमें अनुभव की कोई कमी नहीं है । मुझे विश्वास है कि प्रतिभावान, क्षमतावान, योग्य एवं ईमानदार अधिकारियों के सहयोग से प्रदेश की समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है । मैं आश्वस्त हूं कि कहीं पर भी मेरे इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी ।

वित्तीय प्रबन्ध

प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण तथा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के बीच संतुलन बनाये रखने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना हमने कुशल वित्तीय प्रबन्ध के माध्यम से करने का निर्णय लिया है क्योंकि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन द्वारा ही अर्थोपाय स्थिति नियन्त्रित हो सकती है । शासकीय व्यय में मितव्ययिता करके, प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त का उपयोग करके एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करके तथा प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित कर बाह्य पूंजी-निवेश को प्रोत्साहित करके प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने की रणनीति हमारी सरकार द्वारा अपनायी जा रही है । वर्ष 1997-98 में 721 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता के विरुद्ध 1998-99 में 1567 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है । बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए 1998-99 में व्यापक कार्यक्रम बनाये जा रहे है और आशा है कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वृहत पैमाने पर सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों तथा उनके बजट में किये गये प्राविधानों से काफी प्रभावित होती है । प्रदेश के आयोजनेत्तर व्यय में पंचम वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के परिणामस्वरूप वृद्धि सम्भावित है । हम इनसे निपटने हेतु कर प्रणाली को और अधिक उत्लावी बनाने, राजकीय उपक्रमों के आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि लाने एवं उत्पादन लागत में कमी करने के लिए कृत संकल्प है ।

लेकिन इस उपाय एवं विकल्प का क्षेत्र भी सीमित है अतः आयोजनेत्तर व्यय को नियन्त्रित करने हेतु सीमित राजकीय स्रोतों से संसाधन बढ़ाने का एक मात्र विकल्प ही हमको उपलब्ध है । अतः विकास की आवश्यकताओं और जनता को दिये गये वायदों को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे ।

वित्तीय नियन्त्रण इस प्रकार रखे जा रहे हैं कि संसाधनों का अपव्यय रुके और उसका सदुपयोग बढ़े। आइसोलेशन में फण्ड्स डाईवरजन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और कम से कम जितना पैसा हमारे पास है उससे अधिकाधिक लोगों को प्रभावी रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य-योजनायें तैयार की जा रही हैं। इस प्रकार सादगी एवं मित्वययिता के वातावरण में सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर विकास कार्यक्रमों को वित्त पोषण हेतु धन की कमी नहीं होने देने का हर प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा।

आय-व्ययक अनुमान 1998–99

अब मैं, वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में कतिपय प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व और पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 29912.28 करोड़ रुपये है।

राजस्व प्राप्ति की 20479.70 करोड़ रुपये की राशि में 6235.57 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश 2752.59 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, 9369.49 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 2122.05 करोड़ रुपये करेत्तर राजस्व सम्मिलित है।

पूंजी लेखे की 9432.58 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 8838.56 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 594.02 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित है।

पूरे वित्तीय वर्ष राजस्व व्यय 27573.45 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 4872.06 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिए तथा 22701.39 करोड़ रुपये आयोजनेत्तर मदों के लिए है।

पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों एवं अग्रिमों के समवितरण को सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 7037.12 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 3456.35 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 3580.77 करोड़ रुपये आयेजनेत्तर मदों के लिए है।

इस प्रकार राजस्व और पूंजी लेखे में कुल 34610.57 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 4698.29 रुपये का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 3438.86 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में सम्मिलित करते हुए आय-व्ययक में वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणाम स्वरूप 1259.43 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान है। वर्ष के 919.53 करोड़ रुपये के वास्तविक प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने पर उक्त घाटा वर्ष के अन्त में घटकर 339.90 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है।

मान्यवर, इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी में माननीय सदस्यों को "वित्तीय प्रबन्ध" से अवगत कराते समय दे चुका हूं।

इस सदन के समक्ष मैंने चालू वित्तीय वर्ष का बजट और प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप-रेखा रखी है और मैं सम्मानित सदन के समस्त सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने धैर्य पूर्वक सुनकर मुझे अनुग्रहीत किया। वास्तव में विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए हमें अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल तीनों ही दृष्टि रखनी होगी। हमारी सरकार को काम करते हुए बहुत थोड़ा समय होते हुए

भी प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने, रोजगारपरक औद्योगिक विकास करने, स्व-रोजगार, स्वदेशी और स्वावलम्बन को समेकित कर पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने तथा समाज के कमजोर, निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास कार्यों की गति प्रदान की गई है ।

श्रीमन्, विकास दल गत राजनीति का विषय नहीं है । प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के निर्धन एवं वंचित लोगों के विकास के लिए हमें मिलकर प्रयत्न करने होंगे चाहे हम सत्ता दल में हों या विपक्ष में । विकास को राजनीति से अलग रखते हुए, विकास को राजनीति से ऊपर रखते हुए मैं प्रदेश के तीव्र गति से विकास हेतु पक्ष एवं विपक्ष दोनों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

मैं सम्मानित सदन के माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार नारों तथा घोषणाओं में नहीं वरन् नीतियों और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में विश्वास करती है । हमारी सरकार दलगत राजनीति से दूर रह कर प्रदेश की जनता के दुख-दर्द तथा समस्याओं के निवारण के लिए कटिबद्ध है । विकास एक सतत् प्रक्रिया है । हम भविष्योन्मुखी होकर प्रदेश के विकास की गति को तीव्र करने का हर सम्भव प्रयास सभी के सहयोग से करेंगे ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत-रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर तथा स्वर्गीय पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के सपनों के अनुरूप हमारा संकल्प है एक शोषणमुक्त, समतायुक्त, ममतामय, परस्पर पूरक पोषक, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी समाज की संरचना । इस विशाल प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों से कृपा पूर्ण सहयोग, सहायता एवं सहभागिता की आकांक्षा करता हूं तथा यह भी आशा करता हूं कि हमें सदन के सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट शीघ्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । राजकीय मुद्रणालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, अन्त में मैं इस विशाल प्रदेश में जन-जन के सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की मंगल कामना से स्फूर्त वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूं ।

ज्येष्ठ 29, शक सम्वत् 1920

तद्नुसार

दिनांक 19 जून, 1998

कुछ कदम देश में पहली बार

हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जो देश के अन्य प्रदेश सरकारों द्वारा या तो अभी तक नहीं उठाये गये हैं या यदि उठाये गये हैं तो इस सरकार के निर्णय के उपरान्त ही उठाये गये हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ठोस कदमों का विवरण निम्नवत् है :–

1–पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का निर्णय।

2–पंचायतों तथा निकायों को वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम।

3–रजिस्ट्री की शोषणमुक्त नयी व्यवस्था लागू। बैनामे का मूल दस्तावेज उसी दिन। स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त।

4–गन्ना किसानों के हित में प्रथम बार 3 वर्षीय सट्टा नीति की घोषणा।

5–मिलवार अतिरिक्त सट्टा की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्देश।

6–सीमान्त एवं अनुसूचित जाति के किसानों के 85 प्रतिशत गन्ने की खरीद व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश।

7–खांडसारी एवं चीनी उद्योग के लिये वार्षिक लाइसेन्स के स्थान पर केवल एक बार लाइसेन्स लेने की सुविधा प्रदान किया जाना।

8–इंस्पेक्टर राज की समाप्ति। इंस्पेक्टर की भूमिका मात्र गलतियों को निकालने की नहीं बल्कि गलतियों के निराकरण हेतु शिक्षित करने का भी है।

9–रिक्शा चालकों को स्वयं के लिये रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की योजना का कार्यान्वयन।

10–निजी बस मालिकों द्वारा आकर्षक योजना के अन्तर्गत प्रमुख शहरों में सिटी बस योजना चालू किया जाना।

11–न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित किया जाना तथा मानक के आधार पर प्रतिवर्ष वृद्धि भी सुनिश्चित की जायेगी।

12–सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की स्थापना।

13–ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था में स्टाम्प पेपर की व्यवस्था समाप्त किया जाना।

14–कनेक्शन देने में आंगणन के नाम पर विलम्ब एवं हेर-फेर की गुंजाइश मानक दर निर्धारित कर समाप्त किया जाना।

15–बिजली बोर्ड में नियुक्त पुलिस जनों को बोर्डों के प्रति जवाबदेही बनाने की नई व्यवस्था लागू करना।

16–औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की चोरी रोकने के उद्देश्य से फैक्ट्री परिसर तक जाने के लिये अलग से गेट रखना अनिवार्य कर दिये जाने का निर्णय लिया जाना। सब स्टेशन्स में इलैक्ट्रानिक मीटरों की व्यवस्था की जा रही है।

17–"कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ" अभियान का क्रियान्वयन।

18–लगभग 60,000 ग्रामीण निकायों तथा 683 नगरीय निकायों को स्वावलम्बी स्वायत्त से वित्तीय साधनों से सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक निर्णय ।

19–संविधान के अन्तर्गत गठित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पहली बार लागू ।

20–विभिन्न ग्रामीण व नगरीय स्थानीय निकायों को धनराशि का पारस्परिक विभाजन 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर ।

21–चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय ।

22–पुराने राशन कार्डों के स्थान पर पुस्तिका के आकार में नये राशन कार्ड जारी करने का निर्णय ।

23–गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये विशेष रंग के राशन कार्ड ।

24–पर्वतीय संवर्ग की व्यवस्था समूह "क" पर भी लागू ।

25–"जनता की सरकार जनता के द्वार" योजना का क्रियान्वयन ।

26–प्रदेश में पंजाबी एकाडमी का गठन ।

प्रमुख फैसले–ठोस कदम

1–पंचायतों और निकायों को स्वायत्तता देने हेतु पहली बार करों से प्राप्त सम्पूर्ण आय की 11 प्रतिशत धनराशि उन्हें देने का निर्णय ।

2–रजिस्ट्री कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु कई नये ठोस कदम । बैनामे का मूल दस्तावेज पंजीकरण के बाद संबंधित पक्ष को उसी दिन वापस करने की व्यवस्था । स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त ।

3–लखनऊ में 21 वर्षों से रुके अजादारी जुलूस शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये गये ।

4–हर छोटी बड़ी घटना की एफ० आई० आर० दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश ।

5–अन्तर्जनपदीय शातिर माफियाओं तथा थानावार व जनपदवार कुख्यात अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही ।

6–सनसनीखेज वारदातों को सुलझाने हेतु "क्राईमसेल" तथा अन्तर्जनपदीय संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु "स्पेशल टास्क फोर्स" का गठन ।

7–आपराधिक सांठ-गांठ वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही । अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कार ।

8–उत्तर प्रदेश देश में लगातार दूसरी बार चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर । शीरा मूल्य नियंत्रण मुक्त । गन्ने की तीन वर्षीय सट्टा नीति घोषित ।

9–72 घण्टे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के प्रयास ।

10–ग्रामीणों को पास-बुक के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा । घरेलू कनेक्शन हेतु सटाम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त ।

11–15 दिन में नया कनेक्शन । 31 मई, 1998 तक बकाया विद्युत बिल जमा करने वाले किसानों को सरचार्ज में छूट की व्यवस्था ।

12–"किसान सेवा केन्द्रों" एवं "तहसील दिवस" का आयोजन "किसान मित्र" की तैनाती का निर्णय ।

13–"जनता की सरकार–जनता के द्वार" को चरितार्थ करते हुये मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक "जनता दर्शन" कार्यक्रम में जनता की समस्याओं की व्यक्तिगत सुनवाई । जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण ।

14–"सिंचाई बन्धु व्यवस्था" पुनर्जीवित ।

15–नकल मुक्त परीक्षा व्यवस्था । नकल माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही ।

16–राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हाई स्कूल तक सामान्य पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पंचांग लागू ।

17–नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया । 70,000 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शुरू ।

18–प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण तैयार । उद्यमियों में निरन्तर संवाद ।

19–उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण व उनसे बेहतर समन्वय हेतु दिल्ली में भी "उद्योग बन्धु" की स्थापना ।

20–"सिंगल विण्डो सिस्टम" के स्थान पर "सिंगिल टेबुल सिस्टम अन्डर वन रूफ" प्रणाली लागू ।

21–उद्यमियों को कैप्टिव पाकर प्लान्ट लगाने को प्रोत्साहन सुविधा । उत्पादित अवशेष बिजली को राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय तथा कैप्टिव पावर के उपयोग पर देय अधिभार समाप्त ।

22–पर्यटन विकास हेतु निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये "भूमि बैंक" की स्थापना ।

23–पं० दीन दयाल उपाध्याय की जन्म स्थली मथुरा जनपद के नगला चन्द्रभान फरह में पर्यटन विकास कार्य प्रगति पर ।

24–वक्फ बोर्डों की आय बढ़ाने की दृष्टि से उनकी सम्पत्तियों को रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से मुक्त किया गया ।

25–व्यापार कर प्रक्रिया को सरल कर अतिरिक्त कर का मुख्य कर में सम्मिलित करते हुये राउन्ड फिगर में कर निर्धारण ।

26–किसानों को राहत देने के उद्देश्य से फास्फेटिक एवं पोटेशिक खादों पर व्यापार कर समाप्त करने का निर्णय ।

27–हार्डबोर्ड, फाइबरशीट, लेदर बोर्ड, प्लाईवुड और सजावट के पत्तर एवं सभी प्रकार के फुट वियर तथा सोना चांदी और सिक्का के मिश्रण से बने आभूषण व अन्य वस्तुओं, फर्नीचर तथा गैर विद्युत चालित प्रेशर कुकर पर व्यापार कर कम किया गया ।

28–उत्तरांचल राज्य निर्माण के लिये प्रतिबद्ध प्रयास । वहां की सम्भावित प्रशासनिक व्यवस्था की संस्तुति के संबंध में मंत्रि-परिषद् की उप समिति का गठन ।

29–राशन कार्ड की कमी तथा उसके वितरण में धांधली की समाप्ति हेतु जिलाधिकारी के स्तर से बुकलेट फार्म में नये राशन कार्ड बनवाने की विकेन्द्रित व्यवस्था ।

9वीं पंचवर्षीय योजना

हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 8वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दुगने से भी अधिक है । जहां 8 वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 2.9 प्रतिशत अनुमानित था वहीं 9 वीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है । इसका आकार 1,86,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 46,360 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा निजी क्षेत्र में 1,39,00,640 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है । योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा और कुल परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु व्यय किया जायेगा । गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली प्रदेश की 43 प्रतिशत आबादी के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी । विकास के लिये जरूरी सुविधाओं, विशेष रूप से ऊर्जा, सिंचाई तथा यातायात को विशेष महत्व दिया जायेगा ताकि निजी विनियोग को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की दर को तेज किया जा सके ।

इस योजना में कृषि और उद्योग को गति प्रदान की जायेगी और दोनों सेक्टर के संतुलित विकास से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

योजनाकाल में समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बुन्देलखण्ड तथा उत्तरांचल के विकास पर विशेष ध्यान देते हुये क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करके संतुलित विकास के लिये पूरे प्रयास किये जायेंगे ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को वृहद स्तर पर लागू किया जायेगा ।

1998–99 की वार्षिक योजना

वर्ष 1998-99 के लिये 9,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है । वर्ष के लिये कुल प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 30 प्रतिशत अर्थात् 2696 करोड़ रुपये का परिव्यय जिला योजना के लिये रखा गया है । वर्ष 1998-99 में उत्तरांचल के लिये 860 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें विशेष पर्वतीय सहायता भी सम्मिलित है । 671.59 करोड़ रुपये के परिव्यय गैप को अनुपूरक अनुदानों एवं राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम से पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये न्यूनतम आवश्यकता "बेसिक मिनिमम सर्विसेज" कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के लिये 2060.63 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष के सापेक्ष 22.04 प्रतिशत अधिक है । इस कार्यक्रम के संबंधित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 1482 करोड़ रुपये केन्द्रांश प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है ।

कृषि प्रदेश की आय व्यवस्था का मेरूदण्ड है । नवीं पंचवषीय योजना में कृषि की विकास दर 5.1 प्रतिशत निर्धारित की गयी है ।

कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण

दंगा मुक्त प्रदेश एवं भयमुक्त समाज की स्थापना तथा अपराधों पर नियंत्रण, सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है । सरकार का प्रयास है कि जन-जन में पूर्ण सुरक्षा की भावना जागृत हो और शासन, प्रशासन की हनक, धमक और इकबाल लोग

महसूस करें । जनता निर्भीक हो और अपराधी भयभीत हों । सामाजिक समरसता की स्थापना का सफल परिणाम है कि 21 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे शिया सुन्नी विवाद के समाधान की दिशा में शासन द्वारा किये गये प्रयास से ही इस वर्ष जनवरी माह में दोनों समुदायों ने रमजान महीने में अपने त्योहार को शान्ति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न किया । अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1986 का प्रभावी क्रियान्वयन और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये । कानून व्यवस्था की समीक्षा आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित किया गया है । परिणामस्वरूप अल्प अवधि में प्रदेश में घटित घटनाओं में त्वरित कार्यवाही कर अधिकांश में सार्थक परिणाम मिले हैं ।

विशेष टास्क फोर्स का गठन कर एकीकृत रूप से कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ताकि चिन्हित सक्रिय माफिया गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही संभव हो सके । इसके अतिरिक्त आई० एस० आई० गतिविधियों, दस्यु उन्मूलन तथा फिरौती हेतु अपहरण की रोकथाम आदि प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है । इस पुलिस बल को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी क्षेत्र के थानों का सुदृढ़ीकरण करते हुये अतिरिक्त बल, वाहन, शस्त्र एवं संचार साधनों की व्यवस्था की गयी है । साथ ही पुलिस बल को अतिरिक्त आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया जाना प्रस्तावित है ।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन

सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में या अतीत में बड़े से बड़े पद पर भी क्यों न आसीन हो या रहा हो यदि उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । योजना के क्रियान्वयन के लिये पारदर्शिता लाने हेतु "टेक्निकल आडिट सेल" का गठन किया गया है । पारदर्शिता हमारी नई कार्य संस्कृति के तीसरे अवयव के रूप में सम्मिलित की गयी है । भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी लड़ाई है । मेरी मान्यता है कि जब तक भ्रष्टाचार होगा तब तक विकास के कार्य नहीं होंगे और जब तक विकास के कार्य नहीं होंगे तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा । जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा और जब तक पैसा नहीं पहुंचता है तब तक गरीबी नहीं हटेगी और जब तक गरीबी नहीं मिटती है तब तक लोगों की बीमारी, अशिक्षा, पिछड़ापन, उजड़ापन आदि दूर नहीं किया जा सकता । अतः हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम भ्रष्टाचार से मोर्चाबन्दी करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जनता को उपलब्ध करायेंगे ।

इसके अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा में औद्योगिक विकास एवं व्यवसायिक उपयोग के लिये अधिग्रहीत 700 एकड़ भूमि माफिया ठेकेदारों को कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश कर करोड़ों रुपयों का गोलमाल करने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ जांच कार्य सी० बी० आई० को सौंप दिया गया है और वह प्रगति पर है । उसी प्रकार डा० भीम राव अम्बेडकर उद्यान लखनऊ के निर्माण कार्य में भौतिक गुणवत्ता की जांच नोएडा के तत्कालीन चैयरमैन श्री टी० जार्ज जोसफ द्वारा कराने का निर्णय लिया गया था । आर्थिक दुरुपयोग की जांच केन्द्रीय जांच एजेन्सी सी० ए० जी० द्वारा कराने का भी निर्णय लिया गया था जो लगभग पूर्ण हो चुकी है । वित्तीय अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि तक कार्यवाही एजेन्सी तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि निर्माण कार्य हेतु धन उपलब्ध रहे और यह धन उसी कार्य में व्यय हो जिस कार्य के लिये स्वीकृत है । पुलिस प्रशासन को भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये अनेकों कदम मेरी सरकार द्वारा उठाये गये हैं । जिसमें प्रमुख सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्टों को थाने में दर्ज किये जाने हेतु निर्देश है । इसी प्रकार वित्तीय अनियमितता में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भी ठोस कार्यवाही

की जाने के लिये निर्णय ले लिया गया है और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता अपनाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है ।

जनता की सरकार जनता के द्वार

जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी है । मैं स्वयं प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक जनता दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों से आये हुए हजारों व्यक्तियों की समस्याओं की व्यक्तिगत सुनवाई करता हूं और उनके द्वारा इंगित समस्याओं को समयबद्ध रूप में समाधान के अनुश्रवण हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था विकसित की गयी है ।

जन समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार को न्याय पंचायत स्तर पर "किसान सेवा केन्द्र" तथा प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को "तहसील दिवस" के आयोजन की व्यवस्था तहसील स्तर पर की गयी है । इन आयोजनों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है । तहसील दिवस तथा किसान सेवा केन्द्रों पर जन समस्याओं/शिकायतों पर यथासंभव मौके पर ही निस्तारण किया जाता है । तहसील दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रत्येक जनपद के लिये माननीय मंत्री जी नामित किये गये हैं जिनके द्वारा इन आयोजनों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

इस तरह की कार्यशैली अपनाते हुए सम्पूर्ण जन समाज की भलाई को अपना लक्ष्य मानते हुये प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जनता की सेवा का संकल्प लिया है । हमारे सामने कठिनाइयां भी हैं । हमारे संसाधन भी सीमित हैं । फिर भी हमारा यह संकल्प है कि आप सभी के सहयोग के इन कठिनाइयों के बावजूद भी हम प्रदेश में अमन चैन लाने, बहुमुखी विकास की गति को तेज करने तथा समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने में सफल होंगे ।

कृषि

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है । कृषि क्षेत्र में भूमि विस्तार की स्थापना कम होने के कारण उन्नतशील उत्पादन, कृषि प्रावैधिकी और कृषि निवेशों के सन्तुलन द्वारा फसलों में उत्पादकता वृद्धि से समग्र उत्पादन बढ़ाने की रणनीति अपनाई गयी है । वर्ष 1997-98 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 152.5 लाख मीट्रिक टन था जिसके सापेक्ष 159.6 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य स्थापित किया गया जो विगत वर्ष की तुलना में 7.1 लाख मीट्रिक टन अधिक है । आलोच्य वर्ष रबी उत्पादन का लक्ष्य 279.75 मीट्रिक टन था जिसके सापेक्ष पूरे वर्ष में अप्रत्याशित वर्षा के कारण रबी की बोवाई गयी फसलों को पर्याप्त क्षति पहुंची एवं अप्रैल माह में चक्रवात, वर्षा तथा तीव्र हवाओं के चलने से पिछैती बोवाई वाली फसलों तथा कटी हुई फसलों में पर्याप्त नुकसान पहुंचने के बावजूद रबी उत्पादन लगभग 261 लाख मीट्रिक टन हुआ अनुमानित है । इस प्रकार गत वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 420.6 लाख मीट्रिक टन हुआ है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु खाद्यान्न उत्पादन में 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष विकास की दर प्रस्तावित है । इस विकास की दर की प्राप्ति हेतु कतिपय विशेष प्रयास किये गये हैं जिनका विवरण निम्न है :–

1–कृषि निवेशों की समय पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना ।

2–कृषि प्रावैधिकी के विस्तार के लिए कृषि सेवा केन्द्र को मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में सशक्त बनाना ।

3–खेती किये जाने वाले क्षेत्रफल में विकास समस्या ग्रस्त कृषि योग्य बेकार भूमि जिसमें ऊसर-बंजर-बीहड़ शामिल है की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सुधारने की आवश्यकता

अनुभव की गयी है जिसके लिए रिमोट सेंसिंग की सहायता से भू-उपयोग के आंकड़ों की वास्तविक स्थिति का आंकलन भी कराया जायेगा ।

4–स्थानीय समस्याओं पर आधारित उपयुक्त प्रावैधिकी के विकास को सशक्त बनाना ।

कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यातकों को मण्डी शुल्क से मुक्ति, व्यापार कर से मुक्ति तथा चावल निर्यात के प्रोत्साहन हेतु बासमती चावल को लेवी से छूट प्रदान की जा रही है । कृषि उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा आलू, आम, तिल, सेब व आंवला निर्यात नीति बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि प्रदेश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और ग्रामीण जनता को रोजगार मिल सके ।

कृषि को वैज्ञानिक दृष्टि से बढ़ावा देने के उद्देश्य से "किसान मित्र योजना" प्रारम्भ करायी जा रही है । किसानों को उन्नत बीजों की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है । कृषि विश्व-विद्यालयों में वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा देने हेतु 2.45 करोड़ रुपये की एक मुश्त व्यवस्था की गयी है ताकि आधुनिकतम कृषि पद्धतियों के बारे में सूचना किसानों तक पहुंच सके और किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें । प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सहयोग से की जा रही है । जहां से किसान कृषि सम्बन्धी आधुनिकतम तकनीकी एवं उन्नति प्रजाति बीजों के बारे में सूचनायें प्राप्त कर सकें तथा बीज और उपकरण आदि भी प्राप्त कर सकें । कृषि विभाग में पूंजीगत कार्यों हेतु 13 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था भी है जिससे इस वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार नये कार्य प्रारम्भ कराये जा सके ।

सन्तुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पोटेशियम तथा फास्फेटिक खाद पर राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर मुक्त करके लगभग 71 करोड़ की राहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों को प्रदान की गयी है । साथ ही ओला वृष्टि, अति वृष्टि, बाढ़, तूफान, अग्निकाण्ड, भू-स्खलन व लू आदि से जन-जीवन/फसल की क्षति हेतु निर्धारित राहत राशि की दर में वृद्धि की गयी है और न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

"किसान मित्र योजना" हेतु नई मांगों के माध्यम से एक करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है ।

सिंचाई

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सघन सिंचाई की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य से :–

1–वर्तमान सिंचाई साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए अधिक सिंचन क्षमता का सृजन ।

2–सिंचाई क्षमता में क्षेत्रीय असन्तुलन का न्यूनीकरण ।

3–निर्माणाधीन परियोजनाओं से शीघ्र लाभ देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करना ।

4–सिंचाई साधनों को बेहतर रख-रखाव व्यवस्था से सृजित सिंचन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना ।

तथा

5–सिंचाई जल के बेहतर प्रबन्धन हेतु स्वच्छ एवं दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना पर विशेष बल दिया जाना प्रस्तावित है ।

राज्य के सिंचाई साधनों के संचालन में सुधार करने के उद्देश्य से कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पिकाओं और नलकूपों के कार्यों को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत करने के आदेश

निर्गत किये गये हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से विभिन्न स्तर पर समन्वय करके राजकीय नलकूपों पर उत्पन्न विद्युत दोष का निवारण 10 दिन तक की अवधि में कराने और यांत्रिक या विद्युत दोष दोनों को मिलाकर नलकूपों की बन्दी 10 प्रतिशत तक सीमित रखने के प्रयास किये जायेंगे । कोई भी नलकूप यान्त्रिक और विद्युत दोष से 10 दिन से अधिक बन्द न रहने पाये यह सुनिश्चित किया जायेगा । मई और जून माह में 468 पुराने/नये नलकूपों के ऊर्जीकरण का प्रस्ताव है । राजकीय नलकूपों के संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत "नलकूप पंचायत समिति" के गठन की मार्गदर्शी योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें कृषकों की भागीदारी होगी । इसके अन्तर्गत नलकूपों को समादेश के कृषकों की सहकारी समिति बनाकर नलकूपों का संचालन इस समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाना प्रस्तावित है ।

नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए तथा कृषकों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में "जनपद सिंचाई बन्धु" का पुनर्गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक माह में तिथि निश्चित कर सभी जिला मुख्यालय स्तर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों, स्थानीय सांसदों, विधान सभा/विधान परिषद् सदस्य तथा ब्लाक प्रमुखों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने की व्यवस्था की गयी है ।

"किसान सेवा केन्द्रों" को पुनर्जीवित किया गया है । इन केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो केन्द्रों की दर से सुनिश्चित किया जायेगा तथा तहसील और खण्ड स्तर के अधिकारी प्रत्येक गुरुवार को कम से कम तीन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे । किसान सेवा केन्द्र में सिंचाई विभाग के सींचपाल तथा नलकूप मिस्त्री माह के प्रथम तथा तीसरे गुरुवार को पूरे समय उपस्थित रहेंगे । इससे ग्राम प्रधानों की ग्रामों से सम्बन्धित समस्याओं का कार्य स्थल पर ही समाधान हो जाया करेगा ।

राजकीय लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 0.13 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जावेगा । राजकीय नलकूपों द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए निम्न कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है :–

1–असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण

2–जीर्ण-शीर्ण जल वितरण प्रणाली का पुनरोद्धार

3–जीर्ण-शीर्ण उपकरणों का प्रतिस्थापन

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा "त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना" में दी गयी 58 प्रतिशत वृद्धि का समुचित लाभ प्रदेश द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है । निजी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने में 50 प्रतिशत एवं रुपये एक लाख तक अनुदान योजना लागू की जा रही है जिसमें बिजली की लाईन की लागत भी सम्मिलित होगी । इसके लिए 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । साथ ही पेयजल, सिंचाई एवं रोजगार के लिए "बुन्देलखण्ड पैकेज" तैयार किया जा रहा है । सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु 151 करोड़ रुपये विगत वर्ष की तुलना में अतिरिक्त बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई है । नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं से ली गयी परियोजनाओं को पूर्ण कर चतुर्थ योजना का भी लाभ लिया जाना प्रस्तावित है । इस प्रकार सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ।

गन्ना विकास

हमारी सरकार का निरंतर यह प्रयास रहा है कि किसानों का अधिकतम गन्ना पेरा जाये तथा मूल्य का भुगतान तत्परता से किया जाय । इस वर्ष 11 जून, 1998 तक प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना

किसानों से 3020.89 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया जिसमें से 2761.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो कुल देय का 91.4 प्रतिशत है।

चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु क्रय कर में 2 रुपये प्रति कुन्तल में 50 प्रतिशत की छूट देकर गन्ना किसानों के हितों को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है।

गन्ना किसानों को बैंकों के माध्यम से शोषण मुक्त भुगतान की प्रक्रिया लागू की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत इस सत्र का 85 प्रतिशत का रिकार्ड भुगतान किया गया है। पहली बार किसानों को 1 वर्ष में 59 अरब रुपये अपने गन्ना मूल्य के प्राप्त हुये हैं। साथ ही गन्ना किसान बिचालियों एवं घटतौलियों के शोषण से मुक्त हुये हैं। गन्ना किसानों के हित में प्रथम बार तीन वर्षीय सट्टा नीति की घोषणा की गयी है तथा पहली बार मिलवार सट्टा की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप सीमान्त एवं अनुसूचित जाति के किसानों से 85 प्रतिशत गन्ना खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

इस वर्ष गन्ना विकास के लिये सार्थक पहल करते हुये शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के आच्छादन को बढ़ाने की व्यापक योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का 87 लाख कुन्टल बीज वितरित किया गया है। अगैती गन्ना प्रजातियों की 85 प्रतिशत खरीद को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर उपलब्ध अच्छी गन्ना प्रजातियों को बढ़ाने के तौर पर प्रदेश में लाने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा "जोनल ट्रायल योजना" फिर से लागू की गयी है।

वर्तमान सरकार द्वारा खाण्डसारी और चीनी उद्योग के लिये अपनायी गई उदार नीति के अन्तर्गत वार्षिक लाइसेंस के स्थान पर केवल एक बार लाइसेंस देने की सुविधा प्रदान की गयी है। परिणाम-स्वरूप खांडसारी एवं चीनी मिल मालिकों को हर वर्ष नवीनीकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिल गयी है। गन्ना किसानों को अधिक से अधिक आय कराने के उद्देश्य से गन्ने की वर्तमान में प्रचलित अलाभकारी प्रजातियों को आगामी 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से अधिक उपज/अधिक शर्करायुक्त प्रजातियों को बदलने की व्यापक योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिये बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु "दीर्घकालीन सीड प्लान" बनाया जा रहा है।

गोरखपुर, देवरिया तथा वाराणसी गन्ना परिक्षेत्रों के जनपदों में गन्ने के सघन विकास तथा चीनी मिलों की दशा में सुधार करके आर्थिक वृद्धि के लिये विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है तथा कार्य के नियमित अनुश्रवण हेतु विभागाध्यक्ष तथा शासन स्तर पर नोडल अधिकारी बनाये गये हैं।

मिलों तक गन्ना पहुंचाने में गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में गन्ना किसानों की सुविधा हेतु 209 किलोमीटर पक्की सड़कों तथा 108 पुलियों का निर्माण कराया गया है साथ ही अतिरिक्त नहर पटरियों को पक्का कराने की योजना के अन्तर्गत 47.10 किलोमीटर पटरियों को पक्का कर दिया गया है।

ग्राम्य विकास

गांवों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलायी जा रही है। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना संचालित की जा रही है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिये कुल रुपये 10680.01 लाख परिव्यय आवंटित किया गया है।

ग्रामीण परिवारों की 10-15 महिलाओं का समूह गठित कर उन्हें व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डवाकरा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के

अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में रुपये 495.02 लाख का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 28,000 हैण्ड पम्प लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु रुपये 19.326 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास भवनों/विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 22.21 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस हेतु वर्ष 1998-99 में रुपये 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां प्रत्येक माह 4 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। पशुधन प्रक्षेत्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सघन मिनी डेरी योजना के अन्तर्गत पुराने 15 जनपदों के अतिरिक्त 17 नये जनपद लिये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों में सघन मिनी डेयरी योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास विभाग को विभिन्न श्रोतों से लगभग 2000 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु उपलब्ध होंगे। किसानों के हितार्थ ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सिंचाई परियोजनाओं में इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में लगभग 240 करोड़ रुपये अधिक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं रोजगार सृजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। प्रदेश के सभी जनपदों को सघन मिनी डेरी योजना से आच्छादित किया जा रहा है तथा स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार योजना को फेरबदल कर सघन और प्रभावी रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने पर बिजली की लाईन की लागत को सम्मिलित करते हुये 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का अनुदान योजना चालू की गयी है जिसके लिये बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। ओला वृष्टि अति वृष्टि, तूफान, बाढ़, अग्निकाण्ड, भू-स्खलन, लू आदि से जनजीवन एवं फसल की क्षति की राहत की दर में वृद्धि की गयी है तथा विभिन्न पारम्परिक कार्यों में लगे व्यक्ति जैसे–बुनकर, कुम्हार, लोहार, सोनार, मछुवारे, चर्मकार आदि के लिये विकास परिषद् की स्थापना प्रस्तावित है।

औद्यानिक विकास

औद्यानिक फसलों में फल, शाकभाजी व मसाला, फूल औषधीय एवं सुगन्धीय पौधे आदि लाभकारी फसलें आती है। इनके अतिरिक्त मौनपालन मशरूम उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण आदि भी औद्यानिकी के महत्वपूर्ण घटक हैं। औद्यानिक फसलों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है। औद्यानिक फसलें पर्यावरण सुधार के साथ-साथ जनसामान्य को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराती है। औद्यानिक फसलों व इनके घटकों के उत्पादों को निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। अतः पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टिकोण से औद्यानिकी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है।

प्रदेश में सघन फल उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में विशिष्ट फलों के विकास की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 32.86 लाख रुपये का प्राविधान है। जिसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/सभा ट्राइबल प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के आर्थिक उन्नयन हेतु औद्यानिक योजना 46 जनपदों में चलायी जा रही है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा घोषित उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत रोजगारपरक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। औद्यानिक सहकारी विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों को औद्यानिक उत्पादों का

समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से औद्यानिक सहकारी समितियां बनायी गई हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष 12 हजार रुपये तक प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान है । निबन्धित औद्यानिक सहकारी समितियों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है ।

पशुपालन तथा मत्स्य

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा द्वारा विकास और आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देकर नयी दिशा दिये जाने पर सरकार विशेष बल दे रही है । कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की न्यून सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये पशुपालन के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराया जा रहा है । पशु चिकित्सालयों में रोग नियंत्रण अभियान एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है ।

मछली पालन विशेषकर दुर्बल वर्ग के लोगों के अतिरिक्त रोजगार का साधन है । इस व्यवसाय से जुड़े मछुवा समुदाय के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 1998-99 में मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य 7100 लाख टन का रखा गया है । मछुवा कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश एवं भारत सरकार के सहयोग से चलायी जा रही "मछुवा समुदाय दुर्घटना बीमा योजना" के अन्तर्गत 35000 सदस्यों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । इनकी समस्याओं के समाधान हेतु "मछुवा विकास परिषद्" का गठन भी प्रस्तावित है ।

सहकारिता

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं आर्थिक सम्पन्नता हेतु सहकारिता एक सशक्त माध्यम है । राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है । अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के निर्बल वर्गों, भूमिहीन श्रमिकों के कल्याणार्थ संस्थाओं द्वारा ऋण एवं कृषि निवेशों की आपूर्ति तथा ऋण वसूली सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न की जा रही है । कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों आदि को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वआश्रयी बनाने का कार्य किया जा रहा है । महिला उपभोक्ता समिति द्वारा कुटीर उद्योग भी संचालित किये जा रहे हैं । जिसमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती बनाने, अचार मुरब्बा तथा पापड़ बनाने, पैचवर्क्स, जरीजरदोजी आदि का कार्य होता है इनमें अधिकांशतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

दुग्ध विकास

डेरी विकास विकास विभाग का मूल उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के कृषकों, कृषि मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन करके नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं विसंक्रमित दुग्ध उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है ।

इस विभाग के कार्यकलाप मिल्क ऐक्ट के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर "दुग्ध समितियां" बनाकर संबंधित जनपद के "दुग्ध संघ" के माध्यम से चलाये जा रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के अन्तर्गत अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना एवं महिला डेरी परियोजना नामक विशेष योजनायें चलाई जा रही हैं । अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत

सघन मिनी डेरी परियोजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों एवं व्यक्तियों को इस विभाग के कार्य-कलापों के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं इस रोजगार सृजन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि करना है । इस रोजगार योजना द्वारा प्रथम चरण में 15 जनपदों और दूसरे चरण के 17 जनपदों में 15323 रोजगार सृजित किया गया है । अब यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रदेश के सभी जनपदों में चलाई जा रही है । महिला डेरी परियोजना 42 जनपदों में चलायी जा रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विभाग के कार्य-कलापों में सहयोग प्रदान करना तथा इन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "हाईब्रिड एम्ब्रियो ट्रान्सफर योजना" के अन्तर्गत एक केन्द्र की स्थापना इस वर्ष किया जाना तय किया गया है जिसके लिये 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है ।

सड़कें एवं परिवहन

गत वर्षों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां बड़े संसाधनों का अनुमान किये बिना ही निर्गत की गयीं जिसका फल यह हुआ कि इन स्वीकृत सड़कों एवं पुलों पर धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो सका । हमारी सरकार ने गहन समीक्षा कर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियों में सामंजस्य स्थापित कर लम्बित कार्यों को अधिकतम उपयोगिता स्तर तक पूर्ण कराने का निर्णय लिया है । साथ ही विद्यमान मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने हेतु प्रभावी प्रयास किये हैं ।

वर्ष 1998-99 में सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 835.72 करोड़ रुपये के बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं जिसमें राज्य सेक्टर 535.64 करोड़ रुपये एवं जिला सेक्टर 300.08 करोड़ रुपये है । प्रदेश में सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु गत वर्ष की तुलना में लगभग 271 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है । जिसके अन्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं का नव निर्माण, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना का द्वितीय चरण, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना, नहर की पटरियों को पक्का किया जाना तथा बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत नये कार्यों का निर्माण आदि प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु 463.44 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है । 189.13 करोड़ का विशेष प्राविधान नई मांगों के माध्यम से की गयी है । जिससे 2 पैचिंग मशीन व पचास रोड रोलर का क्रय, सड़कों/सेतुओं तथा सम्पर्क मार्गों/सेतुओं का निर्माण, राजमार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागरिक मार्ग सुधार योजना तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना एवं नहर सेवा मार्गों को पक्का किये जाने का कार्य किया जायेगा ।

हमारी सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य पिछड़े विकास खण्डों में मार्गों के विकास हेतु "विलेज कनेक्टिविटी योजना" पर विशेष बल दे रही है और इस सम्बन्ध में प्राथमिकता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है । परिणामस्वरूप यथाशीघ्र इन विकास खण्डों में मार्गों एवं पुलों का ऐसा जाल बिछ जायेगा जिससे अधिक से अधिक अम्बेडकर गांव आगामी 1-2 वर्षों में मुख्य मार्गों से जुड़ जायेंगे एवं इन क्षेत्रों का सीधा सम्पर्क जिला मुख्यालय तथा बड़े शहरों से हो जायेगा । नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 25,794 गांवों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा जापानी सहायता से कार्यान्वित की जा रही राज्य मार्गों में सुधार एवं बौद्ध परिपथ परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों को त्वरित पूरा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में संसाधनों एवं कौशल का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग/पुल जिनमें यातायात साधन अधिक हैं और जिनसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, को निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के सहयोग से

निर्मित/सुदृढ़ किया जाय । इस हेतु प्रदेश के मार्गों के समग्र विकास के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग विकास नीति निर्धारित कर तत्सम्बन्धित रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । यही नहीं कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निम्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है । उक्त के अतिरिक्त नाबार्ड से वित्त पोषण, आर०आई०डी०एफ० विभाग को ज्यादा से ज्यादा परियोजनायें स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है और इन परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था यथासमय वित्त विभाग द्वारा की जायेगी । साथ ही पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधियों की धनराशि 41 प्रतिशत तथा 74 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । सड़कों को पेचलेस बनाये रखने तथा उचित रख रखाव हेतु सड़क निधि बनाकर अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जा रही है । सभी रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने का वृहद कार्यक्रम इसी वर्ष समगत किया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है तथा यथाशीघ्र लगभग 800 नयी बसों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जायेगा ताकि जन सामान्य को यातायात की और बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके । लखनऊ शहर में पहली बार प्राइवेट सिटी बस चलाये जाने के कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रयास किया जायेगा जिसके लिये आकर्षक योजनायें तैयार की जा रही है । परिवहन निगम को गत 2 माह में 116.83 लाख रुपये की आय हुयी है जो गत वर्ष की इन महीनों की आय से अधिक है ।

ऊर्जा—नयी व्यवस्थायें

प्रदेश के विकास के लिये ऊर्जा का सर्वविदित महत्व है । हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के लिये विशेष रूप से प्रयासरत है ।

वर्ष 1998-99 में मैदानी क्षेत्र के लिये विद्युत सेक्टर हेतु कुल 2049.72 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें आय-व्ययक के माध्यम से 1251.95 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है शेष 797.77 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं एवं आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त होगा ।

आने वाले वर्षों में प्रदेश में विद्युत की कमी न रहे, इस उद्देश्य से लगभग 10 वर्षों तक बन्द पड़े 304 मेगावाट मनेरी भाली तथा 420 मेगावाट लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यों को पुनः चालू कराया जा रहा है । इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है । प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से 1,000 मेगावाट की क्षमता वाली जल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये इस बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सहयोग से 45 मेगावाट राजघाट जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिये 26.50 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त टाण्डा, ओबरा और हरदुआगंज तापीय विद्युत योजनाओं की सात बंद पड़ी इकाइयों को इसी वित्तीय वर्ष में चालू कराया जायेगा जिससे कुल 960 मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी । भारतीय जीवन बीमा निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से इस वित्तीय वर्ष में राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 500 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने की सम्भावना है ।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है । आशा है कि विष्णु प्रयाग तथा श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाओं एवं रोजा तापीय विद्युत परियोजना पर निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा ।

ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा "दीर्घकालीन ऊर्जा नीति" की घोषणा की जायेगी । प्रदेश के उपभोक्ताओं को दक्षता पूर्ण एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये "इलेक्ट्रीसिटी रिफार्म बिल" लाया जाना प्रस्तावित है ।

विद्युत व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार लाने के उद्देश्य से अध्यक्ष से लेकर एस०डी०ओ० तक के सभी स्तर के अधिकारियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण संबंधित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। नये कनेक्शन देने के लिये स्टाम्प पेपर की व्यवस्था समाप्त कर 15 दिन के अन्दर नये कनेक्शन देने के आदेश दे दिये गये है। कनेक्शन के आगणन के नाम पर विलम्ब और हेराफेरी की गुंजाइश को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके लिये एक पोल, 2 पोल, 3 पोल के हिसाब से अलग अलग मानक दर निर्धारित कर दी गयी है तथा सीधे पोल से कनेक्शन देने के लिये भी मानक दर निर्धारित कर दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता को विद्युत बिल भेजने की व्यवस्था भी समाप्त करने का निर्णय लेते हुये पास बुक की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है। विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से विद्युत परिषद् के अधिकारियों को जवाबदेह करने की दिशा में नये कदम उठाये गये है। ग्रामीण प्रकाश व्यवस्था तथा खेती में हो रही खपत के विद्युत आंकलन के लिये ग्राम स्तर पर अलग से मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की चोरी रोकने के उद्देश्य से फैक्ट्री परिसर तक जाने के लिये अलग गेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मीटर रीडर या निरीक्षक अधिकारी बे-रोक-टोक मीटर तक पहुंच सके। बिजली बोर्ड में नियुक्त पुलिस जनों को बिजली बोर्ड के प्रति जवाबदेह बनाने की नई व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत पुलिस चरित्र-पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि करने का प्रस्तावित अधिकार मुख्य जोनल अभियन्ता को समीक्षा का, पुलिस महानिरीक्षक बिजली को तथा स्वीकर्ता का अधिकार परिषद् के अध्यक्ष को प्रदान किया गया है। "कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ" अभियान में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को देय राशि का केवल एक तिहाई पैसा जमा कर देने पर कनेक्शन दिये जाने के आदेश एवं शेष भुगतान 3 किश्तों में कराने की व्यवस्था विशेष रियायतों के अन्तर्गत की गयी है। इस प्रकार बिजली की चोरी रुकने से परोक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में वृद्धि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

पेयजल

प्रदेश के नगरों एवं ग्रामों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु प्रदेश सरकार बचनबद्ध है। वर्ष 1998-99 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 61 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान रखा है जो गत वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत अधिक है। 20,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिए त्वरित पेयजल कार्यक्रम 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश के आधार पर क्रियान्वित हो रहा है। प्रदेश में 681 शहर हैं जिनमें 628 शहरों में पाईप लाईन द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध है। शेष 53 शहरों में शीघ्र ही सीधे पेयजल की आपूर्ति पाईप पेयजल योजना द्वारा की जाने की व्यवस्था की जा रही है। कानपुर, मथुरा एवं वृन्दावन शहरों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए गंगा बैराज एवं गोकुल बैराज जैसी वृहत् योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि बजट में व्यवस्थित है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों जहां तत्काल पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है और ऐसे क्षेत्रों हेतु 4130 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन जुलाई, 1998 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए जल निगम को धनराशि दी जा चुकी है। मानक के अनुसार 250 की जनसंख्या पर एक इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त मलिन बस्तियों को सन् 2000 तक पेयजल से संतृप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रदेश में कुल 2,74,641 ग्रामीण बस्तियां हैं जिनमें 2,04,213 बस्तियां पेयजल से आच्छादित हैं इनमें विभिन्न चरणों में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर सन् 2000 तक लक्ष्य की पूर्ति की जानी है। वर्ष 1998-99 में 5616 लाख रुपये के बजट प्राविधान से लगभग 50,000 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लक्ष्य को पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही है । यह योजना प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सन् 2000 तक क्रियान्वित की जायेगी । इस योजना में विश्व बैंक का अंश 84 प्रतिशत, राज्यांश 5 प्रतिशत तथा लाभार्थी समुदाय का अंश 11 प्रतिशत है ।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास हेतु उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने एवं अधिकाधिक पूंजी निवेश कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जा रही है । जनता के व्यापक हितों को देखते हुए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, खनिज सम्पदा, इलेक्ट्रानिक्स तथा कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि संसाधन की कमी के कारण इन क्षेत्रों के विकास में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न हो सके । पूंजी निवेश में आने वाली अड़चनें दूर करने हेतु "सिंगल विण्डो सिस्टम" के स्थान पर "सिंगल टेबुल सिस्टम अण्डर वन रूफ" की नयी प्रणाली विकसित की गयी है । हर महीने राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में तथा हर जिले में एक निश्चित तिथि पर मंत्रिमण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, ताकि सरकार तथा उद्यमियों के बीच परिणामपरक संवाद प्रारम्भ हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके । औद्योगिक गतिविधियां तेज करने के लिए प्रदेश के वित्तीय संस्थाओं को केवल ऋणदाता की भूमिका न निभाकर इण्डस्ट्री प्रोमोटर (उद्योग पोषक) की भूमिका निभाने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं । औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से आधारभूत अवस्थापना सुविधायें जुटाने के काम को विशेष प्राथमिकता दिये जाने के निर्णय लिए गये हैं । 21वीं शताब्दी में प्रदेश की विशाल जनसंख्या के पूर्ण विकास के लिए खेती पर निर्भरता कम करने तथा आर्थिक विकास के नये विकल्प खोजने के लिए उद्योगों को बहुआयामी विस्तार देने की नई रणनीति पर अमल प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कानून व्यवस्था में प्रभावी परिवर्तन लाकर पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों तथा उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारन्टी का प्रबन्ध किया गया है साथ ही समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

औद्योगिक आस्थानों की स्थापना एवं सुविधा के उच्चीकरण में उद्यमियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थान सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवस्था सम्पन्न करायी जा रही है । डिलीवरी सिस्टम के सुधार के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को निकनेट से जोड़ने हेतु आय-व्ययक में 36 लाख रुपये की व्यवस्था करायी गयी है ताकि केन्द्रों पर कम्प्युटराईजेशन तथा सेटेलाइट से औद्योगिक डेटा का आदान-प्रदान हो सके । उद्योग बन्धु के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के निदान हेतु 15 लाख रुपये की बजट व्यवस्था नई मांग के माध्यम से करायी जा रही है । औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्रों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता है । इनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हेतु इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जा रही है जिसके लिए नई मांग के माध्यम से 90 लाख रुपये आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश में इन्सपेक्टर राज को पूर्णतया समाप्त किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । अब बदली हुई स्थिति में इन्सपेक्टर का कार्य मात्र गलतियां निकालने तथा इनका उपयोग निर्माता को शोषण करने तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इन्सपेक्टर का यह कर्तव्य होगा कि निर्माता को कमियों के निराकरण के लिए समुचित सलाह दें तथा इनके निराकरण में अपना पूर्ण सहयोग देकर सक्रिय भूमिका निभायें ।

विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था कराने का निर्णय लिया है ताकि लघु उद्यमियों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त हो सके । लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी हेतु कम ब्याज

दर पर ऋण की व्यवस्था की गयी है ताकि धनाभाव के कारण इनके उत्पाद स्तर में किसी प्रकार की कमी न हो । उत्पादित सामग्रियों के प्रचार-प्रसार एवं बाजार के चयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष पर मेलों का आयोजन, प्रदर्शनियों के आयोजन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बल दिया गया है और आवश्यकता के अनुरूप बजट व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने हेतु "इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट अथारिटी" गठित करने का निर्णय लिया गया है और 50 करोड़ रुपये की धनराशि पेडअप कैपिटल के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें राज्यांश 10 करोड़ रुपये एवं नोयडा, पिकप तथा यू०पी०एस०आई०डी०सी० के माध्यम से अवशेष 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी । रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्वास के लिए फालतू कर्मियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कोष की भी स्थापना की जा रही है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।

साफ्टवेयर केन्द्र की स्थापना

वर्तमान युग की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा इन्फार्मेशन टेक्नालाजी को पूरा महत्व दिया जा रहा है ताकि हमारा प्रदेश विकास कार्यों के क्रियान्वयन में देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में अग्रणी रह सके । इसके लिए इन्फार्मेशन टेक्नालाजी निदेशालय के स्थापना का निर्णय लिया गया है । इसी योजना के अन्तर्गत आगरा, नोयडा, देहरादून एवं वाराणसी में "साफ्ट वेयर टेक्नालाजी पार्क" का निर्माण प्रस्तावित है तथा कानपुर एवं इलाहाबाद में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना भी प्रस्तावित है । आगरा एवं अलीगढ़ में विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा । आगरा को "इलेक्ट्रानिक नगर" के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रदेश को इन्फार्मेशन टेक्नालाजी का अग्रणी राज्य बनाया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त आई०आई०टी० कानपुर तथा जे० के० इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद में इन्फार्मेशन टेक्नालाजी की स्थापना हेतु रुपये 100 लाख, आगरा में इलेक्ट्रानिक शहर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तैयार करने के लिए रुपये 10 लाख तथा आगरा और अलीगढ़ शहरों में सघन कम्प्यूटर साक्षरता योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 20 लाख की बजट व्यवस्था है ।

नई मांगों के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण में पूछताछ कक्ष की स्थापना हेतु रुपये 10 लाख, सी०आई०बी० योजनान्तर्गत रुपये 25 लाख, मैदानी क्षेत्र में जनपद मुख्यालय पर खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी के आयोजन हेतु रुपये 48.75 लाख, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के "कारपस फण्ड" हेतु 125 लाख रुपये, औद्योगिक आस्थान सहकारी समिति के माध्यम से औद्योगिक आस्थान की अवस्थापना सुविधा के उच्चीकरण में उद्यमियों के सहभागिता हेतु प्रोत्साहन योजना के लिए रुपये 170 लाख तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट अथार्टी की स्थापना हेतु रुपये 10 करोड़ की नई मांग के माध्यम से की गयी है ।

युवा कल्याण

देश की युवा शक्ति हमारी राष्ट्रीय धरोहर है । प्रदेश में स्वस्थ युवा शक्ति का सृजन, खेलकूद के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़, मानसिक सोच, सांस्कृतिक बेहतरी एवं सद्भाव व भाईचारे की भावना उत्पन्न करने तथा अनुशासन से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है । युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के प्रान्तीय रक्षक दल तथा स्वैच्छिक महिला एवं युवक मंगल दल के उत्साही सदस्यों के माध्यम से समाज में अनुशासन एवं स्वयं सेवा की एक नई चेतना जगायी जा रही है ।

वर्ष 1998-99 में ग्रामीण खेलकूद, प्रतियोगिता, ग्रामीण स्टेडियम सह व्यायामशाला, ग्रामीण एवं शहरी व्यायामशालायें स्थापित करके उन्हें संचालित कराया जा रहा है । इसके लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में 194.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 20.82 लाख की धनराशि मात्राकृत की गयी है ।

महिला कल्याण

सरकारी भूमि का आवंटन पति और पत्नी के नाम से सामूहिक किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं । बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी अभिलेखों में पिता के नाम के साथ साथ मां का भी नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाने का प्राविधान किया जा रहा है । महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत 33 नई बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर चयन करने का फैसला लिया गया है । गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरे सप्ताह का पोषाहार एक ही दिन में दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है तथा संरक्षण गृहों में रहने वाली संवासिनियों को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि प्रदान की गयी है । निराश्रित विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं को परिचय पत्र दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत गत वर्ष के मुकाबले 1.18 लाख अधिक महिलायें लाभान्वित होगी । गुजारा भत्ता, हिंसा तथा तलाक संबंधी मामलों में महिला वादकारियों को न्यायालय के शुल्क से छूट देने पर विचार हो रहा है । बेसहारा विधवाओं तथा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन की सुविधा दिये जाने पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है । विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं को छात्रवृत्ति देकर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है । महिलाओं में सुरक्षा भावना पैदा करने के उद्देश्य से पी०ए०सी० की 3 कम्पनियां महिलाओं हेतु गठित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । महिला उद्यमियों को नये उद्यम चलाने के लिये ऋण की उदार नीतियों पर ऋण दिये जाने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त महिला उत्थान की अन्य योजनाओं पर भी शासन द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । ग्रामीण पंचायतों तथा निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने तथा विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु निर्णयों में बराबर की भागीदारी सौंपी गयी है ।

व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा में महिलाओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देने के लिये एक विशेष कार्य योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से चालू किये जाने का निश्चय किया गया है । जिसके कारण उन्हें छात्रवृत्ति देने का व्यवस्था है । ताकि मेधावी छात्रायें अधिक से अधिक संख्या में इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण कर सके । इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति मद में रुपये 20.32 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है ।

अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ

हमारी सरकार अल्पसंख्यकों का सर्वांगीण विकास कर उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु सतत् प्रयासरत है । इस समुदाय के कक्षा 1-10 तक के छात्र/छात्राओं के लिये छात्र वृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है । मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी, मदरसों में से 317 मदरसों को पहले ही अनुदान सूची पर लिया जा चुका है वजीफा प्राप्त करने के लिये आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है । प्राथमिक एवं 10 तक की कक्षाओं में दूनी दर पर वजीफे के भुगतान की व्यवस्था लागू की गयी है । अल्पसंख्यक युवक युवतियों को परीक्षा पूर्व कोचिंग देकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने हेतु कारगर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है । अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाये गये 15 सूत्रीय कार्यक्रम का सजगता से

कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा इस समुदाय की समस्याओं के प्रभावशाली ढंग से शीघ्र निदान के लिये प्रशासनिक मशीनरी को संवेदनशील बनाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश के 4 नगरों में अल्प संख्यक वर्ग के छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

शिया और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बार्डों में लोकतांत्रिकव्यवस्था लागू करने के लिये दोनों बोर्डों में गठन की प्रक्रिया जारी है। यथाशीघ्र दोनों वक्फ बोर्डों का गठन सुनिश्चित कर दिया जायेगा। वक्फ बोर्डों की आय बढ़ाने की दृष्टि से उनकी सम्पत्तियां रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से मुक्त कर दी गयी है। हज समिति के बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है तथा राज्य हज समिति के पुनर्गठन का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस सूची का प्रकाशन यथाशीघ्र सम्भावित है। कक्षा 1 से 5 तक के मदरसों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तथा शिया सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को 38 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

कमजोर व निर्धन वर्ग कल्याण

प्रदेश के पिछड़े वर्गों की विकास योजनाओं को त्वरित गति से संचालित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्धारित नीतियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप वर्ष 1995-96 में पृथक रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा निदेशालय का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा, प्रमुख रूप से प्रदेश के पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्वदशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, का क्रियान्वयन सीमित संसाधनों के अन्तर्गत किया जा रहा है और इस वर्ग को अधिकाधिक लाभान्वित करने हेतु अनेकानेक योजनायें संचालित करने का प्रस्ताव है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति की दरों को गत वित्तीय वर्ष 1997-98 में पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा गत वर्ष में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष छात्रवृत्ति की निर्धारित छात्र संख्या को शिथिल कर लाभान्वित भी किया गया है। पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति भी वितरित की जाती है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा पिछड़ी जातियों के समग्र विकास तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु "मार्जिन मनी ऋण योजना" तथा "टर्मलोन योजना" का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 6659 व्यक्तियों को विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना हेतु 1615.58 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्ष 1998-99 के लिये 4,000 पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना हेतु 1602.73 लाख का ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

विकलांग कल्याण

विकलांग जनों के सर्वांगीण विकास के लिये शासन कृतसंकल्प है। विकलांगों के सर्वांगीण विकास एवं उनके समन्वय तथा अधिकारों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजना के समन्वय और विकलांग व्यक्तियों के समस्याओं के समाधान हेतु "आयुक्त, विकलांग जन" की नियुक्ति करने का निर्णय ले लिया गया है इस कार्यालय के लिए रुपये 8.50 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है। दक्ष विकलांग व्यक्तियों व कर्मचारियों को समुचित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने पर नीति विषयक निर्णय लिया जा रहा है तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाले विकलांग व्यक्तियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने की भी योजना विचाराधीन है। विकलांगों को समाज में पूरी भागीदारी एवं समानता का अवसर दिलाने हेतु, राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है तथा विकलांग जनों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान कर दी गयी है। किसी विकलांग नवयुवक व नवयुवती से विवाह

करने वाले को 11,000 रुपये पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है । दृष्टि बाधित छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिये प्रदेश सरकार द्वारा टाक बुक स्टूडियो एवं ट्रांसपरेशन यूनिट की स्थापना का निर्णय शासन के विचाराधीन है । कक्षा से 8 तक विकलांग बच्चों, विकलांग अभिभावकों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति की दर को दुगनी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील दिवसों में कैम्प लगाकर विकलांग पेंशन वितरण की व्यवस्था की गयी है । विकलांगों की सुविधा की दृष्टि से बैंकों डाकघरों से भी विकलांग पेंशन वितरण की व्यवस्था लागू है ।

शिक्षा

मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि शिक्षा का विस्तार किये बिना प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव नहीं है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु "सभी के लिये शिक्षा" कार्यक्रम चलाया जा रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हाई स्कूल के लिये परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण किया गया हैं । हम नकल मुक्त परीक्षा के लिये पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं । नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा नकल विरोध विधान की व्यवस्था हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने, आकर्षक विद्यालयों की स्थापना, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था, विद्यालय सुधार में समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से "कल्प योजना" को वर्ष 1998-99 से प्रारम्भ करने का विचार है । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षासंबंधी 7 मुख्य बिन्दु यथा-विद्यालय, छात्र, शिक्षक, परिवार, समाज, प्रतिस्पर्धात्मक प्रसार एवं प्रशासनिक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोकर शिक्षा संबंधी मुख्य उद्देश्य यथा-पहुंच, नामांकन, ठहराव, पूर्ण एवं सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने की योजना है । प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु रुपये 15 करोड़ की बजट की व्यवस्था इस वर्ष की गयी है । सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रुपये 550 लाख की बजट व्यवस्था से इस वर्ष कम्प्यूटर शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

प्रदेश के समस्त अवशेष अवेसित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेजों की स्थापना पर इस वर्ष विशेष बल दिया गया है जिसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है ।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है । साथ ही अन्तर विश्वविद्यालय यूथफेस्टिवल, विश्वविद्यालयों में सेमिनार/गोष्ठियों का आयोजन एवं अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 230 लाख की व्यवस्था नई मांगों के माध्यम से की गयी है ।

प्राविधिक शिक्षा हेतु डिग्री डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में छात्रों के प्रवेश के लिये निर्धारित आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है । प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अन्य अधिकारियों को भी साक्षरता का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । अनौपचारिक परियोजना अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा के मंडलीय सहायक निदेशक को विशेष रूप से इस अभियान से सम्बद्ध किया गया है । प्रदेश के 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 12 व्यवसायों का अल्पकालीन स्वतः रोजगार परक व्यवसाय प्रशिक्षण महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिये रुपये 72.87 लाख तथा प्रदेश के 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन रोजगार परक व्यवसाय खोले जाने के लिये 30.30 लाख की नई मांग का समावेश वर्तमान बजट में नई मांग के माध्यम से किया गया है ।

निजी क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट आदि स्थापित करने की योजना को उदार एवं प्रोत्साहनपरक बनाया जायेगा ।

स्वास्थ्य

"वर्ष 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य" की राष्ट्र नीति के अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है जिसके अन्तर्गत चिकित्साधिकारी साधारण ग्रेड के 500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां सम्पन्न कर ली गई है तथा चिकित्साधिकारी के 1692 रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने का प्रयास हस्तगत है । प्रमुख रिक्तियों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा आधार भूत न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत 9095 करोड़ रुपये की स्वीकृति सितम्बर, 1997 से मई, 1998 तक दी जा चुकी है । मई, 1998 तक 124 संयुक्त निदेशक, 27 अपर निदेशक तथा 9 निदेशक के पदों पर प्रोन्नतियां प्रदान कर दी गयी है । महानिदेशक के तीनों पदों पर नियमित नियुक्तियां सम्पन्न हो गयी है ।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ एवं प्रभावी किया गया है । जिसके अन्तर्गत चिकित्सालयों में चिकित्सकों की समय से एवं पूरे समय तक उपलब्धता, स्वच्छता के स्तर को ऊंचा उठाने, भवनों का रखरखाव एवं उपकरणों को कार्यशील रखना, औषधियों की उपलब्धता, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाना, चिकित्सालयों में कर्मचारियों/चिकित्सकों को निर्धारित वेश में रहने व नाम तथा पदनाम की पट्टिकायें धारण करने, मुख्य स्थान पर ड्यूटी वाले कर्मचारियों के नामों की सूचना अंकित करने तथा आउट डोर में दी जाने वाली औषधियों की सूची लगाना एवं विभागीय निष्प्रयोज्य सामग्री का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

वर्ष 1998-99 में दुर्घटना ट्रामा यूनिटों की स्थापना, 3 नवसृजित जनपदों में जिला अस्पताल की स्थापना/भवन निर्माण, नवसृजित जनपदों में टी० बी० क्लीनिकों की स्थापना, द्वितीय स्तर अस्पतालों हेतु प्राविधान, बरेली, बदायूं तथा फैजाबाद में अस्पताल भवनों का निर्माण, राज्य रक्त कोष का सुदृढ़ीकरण आदि योजनाओं हेतु वाह्य सहायता प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये आवश्यकता प्रोजेक्ट तैयार कर अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु निर्देश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव प्रदेश के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आदि भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जा रहे हैं । स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर प्रदेश व्यापी अभियान में 56,295 मोतियाबिन्द ग्रसित व्यक्तियों की आंखों का आपरेशन किया गया तथा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये गये अभियान में लगभग 1 लाख कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया गया जिन्हें नियमित उपचार किये जाने हेतु व्यवस्था कर दी गयी है ।

एलोपैथिक चिकित्सा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी एवं होम्योपैथिक सेवाओं के विस्तार पर भी वर्तमान बजट में धनराशियां व्यवस्थित की गयी है ताकि कम आय वाले रोगियों को सस्ती चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके । शिक्षित बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सकों को निजी क्लीनिक स्थापित करने के लिये अनुदान देने का भी प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा का सुदृढ़ीकरण तथा राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु भी धन की व्यवस्था बजट में की गयी है । वनौषधि केन्द्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है । विलुप्त होते जा रहे जड़ी बूटियों के संग्रह और उनके उत्पादन हेतु सार्थक कदम उठाये जा सके ।

समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये सखी योजना प्रस्तावित है । वर्ष 1998-99 में नगरीय क्षेत्रों में 112 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है । 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना भी इसी वर्ष की जायेगी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मातृ शिशु कल्याण सेवायें सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रों में 222, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में । तथा सामान्य क्षेत्र में 93 कुल 314 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । इनके अतिरिक्त 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण भी इसी वर्ष सम्पन्न कराया जायेगा ।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु स्वनिर्धारित लक्ष्य के आधार पर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुये परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्ण स्वैच्छिक रूप में जन आन्दोलन का रूप दिये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । इस योजना में प्रजनन तंत्र संक्रमण तथा रति रोगों को भी सम्मिलित किया जायेगा ।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा स्तर में सुधार लाने हेंतु मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी । जिससे प्रदेश में कार्यरत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा । इसके लिये 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था वर्तमान वर्ष में की गयी है ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें स्वायत्तशासी संस्थाओं में परिवर्तित करने हेतु विचार किया जा रहा है । परिणामस्वरूप इनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी । प्रदेश में कार्यरत मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बजट में लगभग 7 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की जा रही है । इसके अन्तर्गत मेडिकल कालेजों में उपकरणों का क्रय व निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजन हेतु निकालने, उनके भण्डारण, प्रतिरोपण आदि पर अंकुश एवं प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश मानव अंग प्रतिरोपण अध्यादेश 1998" प्रख्यापित किया जा रहा है ताकि मानव अंगों की बिक्री में वाणिज्यिक व्यवहार की प्रवृत्ति पर अंकुश रखा जा सके एवं प्रतिबंध लग सके ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवनों हेतु रुपये 521.43 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों के निर्माण हेतु रुपये 829.17 लाख, अनुसूचित जाति क्षेत्र में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों (ग्रामीण क्षेत्र) के भवनों के निर्माण के लिए रुपये 588.18 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत सखी प्रशिक्षण योजना "स्वास्थ्य सखी योजना" के लिये रुपये 90 लाख की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई है ।

सरकारी अस्पतालों में निजी क्षेत्र द्वारा उपकरण लगाने की योजना भी प्रारम्भ की जायेगी ।

ग्रामीण एवं शहरी निकाय

लगभग 60,000 ग्रामीण निकायों तथा 683 नगरीय निकायों को स्वावलम्बी, स्वायत्त व वित्तीय साधनों से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संविधान के अन्तर्गत गठित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पहली बार लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है । करों से होने वाली सम्पूर्ण राजकीय आय की 11 प्रतिशत धनराशि सीधे ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को देने का निर्णय भी ले लिया गया है । इसमें से ग्रामीण निकायों के लिये 7 प्रतिशत राजकीय आय सीधे उन्हें दिये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं । विभिन्न ग्रामीण और नगरीय निकायों को धनराशि का पारस्परिक विभाजन 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय निकायों को अनुदान की अनिश्चितता समाप्त हो गयी है और इस नई नीति से पक्षपात भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है । इस व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण निकायों को परिलब्धियां पहली

की तुलना में 13 गुना अधिक हो गयी है । भविष्य में जैसे-जैसे राज्य सरकार की आय बढ़ेगी वैसे-वैसे ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के आय में भी सम्भावित वृद्धि होती जायेगी । स्वच्छता सप्ताह के दौरान प्रत्येक विकास खण्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा संबंधित प्रभारी अधिकारियों को प्रसस्ति पत्र एवं ग्रामीण पंचायतों को 35,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्रामीण एवं शहरी निकायों को कुल 825 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिसमें से 525 करोड़ रुपये शहरी निकायों को तथा शेष 300 करोड़ रुपये ग्रामीण निकायों को उपलब्ध हो सकेगा । इस धनराशि से ग्रामीण एवं शहरी निकाय अपने से संबंधित विकास कार्यों का क्रियान्वयन स्वयं कर सकेंगे । पहली बार राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से रुपये 20 करोड़ के रिवाल्विंग फण्ड से एक निधि की स्थापना की जा रही है । जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग अपने से संबंधित विकास कार्यों हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था कर सकेंगे ।

स्थिरता लाने के लिये जिला पंचायत के लिये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख तथा ग्राम पंचायत के प्रधान/उप प्रधान को हटाने की व्यवस्था हेतु व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं । अब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिये कम से कम 2 तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक है तथा यह प्रस्ताव 2 वर्ष के उपरान्त ही लाया जा सकता है । शासन का जनता के द्वार तक पहुंचाने के हेतु न्याय पंचायतों का पुनर्गठन कर पंचों/सरपंचों तथा सहायक सरपंचों का निर्वाचन शीघ्र कराये जाने का निर्णय लिया गया है । गांवों में स्वच्छता बनाये रखने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों की नालियों का ढलान ताबाल की ओर किये जाने का निर्णय भी लिया गया है ।

आवास

नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास तथा नगरीय जनसंख्या को आवास की सुविधा मुहैया कराना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये शहरी आवास नीति के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की आवासीय समस्या के समाधान में निजी एवं सहकारी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति विकसित की गयी है ।

समाज को भू-माफियाओं के प्रभाव से मुक्त कराने के लिये प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये 14,000 तथा अल्प आय वर्ग के लिये 1,296 भवन निर्मित किये गये । शहर के घने बसे क्षेत्रों में डेरियों की स्थापना से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं यातायात समस्याओं के निदान हेतु शहर के बाहर कैटिल कालोनी बनाकर मवेशियों को स्थानान्तरित करने की योजना बनायी गयी है ।

विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये रुपये 10 करोड़ की वर्तमान वित्तीय वर्ष में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित किया गया है ।

सबके लिये आवास योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

1–आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये आवासीय योजना

शहर के निर्धनतम वर्ग के ऐसे लोगों के लिये जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है को 5,10 व 15 रुपये प्रतिदिन की दर से आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है । यह योजना गत वर्ष से लागू है परन्तु अभी तक 11 नगर निगम वाले शहरों में ही लागू थी । इस वर्ष इस प्रदेश के सभी 24 नगरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जा रहा है तथा प्रदेश में 40,000 आश्रय उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

इस योजना के निर्माण कार्य पर लगभग 160 करोड़ रुपये का निवेश होगा जो उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । इस हेतु सहकारी आवास संघ को 10 करोड़ रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी । जिससे वे आवश्यक संसाधन ऐपेक्स वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर सके ।

2–भाऊराव देवरस आवासीय योजना

शहरों में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो लघु आय वर्ग तथा मध्यम वर्ग के बीच का है यह वर्ग लगभग 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक के आवास की अपेक्षा करता है । वर्तमान में इस श्रेणी के लिये किसी प्रकार की आवास की व्यवस्था प्राधिकरण नहीं कर रहे हैं । पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर यह योजना प्राधिकरण सेवित नगरों में लागू की जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत 20,000 आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

पर्यटन विकास

उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है । इस प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल तीर्थ यात्रियों के लिये एवं पर्यटकों को सदा आकर्षित करते रहे हैं । पर्यटन का सदैव भावात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इस उद्देश्य से पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 53 आवासीय इकाईयों में 1555 शैय्यायें, कुमाऊं क्षेत्र में 46 आवासीय इकाईयों में 1318 शैय्यायें, गढ़वाल मण्डल में 78 आवासीय इकाईयों में 3916 शैय्यायें उपलब्ध करायी जा चुकी है । प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई मांगों के माध्यम से लगभग 16 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है तथा वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा और मथुरा में पर्यटन विकास हेतु विशेष बल प्रदान किया जा रहा है । ताज नेशनल पार्क परियोजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है ।

प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु ओ० ई० सी० एफ० की सहायता से बौद्ध परिपथ के विकास की वृहत योजना क्रियान्वित की गयी है जिसके अन्तर्गत राज मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण, कुशीनगर में जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण, कुशीनगर एवं सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग का कार्य तथा दौहरी घाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से मथुरा में पर्यटक स्वागत केन्द्र वाराणसी में पर्यटन काम्पलेक्स, पटना पक्षी बिहार, एटा में पर्यटक सेवायें, पलिया खीरी में पर्यटन काम्पलेक्स, कुशीनगर तथा आगरा में विजिटर सेन्टर काम्पलेक्स निर्माण तथा कपिलवस्तु (पिपरहवा) में लैण्ड स्केपिंग एवं सौन्दर्यीकरण की योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है ।

प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की सम्भावनायें वृहद हैं । पर्यटन के वर्तमान परम्परागत केन्द्रों में पर्यटकों की बढ़ती हुयी संख्या में सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में नगरों और ग्रामों तक भ्रमण कराने हेतु विकास की विशाल योजना बनाने के लिये स्थलों का सर्वेक्षण प्रस्तावित है ।

नगर विकास

देश की नगर पालिका/परिषदों तथा नगर निगमों के कार्य में सुधार लाने का सघन प्रयास किया जा रहा है । विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जनता के सुझावों को दृष्टि में रखने की सकारात्मक नीति अपनाई गयी है ।

तहबाजारी के ठेकों में भाग लेने वाले ठेकेदारों के चरित्र-सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य कर ली गई है । अपराधी एवं संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को ठेके न देने का निर्णय लिया गया है । सरकारी जमीन

को अतिक्रमण से मुक्त कराने का सघन अभियान संचालित है । वर्ष के अन्त तक अवैध कब्जेदारों से लगभग 500 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराने की दिशा में कारगर प्रयास किये जायेंगे ।

लखनऊ में हैदरकैनाल पर सड़क तथा उसके किनारे आवासीय एवं व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है । 110 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ के सौन्दर्यीकरण की बहुआयामी योजना का ब्लू प्रिन्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत मार्ग सुधार, सेतु निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, प्रदूषण मुक्ति तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बुनियादी कार्य करने की ऐतिहासिक पहल की जायेगी । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 4.91 एकड़ क्षेत्रफल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महिला महाविद्यालय का निर्माण अलीगंज, लखनऊ में प्रारम्भ कर दिया गया है ।

नगर पालिका तथा नगर निगमों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु 14 करोड़ रुपये अवमुक्त किये गये हैं । 5 नये नगरों को नागर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है ।

हाउस टैक्स आदि के लिये स्वतः कर निर्धारण योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

श्रम

हमारी सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है । श्रमिकों की कार्यदशाओं, सुविधाओं, स्तरों एवं रहन-सहन की दशा में सुधार हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं । बाल श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । महिला श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रगति हित लाभ सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी परिवर्तन कराया जा रहा है । खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की देयता सुनिश्चित कराने हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा । इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्तन दल का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण इस वित्तीय वर्ष में 315 बन्धुआ मजदूरों को चिन्हित कर उनके पुनर्वासन का कार्य प्रस्तावित है ।

शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार रोजगारपरक प्रशिक्षण देने हेतु प्रदेश में इस समय 245 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है । इनके माध्यम से बेरोजगार शिक्षित नवयुवक एवं नवयुवतियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर उद्योग, रोजगार एवं स्वतः रोजगार के लिये प्रशिक्षित किया जाता है । औद्योगिक कारीगरों को सुनियोजित विधि से प्रशिक्षित करके औद्योगिक उत्पादकता के विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है । प्रदेश में कार्यरत 98 सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन संबंधी सहायता उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 1998-99 में नव सृजित जनपदों में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 11 सेवायोजन कार्यालयों का खोला जाना आदि प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 11 संस्थानों में अल्प कालीन स्वतः रोजगार परक व्यवसायों का खोला जाना तथा 25 संस्थानों में महिलाओं के उत्थान हेतु 12 विभिन्न अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायों का खोला जाना प्रस्तावित है ।

वन एवं पर्यावरण

वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है । पर्यावरण का संतुलन और स्थिरता जल एवं भूमि संरक्षण, बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिये वनों की प्रभावी भूमिका है । अतः उन्हें ध्यान में रख पर्यावरणीय स्थिरता को बनाये रखने, परिस्थितिकीय संतुलन को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा प्राणिजात के विविध प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए शासन बचनबद्ध है । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वनों के संवर्द्धन एवं विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत सहभागिता के आधार पर वृक्षों एवं वनों से

आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी । वृक्षों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सड़कों, मार्गों एवं नहर-पटरियों के किनारे पंक्तियों में फल एवं छाया दार वृक्ष सामान्य जन की सहभागिता से लगाने की नई योजना "पेड़ लगाओ रोजी कमाओ" को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सड़कों, नहरों तथा रेलवे के किनारे पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण में अन्तिम पंक्ति से सटे हुये क्षेत्र के भू-स्वामी को उसके खेत के सम्मुख पंक्तियों में लगे वृक्षों के देखभाल का उत्तरदायित्व दिया जायेगा जिसके एवज में उन्हें खेत से सटे अन्तिम पंक्ति के वृक्षों के सभी उत्पाद के उपभोग का अधिकार दिया जायेगा ।

वनों से होने वाले लाभ एवं उनके महत्व के संबंध में जन जागृति के लिये 100 वन चेतना केन्द्रों व बाल उद्यान की स्थापना की जा रही है । आगरा जनपद में कबिरल. पं० सत्यनारायण ताज नेचर वाक की स्थापना की गयी है । वानिकी के माध्यम से 10,000 ग्राम–वासियों को रोजगार देने की योजना भी आरम्भ कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त औषधि, जड़ी-बूटियों तथा वृक्ष प्रजातियों को पेटेन्ट कराये जाने की कार्यवाही भी प्रस्तावित है ।

स्वस्थ पर्यावरण हमारा लक्ष्य है । इस हेतु पर्यावरण ह्रास नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रभाव, मूल्यांकन एवं पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करना हमारी नीति का प्रमुख अंग है । जल–प्रदूषण एवं वायु–प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र लगाना सभी उद्योगों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा एक्शन–प्लान के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि नये स्थापित हो रहे उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही स्थापना की अनुमति दी जाय ।

नागरिक आपूर्ति

प्रदेश की जनता को उचित गुणवत्ता की खाद्य एवं आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है । 79,000 उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को गेहूं, चावल, चीनी तथा मिट्टी का तेल बाजार भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है । विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रति परिवार को 10 किलो खाद्यान्न लगभग आधे मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करते हुये प्रत्येक परिवार को बुकलेट फार्म में नया राशन कार्य उपलब्ध कराया जायेगा । नये राशन कार्ड के मुद्रण का दायित्व जिलाधिकारियों को सौंपा गया है जिन्हें इस कार्य हेतु 3 लाख रुपये का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया है ।

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये राज्य में लेवी योजना के अन्तर्गत चावल क्रय तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत 10 लाख टन चावल क्रय तथा 20 लाख टन गेहूं क्रय का लक्ष्य रखा गया है ।

उत्तरांचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये तथा पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार की सहायता से 460.50 लाख रुपये से 43 गोदामों का निर्माण कराया जायेगा ।

राजस्व प्रशासन

वर्तमान शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व प्रशासन संवेदनशील, निष्पक्ष जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कृत संकल्प है । अविवादित विरासत के मामलों का त्वरित निस्तारण करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया तथा मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये गये । विशेष अभियान चलाकर 2.17 करोड़ किसानों को किसान बहियों का वितरण किया गया । 1.50 लाख पात्र व्यक्तियों को 1.25 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया गया । कुम्हारी कला हेतु 3656 स्थल तथा मछुआ समुदाय को मत्स्य पालन हेतु 5466 हैक्टेयर तालाबी

क्षेत्र के पट्टे किये गये । 1,05,541 पात्र परिवारों को आवास स्थल आवंटित किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित 6233 एकड़ भूमि व्यक्तियों को आवंटित की गयी है ।

शासन द्वारा आवंटित की गयी भूमि के पट्टेदारों का कब्जा सुनिश्चित किया जायेगा और उसके लिये नवीन व्यवस्था शीघ्र ही बनायी जायेगी । शासन के निर्णय के अनुसार 1998-99 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक ग्राम को "वाद रहित" बनाया जायेगा ।

वर्ष 1998-99 के लिये दैवी आपदा राहत निधि के लिये दशम वित्त आयोग की संस्तुतियों में 138.76 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था संस्तुत की गयी है । प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में राजस्व प्रशासन को और सुदृढ़ करने हेतु आय-व्ययक में 7.95 करोड़ रुपये की नई मांगें स्वीकृत की गयी है ।

गांवों में चकरोड से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाया जा रहा है ।

कला एवं संस्कृति

संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के गौरवमयी सांस्कृतिक धरोहर एवं परम्पराओं के संरक्षण तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास की दिशा में अपनी विभिन्न इकाईयों एवं योजनाओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

संस्कृति निदेशालय कला एवं संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने तथा इसके उन्नयन एवं विकास के लिये विभिन्न रूपों से प्रोत्साहन देते हुये कलाकारों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कराता है । इन योजनाओं के अन्तर्गत उभरते हुये प्रतिभाशाली युवक-युवतियों को छात्रवृत्तियां, वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धावस्था पेंशन तथा अपेताओं का अध्ययनवृत्तियां प्रदान की जाती है । प्रदेश के 11 राजकीय संग्रहालयों में कला कृतियों का संग्रह, संरक्षण एवं प्रदर्शन किया जाता है । मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है ।

पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, ब्रज तथा अवध के लिये लोक नृत्य, लोक संगीत तथा लोक संस्कृति के प्रोत्साहन के लिये रुपये 20 लाख की बजट व्यवस्था इस वर्ष नई मांग के माध्यम से की गयी है ताकि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का समुचित रख-रखाव कर सके ।

उत्तर प्रदेश में बहुत से कलाकार, कवि, लेखक, नाटककार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और पत्रकार पैदा हुये हैं जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है । इनको सम्मानित करने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक विशेष उत्तर प्रदेश सम्मान के द्वारा उनको गौरवान्वित कराया जायगा ।

सार्वजनिक उद्यम

इस शताब्दी के अन्तिम दशक में भारतीय आर्थिक परिवेश में आमूल परिवर्तन हुये हैं और यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है । इस बदलाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य की सार्थकता, भूमिका एवं भविष्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो गई है । प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विशेष रूप से प्रभावित हुये हैं क्योंकि अधिकांश उद्यम ऐसे क्षेत्रों एवं कार्य-कलापों में लगे हैं जिनकी प्रकृति पूर्णतः वाणिज्यिक नहीं है और यह सामाजिक उपादेयता की श्रेणी में आते हैं । वर्तमान में कार्यरत 50 उद्यम प्रदेश के औद्योगिक विकास, कृषि उत्पादन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभा रहे हैं जिसके कारण इनका व्यावसायिक मानकों के आधार पर मूल्यांकन भी सभी वर्षों के लिये चुनौती है ।

वर्ष 1996–97 के अन्त तक इन उद्यमों में राज्य सरकार का लगभग 14,000 करोड़ रुपया विनियोजित है । इस पूंजी पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना, पुनर्गठन एवं पुनर्वासन पर विचार किया जा रहा है । इस नीति के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि शासकीय एजेन्सियों की भूमिका को ऐसे कार्य कलापों एवं क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाय जहां पर शासकीय हस्तक्षेप अनिवार्य है । ऐसे क्षेत्र एवं कार्य कलाप जहां पर निजी क्षेत्र द्वारा अधिक दक्षता से कार्य संपादन किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया जा रहा है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में उत्पादन में संवंधित समस्त संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु भी नीतिगत निर्णय लिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

न्याय प्रशासन

अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यक्षमता हमें वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में स्थित समस्त जिला न्यायालयों का आधुनिकीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत कुल 63 जनपदीय न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु 300.00 लाख रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं । उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998–99 में 13 नवसृजित जनपदीय न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु 61.88 लाख रुपये स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश के जनपदों में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित सत्र परीक्षण, फौजदारी, अपीलें एवं पुनरीक्षण वाद तथा दीवानी प्रकृति के उच्च आर्थिक क्षेत्राधिकारिता से संवंधित वादों तथा अपीलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में नये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है । प्रदेश में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 25 न्यायालयों की स्थापना के लिये रुपये 146.87 लाख और चार नव-सृजित जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिये रुपये 119.44 लाख का बजट प्राविधान नई मांग के माध्यम से किया गया है ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जा रहे न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में राज्यांश के रूप में क्रमशः 500 लाख एवं 400 लाख रुपये स्वीकृत कराये जाने का प्रस्ताव है ।

राजकीय कर्मचारी

यह देश का पहला प्रदेश है जिसमें पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1998 से केन्द्र के समान वेतनमान लागू किया गया है जिससे लगभग 9 लाख राजकीय कर्मचारी तथा 3 लाख पेंशनर लाभान्वित हुये हैं । वेतन समिति की संस्तुतिओं से आगे जाकर एरियर के 20 प्रतिशत का नकद भुगतान भी किया गया है । वेतन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप ग्रेच्युटी, पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन में आकर्षक वृद्धि की गयी है । पेंशन में 40 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गयी है । पेंशन के राशिकरण की सीमा एक तिहायी से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को आवास निर्माण/मरम्मत, वाहन क्रय तथा कम्प्यूटर क्रय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा की गयी धनराशि की सीमा में वृद्धि के अनुरूप ऋण सहायता की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जिस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण/वाहन अग्रिम अत्यन्त सीमित मात्रा में राज्य के अपने वित्तीय संसाधनों से उपलब्ध करायी जा रही है । सरकार राजकीय कर्मचारियों को व्यापक रूप से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना की विचार कर रही है ।

स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले बीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव और सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन एवं अनुदान की योजना चलाई गयी थी । राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा सुविधा एक सहचर सहित प्रदान की गयी है । प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लखनऊ प्रवास के दौरान उनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवासदन स्थापित किया गया है । स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले एवं विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न शहीद स्थलों पर स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है । इनके पेंशन प्रकरणों को समय बद्ध ढ़ंग से निस्तारित किये जाने के संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है । उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि सेनानियों की प्रार्थना पत्र की प्राप्ति अवश्य स्वीकार की जाय ।

प्रदेश में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को कल्याण एवं पुनर्वास के लिये वर्ष 1998–99 में 13.65 करोड़ रुपये का प्राविधान है । गत वर्ष 2242 भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान की गयी तथा 511 वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को 9.89 लाख रुपये का अनुदान दिया गया । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्स फोर्स सहायता संस्थान तथा उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास संस्थान के माध्यम से भी कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदेश में रहनेवाले सैनिकों को अथवा उनके आश्रितों को अनुदान/अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है ।

व्यापारी वर्ग को सुविधायें

मेरी सरकार का दृढ़ मत है कि जहां एक ओर उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवक्ता की आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो वही दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि दुकानदारों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों का उत्पीड़न न हो । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों में सजा के नगण्य प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध अध्यादेश 1997 की धारा 3 व 7 के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित रैखने का निर्णय लिया गया है ताकि अधिनियम के दुरुपयोग दुकानदारों, व्यवसायियों और व्यापारियों का उत्पीड़न न हो सके । हमारी सरकार द्वारा मंडी शुल्क को वसूल किये जाने हेतु बहु प्रणाली के स्थान पर एकल स्तरीय प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है । जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके । शुल्क अपवंचन को रोका जा सके और राजस्व में वृद्धि हो । व्यापारकर में व्यापक सरलीकरण के कारण गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम पांच महीनों में व्यापारकर राजस्व में लगभग 7.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत कराने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ।

परम्परागत कार्य/उद्योगों में लगे दक्ष कारीगरों को सुविधायें

विभिन्न परम्परागत कार्यों में लगे व्यक्ति जैसे बुनकर, कुम्हार, मधुवारे, कारपेन्टर, लोहार, चर्मकार आदि के लिये विकास परिषद् की स्थापना पर हमारी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और इस संबंध में निर्णय यथाशीघ्र ले लिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त ट्राइसम योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर स्वतः रोजगार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें टूल किट्स निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं । डवाकरा योजना के अन्तर्गत महिलाओं का समूह गठित करके उन्हें व्यवसाय में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जा रहा है जिसमें मुख्यतः हैन्डीक्राफ्ट,

चिकन/जरी आदि के कार्य किये जाते है। उन्नत टूल किट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्पकारों की आय में वृद्धि कर उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तथा शिल्पकारों का समय और शक्ति बचाकर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जाता है यह योजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना है। वर्ष 1997-98 में इस योजना के अन्तर्गत 33,444 लाभार्थियों को टूल किट्स वितरित किये गये है।

खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की देयता सुनिश्चित कराने की न्यूनतम वेतन अधिनियम का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्तन दल का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। महिला खेतिहर मजदूरों को भी पुरुष खेतिहर मजदूरों की भांति ही बराबर मजदूरी दिलाये जाने हेतु श्रम प्रवर्तन दल द्वारा सार्थक प्रयास किया जायेगा। बन्धुआ मजदूरों को चिन्हित कर उनके पुनर्वासन का कार्य भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 315 बन्धुआ मजदूरों को चिन्हित कर उनके पुनर्वासन का कार्य सम्पादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

खेतिहर मजदूरों को वर्ष पर्यन्त कार्य उपलब्ध होता रहे इस उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत इस समय जब गांव में खेती का कार्य नहीं रहता है तब उन्हें अस्थाई परिसम्पत्ति के सृजन यथा-सड़क निर्माण आदि कार्यों पर नियोजित करके रोजगार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

समाज के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो भी राज्य कर्मचारी थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन में 40 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गयी है। 65 वर्ष की आयु से अधिक समाज के निराश्रित वृद्धों एवं महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा रही है। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन की सीमा में प्रतिमाह लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। रूग्ण वृद्धों एवं विकलांगों के इलाज हेतु जाने पर एक अटेन्डेन्ट के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

पत्रकार वर्ग को सुविधायें

हमारी सरकार का प्रयास है कि सच्चे लोकतंत्र के निर्माण और दबे कुचले लोगों के अधिक प्रभावी ढंग से सेवा हेतु प्रेस पूंजी के शिकंजे से मुक्त होकर वास्तव में स्वतंत्र चेतना का माध्यम बने।

पत्रकारों की समस्याओं के बारे में सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। श्रमजीवी पत्रकारों से संबंधित विवादों को शीघ्र हल के लिये श्रम विभाग में एक पृथक कोष्ठक तथा सभी समाचार पत्रों के लिये समान स्थाई आदेश का प्रारूप करने का निर्देश दे दिया गया है।

पूर्ण कालिक श्रमजीवी पत्रकारों की वर्तमान पेंशन राशि को दुगनी करने, डेस्क पर कार्य करने वाले पत्रकारों को समाचार संकलन हेतु मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है।

रिक्शा चालक वर्ग के लिये योजना

रिक्शा चालकों का रिक्शा मालिकों के द्वारा शोषण समाप्त किये जाने के उद्देश्य से "ओन योर रिक्शा स्कीम" योजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत राज्य नागर विकास अभिकरण के द्वारा

रिक्शा क्रय करने के लिये आवश्यक धनराशि ऋण के रूप में कम ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जा रही है और इस ऋण की वसूली सरल दैनिक किस्तों में की जायेगी ताकि रिक्शा चालक को किश्त अदा करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । ऋण की अदायगी के बाद रिक्शा चालक स्वयं रिक्शा का स्वामी बन जायेगा ।

हरिद्वार कुम्भ 1998

कुम्भ मेला 1998 में शासन द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिससे वहां आने वाले लगभग 2 करोड़ तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सुविधायें मिलीं और वे सुरक्षित एवं मधुर स्मृति के साथ मेले से सन्तुष्ट होकर वापस लौटे ।

इस कुम्भ मेले में 61 करोड़ रुपये की स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित की गयी हैं, जिनमें 4 स्थायी पुल, 240 किलोमीटर सड़क, 1200 मीटर नये पक्के घाट, 20 ट्यूबवेल, 14 किलोमीटर सीवर लाईन तथा 4 विद्युत उपकेन्द्र सम्मिलित हैं ।

मेले की सुरक्षा व्यवस्था भीड़ प्रबन्ध की व्यापक व्यवस्था की गयी थी और इसके लिये "मिनट प्रति मिनट" का विस्तृत प्लान बनाया गया था ।

कुम्भ मेले के कार्यों की उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी थी । किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त जहां गुणवत्ता में कमी पायी गई है उन मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । गुणवत्ता में पायी जाने वाली शिकायतों की जांच रुड़की विश्वविद्यालय की टीम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

इलाहाबाद कुम्भ 2201 के लिये दीर्घ अवधि में पूर्ण होने वाले कार्यों के संबंध में कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

उत्तरांचल विकास

हमारी सरकार प्रदेश के पर्वतीय एवं उत्तरांचल क्षेत्र के समग्र विकास के लिये विशेष रूप से प्रयासरत है । वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में सड़कें, पुल, पेयजल व्यवस्था, सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जवाहर रोजगार/सुनिश्चित रोजगार योजना, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक एवं महिला कल्याण हेतु लगभग 527 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है ।

उत्तरांचल की विशेष क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये चालू योजनाओं के साथ 162 नई योजनाओं को भी 1998-99 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है जिस पर 148.84 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है ।

क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के लिये वर्तमान संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव जिसके अन्तर्गत उत्तरांचल की प्रशासनिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पूर्ण पर्वतीय संवर्ग का गठन, तकनीकी आडिट सेल तथा विकास परिषद् का गठन महत्वपूर्ण है ।

उत्तरांचल की वार्षिक उपयोजना 1998-99 के लिये कुल 860 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष से 27 प्रतिशत अधिक है । क्षेत्र के पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण के लिये "इकोरेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ हिल एरियाज" नामक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी है तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्त पोषित कराकर संचालित किया जायेगा । इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

उत्तरांचल क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत जलागम प्रबन्ध कृषि के डाइवर्सीफिकेशन को मुख्य प्राथमिकताओं में रखा गया है । विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश बानिकी परियोजना हेतु 26.87 करोड़ रुपये तथा डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर प्रयोजन हेतु 5.95 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान प्रस्तावित है ।

पर्यटन की विशेष संभावनाओं को देखते हुए उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु 24 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल आदि को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । विकास खण्ड मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों तथा मिसिंग लिंक वाले पुलों व मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

नगरों में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्याओं से निपटने के लिये एवं शहरी निर्धनों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य नागर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश (सूडा) लखनऊ द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम तथा स्वच्छकार विमुक्ति योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से कराया जा रहा है । स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर कम्युनिटी डेवलपमेन्ट सोसाइटीज (सी० डी० एस०) के माध्यम से किया जायेगा तथा योजना की कार्य योजनायें जिला स्तर पर ही सी० डी० एस० द्वारा बनायी जायेगी तथा जनपद स्तर (डूडा) पर ही स्वीकृत करके क्रियान्वित की जायेगी । स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु लघु उद्यम लगाने के लिये व्यक्तिगत वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम संचालित कराये जायेंगे । योजना में धन की व्यवस्था हेतु केन्द्र व राज्य का अनुपात 75:25 है ।

मानव मल ढोने की घृणित कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से "स्वच्छकार विमुक्ति योजना" का क्रियान्वयन प्रदेश के 69 नगरों में कराया जा रहा है । योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों के निर्माण/परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है । वर्ष 1998-99 में रुपये 6520.00 लाख का वित्तीय लक्ष्य एवं 1.43 लाख का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है ।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 46 नगरों की चिन्हित मलिन बस्तियों में नाली, खड़न्जा, सार्वजनिक शौचालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे निर्माण कार्यों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता लाने हेतु अनेक कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं । प्रश्नगत योजना शत-प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित है । नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा स्थानीय निकायों में मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. यहां समेकित विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुये उपरोक्तानुसार मूलभूत आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा रही है । इस प्रकार की कार्य प्रणाली द्वारा जो मलिन बस्तियां चयनित होंगी, उनका समग्र रूप से सर्वांगीण विकास हो जायेगा जिसके फलस्वरूप वह बस्ती "मलिन बस्ती" के स्थान पर "आदर्श बस्ती" के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेगी ।

खादी ग्रामोद्योग

प्रदेश में ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये जिला सेक्टर की ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत बैंकों से वित्त पोषण कराया जायेगा तथा केन्द्रीय खादी आयोग की कान्सौर्शियम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।

खादी के वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये डिजाइन विकास तथा औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 में 10 लाख रुपये का प्राविधान आय-व्ययक में किया गया है । प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र विशेष रूप से उत्तराखण्ड, बुन्देलखण्ड में ग्रामोद्योगों के माध्यम से गांव के नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये विशेष बल दिया जायेगा । स्वरोजगार की योजनाओं का समय-समय पर सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जायेगा ताकि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

डिलीवरी सिस्टम में सुधार के लिये अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्रीय भ्रमण एवं चेकलिस्ट के आधार पर योजनाओं/कार्यों की जांच की जा रही है तथा जनता से मिलने का समय निश्चित कर दिया गया है । तहसील स्तर पर खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को सुलभ करायी जा रही है ।

लघु उद्योग

प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । लघु उद्योगों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा सुविधायें एवं प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं जिनमें विकसित भू–खण्डों एवं शेडो की व्यवस्था, आयातित एवं दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक शिल्पियों के प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को सरकारी मूल्य में वरीयता, अवस्थापना संबंधी सुविधायें व विकासात्मक व्यवस्था आदि उल्लेखनीय है । प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग में कुल 44,848 इकाइयां स्थापित है तथा 7,51,050 हस्तशिल्पियों को रोजगार प्राप्त हुआ है ।

औद्योगिक नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेन्स स्कीम (सी०आई०बी० स्कीम) के अन्तर्गत यूपिका, कानपुर के माध्यम से अध्ययन कराकर मुरादाबाद तथा जाजमऊ, कानपुर के संबंध में (संशोधित परियोजना रिपोर्ट) भारत सरकार को भेजी गयी, साथ ही अलीगढ़ (विद्युत सुधार हेतु) तथा भदोही की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गयी । भारत सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और जाजमऊ, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद की विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु तथा भदोही से बाबतपुर हवाई अड्डा तक सड़क के चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु भारत सरकार से कुल 4.83 करोड़ रुपये केन्द्रांश प्राप्त करने में सफलता मिली और 4.83 करोड़ रुपये राज्यांश शामिल करते हुये परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है ।

आगरा, अलीगढ़, मेरठ तथा सहारनपुर की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अध्ययन कराकर सी० आई बी० स्कीम के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है जिसे शीघ्र ही भारत सरकार को भेजा जायेगा । तदोपरान्त अन्य औद्योगिक नगरों का भी अध्ययन कराकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराकर भारत सरकार को भेजा जायेगा ।

लघु उद्योग विभाग से संबंधित उद्यमियों, उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण से संबंधित "उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान" को पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1.25 करोड़ रुपये की धनराशि से कारपस फण्ड की व्यवस्था की जा रही है । इसके अलावा उक्त संस्था को अवस्थापना विकास हेतु भी 25 लाख रुपये की सहायता नई मांग के माध्यम से दी जा रही है ।

इसके अतिरिक्त डिलीवरी सिस्टम में सुधार के लिये जिला उद्योग केन्द्रों को निकनेट से जोड़ने हेतु आय-व्ययक में 36.00 लाख रुपये की व्यवस्था करायी गयी जिससे केन्द्रों पर कम्प्यूटराईजेशन तथा

सेटेलाइट से औद्योगिक डाटा का त्वरित आदान-प्रदान संभव हो सके। उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु सिंगिल विंडो परिकल्पना के अन्तर्गत जिला उद्योग बन्धु की बैठक के आयोजनार्थ 15.00 लाख रुपये की व्यवस्था नई मांग के माध्यम से कराई गयी है।

वस्त्रोद्योग

हथकरघा उद्योग कृषि के बाद प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने वाला तथा गरीब वर्ग के लोगों की वस्त्र की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला प्रदूषण रहित विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में बुनकरों की संख्या 7.10 लाख है तथा करघों की संख्या 2.33 लाख है, कुल 4,999 पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियां हैं। प्रदेश में हथकरघा वस्त्रों का सम्पूर्ण वार्षिक उत्पादन लगभग 50 करोड़ वर्ग मीटर है एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से देश में चौथा स्थान रखता है।

बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 85 हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रोजेक्ट पैकेज योजनान्तर्गत 114 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। कार्यशाला योजना के अन्तर्गत 1665 बुनकर लाभान्वित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक बीमा योजना, हेल्थ पैकेज योजना, आवास तथा कार्यशाला योजना एवं विपणन विकास सहायता योजना भी क्रियान्वित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि राज्य के बुनकरों को प्रोत्साहन मिले तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिये जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है उनका पूरा-पूरा लाभ बुनकरों को मिल सके ताकि वे अपनी वर्तमान अवस्था से उठकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो सके।

श्री कल्याण सिंह–

स्फूर्त वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

श्री समरपाल सिंह की प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने हेतु शासन की नीति बनाए जाने, श्री भारत सिंह रावत की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के निर्बाध विकास हेतु सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित शासनादेश को रद्द किये जाने, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के घनत्व एवं जनसंख्या के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराये जाने, श्री संजय गर्ग आदि की प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के गठन की तथा श्री दद्दू प्रसाद की प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्टरी बरगढ़ जनपद छत्रपति शाहूजी महराज नगर को चालू किये जाने सम्बन्धी संकल्पों का स्थगन–

श्री अध्यक्ष–

मद सं० 17 को लेने के पश्चात् मैंने व्यवस्था दी थी कि मद सं० 16 उसके बाद ली जायेगी। काफी समय हो गया है। इसलिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की आज की कार्य सूची की मद सं० 16 पर उल्लिखित सर्वश्री समरपाल सिंह, भारत सिंह रावत, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, संजय गर्ग तथा अम्बरीष कुमार एवं दद्दू प्रसाद, सदस्यगण विधान सभा के 5 असरकारी संकल्प आज प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं। उक्त संकल्प स्थगित किये जाते हैं और संगत नियमों को निलम्बित करते हुये वे अगले असरकारी दिवस को कार्य-सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

अतः उक्त संकल्पों को स्थगित किया जाता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19-6-1998 को नियम 51 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी की है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई हैं और वह पेन्ट एवं पालिस के काम में आने वाली एन० सी० थिनर को आबकारी विभाग द्वारा जब्त व प्रतिबन्धित किये जाने में उद्योगों की बन्दी तथा लोगों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, जो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत है और वह असेवित क्षेत्रों में ही जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की है, जो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई है और वह जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं और वह डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री तेजभान सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री भारत सिंह रावत, डा० कौशल किशोर वर्मा, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री अजय भट्ट, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम नक्षत्र, श्री लालमणि प्रसाद, श्री चन्द्र नाथ सिंह और श्री अजय कुमार पोइया की हैं ।

अब हम उठते हैं 22 जून को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 25 मिनट पर सोमवार दिनांक 22 जून, 1999 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

19 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०-94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48-49 पर)

-संलग्नक-

-: कराये गये निर्माण कार्यों की सूची :-

1-वार्ड नं० 3/6 में गनेश मास्टर के मकान से मोतीचन्द हरिजन के मकान के पास पुलिया तक खड़न्जे की मरम्मत एवं यू० टाइप नाली का निर्माण व नाली पर आर०सी०सी० ढलाई का कार्य ।	2,28,315.00
2-वार्ड नं० 2 में शिव के मकान से लखीचन्द के मकान तक खड़न्जे की मरम्मत व दोनों तरफ एल० टाइप पक्की नाली का निर्माण कार्य	20,302.00
3-वार्ड नं० 3 में बहादुर हरिजन के मकान के पास से बस स्टेशन स्थित पी०डब्लू०डी० रोड तक खड़न्जे की मरम्मत एवं दोनों तरफ यू० टाइप पक्की नाली का निर्माण कार्य ।	1,77,782.00
4-वार्ड नं० 1 में महंगू हरिजन व देवदास हरिजन के मकान से पी०डब्लू०डी० रोड तक मिट्टी की भराई कर खड़न्जे का निर्माण कार्य ।	14,072.00
5-वार्ड नं० 34 में आजाद मास्टर के मकान से केवल हरिजन के मकान के सामने तक खड़न्जा व दोनों तरफ एल० टाइप पक्की नाली का निर्माण कार्य ।	14,473.00
6-वार्ड नं० 6 में नन्द लाल हरिजन के मकान से देवदास हरिजन के मकान तक खड़न्जा व एक तरफ यू टाइप पतली नाली का निर्माण कार्य ।	17,179.00
7-वार्ड नं० 7 में गोविन्द के मकान से डी०ए०वी० स्कूल के पास से होकर नहर की पटरी तक मिट्टी भराई का कार्य ।	50,820.00
8-जय प्रकाश स्वर्णकार के मकान के पास इमिलिया जाने वाले रास्ते नाले पर आर०सी०सी० ढलाई का कार्य ।	9,018.00
9-हरिशंकर के मकान से नगर पंचायत कार्यालय के पास वाले खड़न्जे तक खड़न्जा निर्माण तथा नाली पर पत्थर की पटिया डालने का कार्य ।	19,270.00
(पांच लाख इक्यावन हजार दो सौ इक्तीस मात्र)	5,51,231.00

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०–104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

–विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित बाबूलाल कुरील, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–104. का संलग्नक

क्रम सं०	आवंटी का नाम	भवन संख्या
1	सर्वश्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह	5/735
2	,, बी० के० गुप्ता	5/736
3	,, सी० एन० त्रिपाठी	5/737
4	,, गणेश दत्त	5/738
5	,, रामनरेश मिश्र	5/740
6	,, विजय कुमार जायसवाल	5/741
7	,, एस० के० त्रिपाठी	5/742
8	,, अवधेश रमन प्रताप	5/743
9	,, राम नरेश सिंह	5/744
10	,, एस० एस० त्रिपाठी	5/745
11	,, सुरेन्द्र सिंह चौहान	5/746
12	,, श्रीमती रंजना यादव	5/747
13	,, टी० एन० चतुर्वेदी	5748
14	,, प्रेम बहादुर पाल	5/749
15	,, श्रीमती राजेश्वरी	5/750
16	,, श्रीमती प्रभात गुप्ता	5/750 सी
17	,, नरेन्द्र कुमार	5/751
18	,, रामदत्त पालीवाल	5/753
19	,, श्रीमती आरती	5/754
20	,, प्रदीप श्रीवास्तव	5/755 ए
21	,, श्रीमती इन्दु श्रीवास्तव	5/755

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० सं०–147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

–विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–147, का संलग्नक

क्रम सं०	योजना का नाम	एचआईजी	एमआईजी	एलआईजी	ईडब्लूएस	साइट एण्डस सर्विस	रिक्त भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	महर्षि दयानन्द विहार	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	138
2–	इन्द्रा नगर	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	
3–	लखनपुर	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	–
4–	विनुवापुर	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
5–	जाजमऊ	हां	हां	हां	हां	नहीं	–
6–	कृष्णापुरम	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	–
7–	रतनपुर	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	109
8–	पनकी	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	2
9–	रतन लालनगर	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	–
10–	दबौली	हां	हां	हां	हां	नहीं	–
11–	जूही	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	–
12–	बसंत विहार	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	8
13–	विवेकानन्द विहार	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2
14–	रतनलाल नगर बर्रा के मध्य (दो मंजिला)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	50
15–	उसमानपुर जे/2	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	–
16–	गुलमोहर विहार	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	–
17–	बर्रा जेड/एवं बर्रा साउथ	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
18–	सेवाग्राम	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
19–	हलुवा खाड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
20–	बर्रा–2	हां	हां	हां	हां	नहीं	–
21–	बर्रा–3	हां	हां	हां	हां	नहीं	–
22–	बर्रा–4	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	–

1	2	3	4	5	6	7	8
23–बर्रा–5		नहीं	हां	हां	हां	नहीं	–
24–बर्रा–6		नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	–
25–बर्रा–7		नहीं	हां	हां	हां	हां	21
26–जरौली		नहीं	हां	हां	हां	नहीं	168
27–नौबस्ता		नहीं	नहीं	हां	हां	हां	128
28–अर्रा विनगवां		नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	516
29–गुंजन विहार		नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	272
30–बर्रा नई बस्ती		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	–
31–सुजान गंज		हां	हां	हां	नहीं	नहीं	527
32 देहली सुजानपुर		हां	हां	हां	हां	हां	143
33–ओ ब्लाक सब्जी मंडी		नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
34–तोदक पुर		नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	1133
35–बुद्ध पुर मछरिया		नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	–
36–सनिगवां		नहीं	हां	हां	हां	नहीं	56
37–गंगापुर मछरिया		नहीं	नहीं	हां	हां	हां	918
38–सतवरी		नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	100
						योग–	5858

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र० सं०–148 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 ।ले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–148 का संलग्नक

क्रमांक	योजना का नाम	प्रारम्भ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	विवरण
1	इन्दिरा नगर आवासीय योजना	वर्ष 1973	वर्ष 1978	
2	रतनलाल नगर आवासीय योजना	वर्ष 1973	वर्ष 1978	
3	दबौली आवास योजना	वर्ष 1979	वर्ष 1985	
4	बर्रा आवास योजना फेज–1	वर्ष 1974	वर्ष 1976	
5	बर्रा आवास योजना फेज–2	वर्ष 1976	——	
6	बर्रा आवास योजना फेज–3	वर्ष 1979	वर्ष 1987	केवल कुछ मिसिंग लिंक्स शेष थे जिन्हें वर्ष 1998 में पूर्ण किया जा रहा है ।
7	बर्रा आवास योजना फेज–4	वर्ष 1980	वर्ष 1985	
8	बर्रा आवास योजना फेज–5	वर्ष 1982	वर्ष 1984	
9	बर्रा आवास योजना फेज–6	वर्ष 1982	वर्ष 1988	
10	बर्रा आवास योजना फेज–7-ए	वर्ष 1984	वर्ष 1986	
11	बर्रा आवास योजना फेज–7-बी	वर्ष 1984	वर्ष 1991	
12	पनकी गंगा गंज फेज–1	वर्ष 1980	वर्ष 1983	
13	पनकी गंगा गंज–2	वर्ष 1981	वर्ष 1984	
14	पनकी गंगा गंज फेज–3	वर्ष 1980	वर्ष 1982	
15	पनकी गंगा गंज फेज–4	वर्ष 1983	वर्ष 1984	
16	छतीले पूर्वा जाजमऊ (साइट/सर्विसेज)	वर्ष 1980	वर्ष 1981	
17	जाजमऊ फेज (प्रथम)	वर्ष 1981	वर्ष 1983	
18	जाजमऊ फेज (द्वितीय)	वर्ष 1983	वर्ष 1986	
19	कृष्णा नगर–1	वर्ष 1984	वर्ष 1998	अवशेष विकास कार्य प्रगति पर है ।
20	गंगापुर	वर्ष 1983	वर्ष	
21	दहेली सुजानपुर फेज–1, 2, 3.	वर्ष 1984	वर्ष 1998	फेज–1, पमण है, फेज–2, 3 पर
22	जरौली आवास योजना	वर्ष 1989	वर्ष 1999	अवशेष विकास कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	योजना का नाम	प्रारंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	विवरण
23	रतनपुर आवास योजना	वर्ष 1986	वर्ष 1999	अवशेष विकास कार्य प्रगति पर है ।
24	गुजैनी के०यू०डी०पी०	वर्ष 1981	वर्ष 1987	
25	लखनपुर योजना	वर्ष 1984	वर्ष 1987	
26	गुंजन बिहार योजना	वर्ष 1987	वर्ष 1989	प्राधिकरण के संसाधनों
27	बिन्नगवां आवास योजना	वर्ष 1989	वर्ष	तथा इन योजनाओं में
28	सनिगवां आवास योजना	वर्ष 1986	वर्ष	उपलब्ध सम्पत्ति के निस्तारण की संभावनाओं को देखते हुए योजनाएं पूर्ण किया जाना अभी स्थगित रखा गया है । कुछ सम्पत्ति को यथास्थित बेचने का प्रयास विचाराधीन है ।
29	सुजातगंज आवास योजना	वर्ष 1965	वर्ष 1998	विकास कार्य प्रगति पर है । (अवशेष कार्य)
30	बर्रा के०यू०डी०पी०	वर्ष 1982	वर्ष 1988	
31	बर्रा यू०पी०यू०डी०पी०	वर्ष 1990	वर्ष 1998	विकास कार्य प्रगति पर है (अवशेष कार्य)
32	तोदरपुर आवास योजना	वर्ष 1991	वर्ष	प्राधिकरण के संसाधनों
33	हरीकिशन नगर (84 दंगापीड़ित)			तथा इस योजना में उपलब्ध सम्पत्ति के निस्तारण की संभावनाओं को देखते हुए योजना पूर्ण किया जाना अभी स्थगित रखा गया है । कुछ सम्पत्ति को यथा स्थित बेचने का प्रयास विचाराधीन है ।
34	मुखर्जी बिहार	वर्ष 1996	वर्ष 1998	
35	खजोरा खांगर	वर्ष 1995	वर्ष 1997	
36	पत्रकार पुरम्	वर्ष 1996	वर्ष 1997	
37	महर्षि दयानन्द बिहार (फेज–1)	वर्ष 1995	वर्ष 1998	
38	महर्षि दयानन्द बिहार (फेज–2)	वर्ष 1997	वर्ष	कार्य प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अता० प्र० सं०-201 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर)

वर्ष 1995-96 से 1997 तक

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्राम तथा उनके विद्युतीकरण की स्थिति

क्र०सं०	ग्राम का नाम	विकास खण्ड		विद्युतीकरण की स्थिति
		वर्ष 1995-96		
1	नगरापल्टी लाल	मनकापुर	विद्युतीकरण	30-9-95
2	भरहू	,,	,,	30-9-95
3	पूरे हृदय	,,	,,	31-10-95
4	जीराभारी	छपिया	,,	31-10-95
		वर्ष 1996-97		
1	महेवा गोपाल	मनकापुर	विद्युतीकृत	12-12-86
2	पचपाती जगनापुर	,,	,,	66/67
3	कलेनिया	,,	,,	19-10-87
4	वरईपुर रामनाथ	,,	,,	80-81
5	वीरेपुर	,,	,,	30-8-85
6	ककरघटा	,,	,,	7/97
7	जगन्नाथपुर	,,	,,	12/96
8	धधौवा	छपिया	,,	15-10-90
9	सगवन	,,	,,	2/97
10	सेन्दुआरानीपुर	,,	,,	31-3-93
11	खपरीपारा	,,	,,	31-3-90
12	देवीनगर	नवाबगंज	,,	9/92
13	गौरिया	,,	,,	12/90
14	करनीपुर	वजीरगंज	,,	12/96
15	तुरकाडीहा	बभनजोत	,,	2/97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1997-98

क्र०सं०	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	जनसंख्या	
1	मधवापुर	नवाबगंज	872	1000 से कम जनसंख्या होने के कारण चयनित नहीं किये गये ।
2	करौदा	,,	680	1000 से कम जनसंख्या होने के कारण चयनित नहीं किये गये ।
3	अम्बरपुर	मनकापुर	1132	विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।
4	दलपतपुर	,,	879	1000 से कम जनसंख्या होने के कारण चयनित नहीं किये गये ।
5	बेदौली	छपिया	946	–तदैव–
6	भवानीजीतपुर	,,	1165	विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।
7	मनसुखपुर	,,	733	1000 से कम जनसंख्या होने के कारण चयनित नहीं किये गये ।
8	सुरवार खुर्द	,,	951	–तदैव–
9	सोहिला	,,	735	–तदैव–
10	सरवरपुर	,,	767	–तदैव–
11	बेलहरी बुजुर्ग	,,	1046	विद्युतीकृत 7/97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 115 विधान सभा ( )–1999-813 (डी०टी०पी०) ।